खण्ड-281, अंक-6
मंगलवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1892
(28 अप्रैल, 1970 ई0)

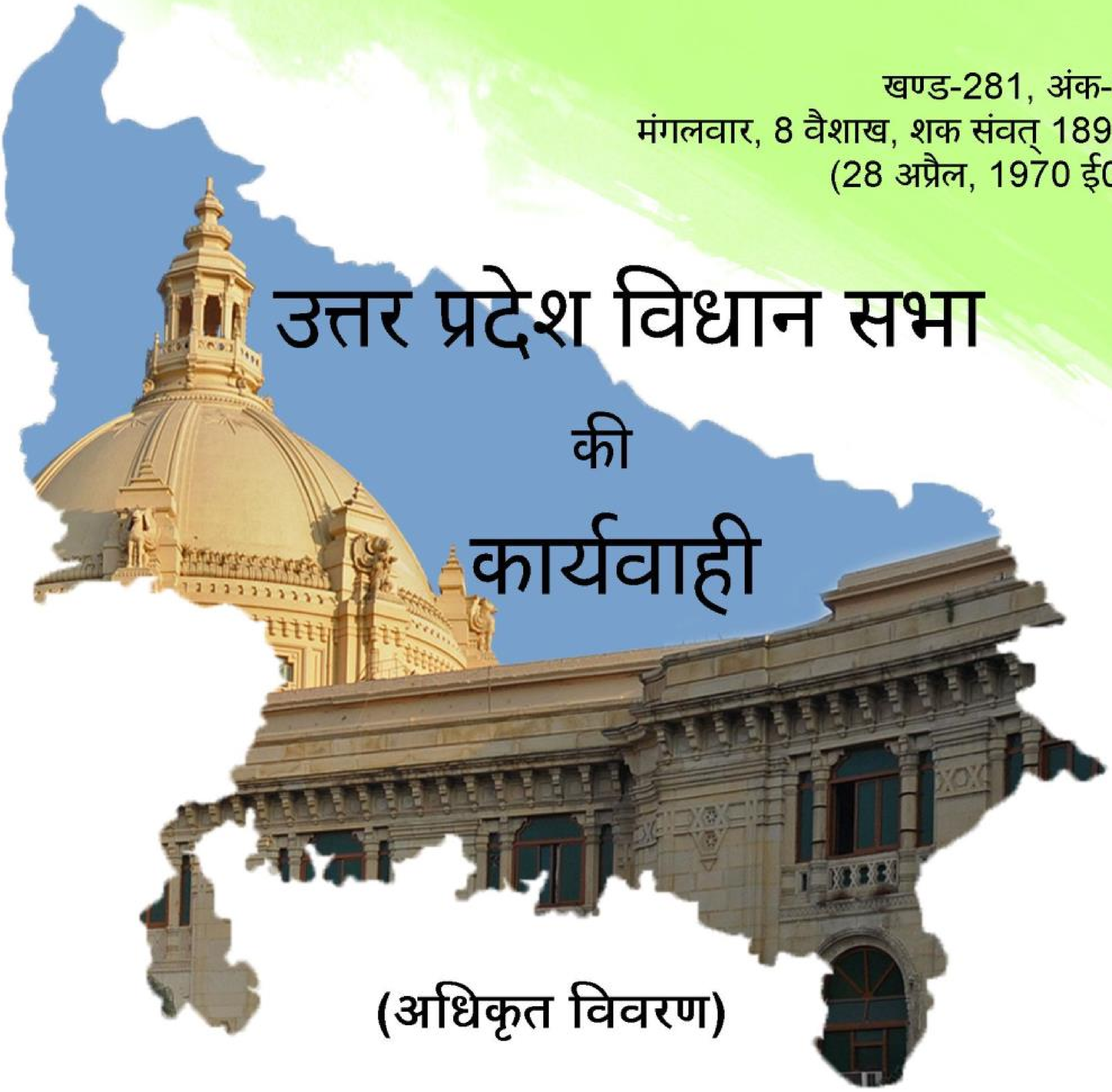

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५०५–५०९
मंत्रिमंडल के गठन के सम्बन्ध में आपत्ति	५०९–५१०
प्रश्नोत्तर	५११–५४३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	५४४
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	५४४
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	५४४
वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४४
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	५४४
उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	५४५
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	५४५
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	५४५
उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	५४५
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	५४६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४६
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४६
उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल, ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४६–५४७
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	५४७
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४७
उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४७
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५ ८
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४८
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	५४८
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	५४८
उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	५४९
उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	५४९
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	५४९
उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	५४९
१९७०–७१ के लिये अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की सूचना ..	५४९–५५०
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्य निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	५५०–५५१
उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन का संकल्प (जारी) ..	५५१–५८८
राजकीय सैनिक स्कूल के १२ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	५८८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों, तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	५८८–५९१
उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन का संकल्प (जारी) ..	५९१–५९९
नत्थियां	६००–६१२

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २८ अप्रैल, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६७

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुरसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री

बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलूसिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मोहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यावेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण , श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री

रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति , श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम विलास पाण्डय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी , श्रीमती
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)

श्याम सूरत उपाध्यक्ष, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सिया राम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती , श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्मसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र तथा खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में आपत्ति

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, सब से पहले मैं एक कांस्टीट्यूशनल क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा है कि आप उसकी इजाजत देंगे . . . .

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्नों का समय है, पहले प्रश्न हो जाने दीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, प्रश्नों से पहले ही यह बहुत आवश्यक है और जब तक यह कांस्टीट्यूशनल क्वेश्चन तय न हो जाय, उसका निर्णय न हो जाय तब तक विधान सभा की कार्यवाही ठीक से नहीं चल सकेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में और अन्यत्र जहां कहीं पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी चल रही है वहां यह नियम है कि सदन के नेता के परामर्श से राज्यों की सरकारों का निर्माण होता है और मंत्रियों का चयन होता है। परन्तु यहां यह बात बिलकुल स्पष्ट है और सारे सूबे की और देश की जनता जानती है और यहां के सभी विधान सभा सदस्य जानते हैं कि यहां के मंत्रियों का चयन सदन के नेता के परामर्श से नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली के सत्ताधारियों ने अपनी कठपुतलियों को यहां लाकर बिठा दिया है । (व्यवधान)

[श्री कृष्णानन्द राय]

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में निर्णय दें कि यदि राज्य की सरकार का गठन दिल्ली के सत्ताधारी इस तरह से करेंगे जैसा कि इस प्रदेश में हुआ है तो जनतंत्र की और राज्यों की फेडरल स्प्रिट की हत्या हो जायगी. . . .

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात मैंने सुन ली, आप बैठें. . . .

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह बहुत जरूरी चीज है, एक मिनट में मैं समाप्त करता हूं।

एक सदस्य—

वह सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आप के लिये ही कोशिश कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो संविधान की स्प्रिट है कि जो सरकार यहां बने वह जनता का प्रतिनिधित्व करे और यदि सदन के सदस्यों और उसके नेता के परामर्श से राज्यपाल मंत्रियों का चयन करें तो उचित होगा लेकिन जब दिल्ली के सत्ताधारी अपनी कठपुतलियों को राज्य सरकार में बिठा देते हैं तो वह न तो सदन का ही और न जनता का ही प्रतिनिधित्व होता है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें। अब मैं फैसला देता हूं। क्या कुछ एक्सट्राआर्डिनरी बात हो गई यह सवाल है, नियमानुसार मुख्य मंत्री अपना मंत्रिमंडल स्वयं तैयार करेंगे। किसी की सलाह वह लेते हैं इसका कोई सवाल नहीं है। उन्होंने गवर्नर को एडवाइस किया और उसी हिसाब से मंत्रिमंडल बना, उस को कोई कम्पेल नहीं कर सकता और न किसी ने इस प्रकार की कोई शिकायत की है। इसलिये आप की आपत्ति निरर्थक है। मैं उसे स्वीकार नहीं करता।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात. . . .

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, उनसे पूछ लिया जाय कि मंत्रियों के नाम उनके परामर्श से निश्चित हुये हैं या उनको डिक्टेट कर के नाम लिखाये गये हैं, इस के लिये उनको दिल्ली समन किया गया था, वह बैठे हैं आप उनसे पूछ लें . . . .

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें, अब प्रश्न होंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, उन को मंत्रियों के नाम डिक्टेट किये गये . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें मैंने अपना फैसला दे दिया।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २८ अप्रैल, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

छपरौली थानान्तर्गत बासौली निवासी हरिजन की हत्या

**१—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बासौली, थाना छपरौली (मेरठ) में दिनांक २० अक्तूबर, १९६९ को एक गरीब हरिजन की हत्या कर दी गई है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां। इस अपराध के सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विवेचना जारी है।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में कोई जानकारी है कि मरने वाले के पोते ने एक दरख्वास्त माननीय मुख्य मंत्री जी को दी कि दरोगा ने पैसे लेकर मुल्जिमानों को नहीं पकड़ा है और न पकड़ रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह घटना २५/२६ जनवरी, १९७० की है और इसमें जांच हो रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपया माननीय उप-मंत्री जी को हिदायत दें कि वे उसी प्रश्न का उत्तर दें जो उनसे पूछा जाय, वे दूसरे प्रश्न का उत्तर न दें। और यह भी आदेश देने की कृपा करें कि वे सदन में तैयार हो कर आया करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अगर माननीय सदस्य दुबारा प्रश्न कर दें तो मैं फिर से उत्तर दे दूं।

श्री मंजूर अहमद—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि जांच हो रही है, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मरने वाले के पोते मुहम्मद इदरीस ने एक शिकायती पत्र, माननीय मुख्य मंत्री को दिया है कि दरोगा ने मुल्जिमानों को रिश्वत लेकर छोड़ दिया या पकड़ नहीं रहा है। उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या जानकारी है ?

श्री चरण सिंह—

किसी व्यक्ति ने दरख्वास्त दी, मुझ को इसका इल्म नहीं है। कोई दरख्वास्त आयी है अथवा नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इसमें, मान्यवर, घटना २० अक्टूबर, १९६९ की बतलायी गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी है और उस संबंध में विवेचना हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस घटना की रिपोर्ट नामजद है, और अगर है तो किन लोगों के खिलाफ है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चरण सिंह---

यह सवाल दूसरा था जैसा कि मंजूर अहमद साहब ने सवाल किया था । पहले प्रश्न का जवाब इस प्रकार है---"जी हां । इस जुर्म के संबंध में तीन अभियुक्त हाजिर अदालत हुए, तथा जेल भेजे गये । इन अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट अदालत भेजी गयी है तथा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है "।

श्री अध्यक्ष---

यह पहले का उत्तर नहीं है। पहले का उत्तर इस प्रकार है कि "जी हां । इस अपराध के संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी है । विवेचना जारी है "।

श्री गोबिन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पहले वे सवाल को पढ़ लें फिर सदन में उसका उत्तर पेश किया करें।

श्री अध्यक्ष---

पहला प्रश्न यह है कि "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बासौली, थाना छपरौली (मेरठ) में दिनांक २० अक्टूबर, १९६९ को एक गरीब हरिजन की हत्या कर दी गई है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष जी, क्या एक सीट पर २ मंत्री बैठ सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष---

नम्बर २ का आन्सर लिखा गया वह गलत लिखा गया । वह नम्बर १ है । यह जो उत्तर आपको दिया गया....

श्री मंजूर अहमद---

मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि कृपया वे बतायें कि मुल्जिमान किस जाति से ताल्लुक रखते हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

मुल्जिमान के नाम हैं---(१) ओमपाल, पुत्र अतरा, (२) संसार, पुत्र भवर सिंह, (३) अतरा, पुत्र गिरवर, निवासी बासोली, थाना छपरोली ।

श्री मंजूर अहमद---

श्रीमन्, मंत्री जी ने पहली बात बतलाई परन्तु दूसरी बात नहीं बतलाई । वे यह बतलायें कि वे किस जाति से संबंध रखते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

जाति के संबंध में जवाब देना मुनासिब नहीं समझता ।

श्री मंजूर अहमद---

वे जाति से जाट हैं और मुख्य मंत्री को पता है। मैं यह भी चाहूंगा कि रिपोर्ट चार मुल्जिमान के खिलाफ लिखाई थी । चार मुल्जिमान के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है थानेदार ने ३२३ की । उसकी डाक्टरी हुई नहीं । वह रास्ते में मर गया । वह रास्ते में इसलिये मरा....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये । आप तो सूचना दे रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या यह सही है कि जैसा कि प्रश्नकर्ता बता रहे हैं कि इस अपराध की रिपोर्ट धारा ३२३ के अन्तर्गत लिखी गई है ? और मजरूह को डाक्टरी मदद नहीं दी गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

रिपोर्ट में जो एफ० आई० आर० है उसमें जैसा कि मैंने निवेदन किया तीन अभियुक्त हैं और जो पुलिस दफा है वह ३२३, ५०४ और ५०६ हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस रिपोर्ट में जो आपके पास दर्ज हुई उस में लड़ाई-झगड़े का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं रिपोर्ट पढ़कर सुनाये देता हूं :

"श्री बलजीत पुत्र मुक्खाराम, हरिजन, ग्राम बांसौली इलाका, थाना हाजा ने बहमराही हरज्ञान भाई खुद व ओंकार, पुत्र खासे राम व सुखबीर, पुत्र कालीराम व खड़का, पुत्र रिखाला हरिजन ग्राम खुद के बहाजिर थाना और सूचना जुबानी बाबत करने मारपीट द्वारा पेनी लात घूंसों से व उठा कर जमीन में पटक कर चोट पहुंचाना बरबिनाये रास्ते से न हटने पर बबकुई ता० इमरोजा समय करीब ६ बजे दिन जंगल ग्राम बासोली.....यह घटना हुई है । कारण यह है । इस तरह से मारा गया है ।"

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर बतायेंगे कि मृत्यु का कारण उसमें क्या बताया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पोस्ट मार्टम में जो हत्या का कारण है वह यह है :

Cause of death—Death is due to asphysice as a result of the injury of neck.

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मुकदमा अदालत में किस धारा के अन्तर्गत चलाया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—

इसका इल्म नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जब अदालत में मुकदमा चल रहा है तो इल्म क्यों नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

चार्जशीट में जो धारा लगाई गई है वह ३०४ भारतीय दंड विधान की है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें अपराध को घटाकर लिखा गया है । यह मामला ३०२ और ३०४ का था जब कि इसको ३२३ में लिखा गया है । तो माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अपराध को मिनिमाइज कर के क्यों लिखा गया है ?

श्री चरण सिंह---

गवर्नमेंट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि अपराध को मिनिमाइज करके लिखा गया है। यह घटना अक्टूबर, १९६९ की है। जो रिपोर्ट लिखायी गयी, उसके अनुसार दफा लगायी गयी। अब मिनिमाइज हुआ कि नहीं मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री गोविन्द सिंह---

पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मौत गला घोट कर हुई। जब इस तरह मौत होती है तो चार्जशीट ३०४ के अन्तर्गत लगायी जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस तमाम घटना की फिर से जांच करायेंगे कि इसमें जुर्म के मुताबिक ही दफा लगायी गयी है ?

श्री चरण सिंह---

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय उसकी हम तहकीकात करा लेंगे।

किठौर थाने में बहरोड़ा ग्राम का हत्याकाण्ड

**२---श्री मंजूर अहमद---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बहरोड़ा, थाना किठौर (मेरठ) में २५-२६ जनवरी, १९७० की रात्रि में दो स्त्रियों की हत्या कर दी गई थी, और उनका माल भी लूटा गया था ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जी हां। इस जुर्म के संबंध में तीन अभियुक्त हाजिर अदालत हुए, तथा जेल भेजे गये। इन अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट अदालत भेजी गयी है तथा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी है तो मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

यह रिपोर्ट एक तरह से नामजद नहीं है। लोगों पर शुबहा किया गया है।

श्री मंजूर अहमद---

रिपोर्ट लिखाने वाले ने किसी व्यक्ति का नाम लिया है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसमें एक पर शुबहा जाहिर किया है और यह कहा है कि वह उसी गांव का है और उससे उसकी मुकदमेबाजी चल रही है।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

पुलिस जांच के बाद किस नतीजे पर पहुंची, यानी वे मुलजिमान सही हैं कि नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस गांव में बहुत बड़ी पार्टीबन्दी है और ऐसा मालूम पड़ता है कि जिन लोगों पर शुबहा है उनका नाम पार्टीबन्दी के कारण लिया गया है और घटना में कुछ दूसरे लोगों का हाथ मालूम पड़ रहा है। इसकी अभी जांच हो रही है।

चीनी उद्योग राष्ट्रीयकरण समिति के कार्यकाल में वृद्धि

**३—श्री रामकरन (जिला गोरखपुर), श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के समस्त चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने ३ व्यक्तियों की एक उप समिति का निर्माण करके एक महीने में रिपोट प्रस्तुत करने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बनाई है कि चीनी उद्योग को सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने का क्या रूप हो तथा इसके लिए क्या उपाय अपनाये जायें । समिति को एक महीने के भीतर अपनी शिफारिशें प्रस्तुत करनी थी पर क्योंकि उक्त समय में समिति का कार्य पूरा न हो सका, अतः उसका कार्यकाल ३० अप्रैल, १९७० तक बढ़ा दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

दो दिन का समय रिपोर्ट आने में शेष रह गया है । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री सदन को आश्वासन देंगे कि इस समय के अन्दर ही रिपोर्ट आ जायेगी और उसे सदन के समक्ष रख दिया जायेगा ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, उम्मीद है कि यह रिपोर्ट ३० को या पहली को दे देंगे । यदि नहीं दे सके तो अवधि बढ़ाने पर विचार करना पड़ेगा । लेकिन मेरा ख्याल है कि वह देने वाले हैं ।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने चीनी मिलों के राष्ट्रीकरण करने की घोषणा की तो ऐसा कोई प्रिकाशन लिया कि जिससे चीनी मिल मालिक लोग मिल का स्टाक तथा स्टोर जो उनके पास था, उठा कर अलग न रखने पावें ?

श्री चरण सिंह—

इस तरह की कार्यवाही पहले से करना कानूनन मुमकिन नहीं था ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक महीने का जो समय था, उसके अन्दर कमेटी अपनी रिपोर्ट किन कारणों से नहीं दे सकी ?

श्री चरण सिंह—

क्योंकि यह मसला आसान नहीं है । यह आसान उन लोगों के लिए है जो यह नहीं जानते हैं कि मसला कितना जटिल है ।

श्री [illegible] राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस समिति ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी को इस आशय की पेश की है कि इस मसले में बड़ी पेचीदगियां हैं, इसलिये हम एक महीने में रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--

यह उन्होंने लिखा था गवर्नमेंट को कि हमको समय और बढ़ा दिया जाये, इस पर और अभी विचार करने की जरूरत है। मैंने जैसा 'पहले कहा, 'नेशनलाईजेशन' शब्द इस्तेमाल नहीं किया मैंने टेक-ओवर कहा था। जमीन का टेक ओवर करना आसान होता है, लेकिन फैक्टरी का टेक-ओवर करना उतना आसान नहीं होता है।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्योंकि पैसा मिलता है, चन्दा मिलता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मुख्य मंत्री सदन को यह आश्वासन देंगे कि इस विधान सभा के सत्र के अन्दर यह रिपोर्ट प्रस्तुत हो जायगी ?

श्री चरण सिंह--

मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक यह सत्र चलता है उसमें वह जरूर हो जायगी। मेरी इत्तला तो यह है कि पांच-सात दिन या तीन-चार दिन में देने वाले हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कि इस कमेटी के अन्दर कुछ बाहर के ऐसे आदमी घुस गये जिनकी वजह से कमेटी की प्रोसीडिंग्ज में डिले हुई और उसके सीक्रेट्स आउट हो गये ?

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जान कर ताज्जुब हुआ। मुझको कोई इत्तला नहीं है। मैं आपके जरिये माननीय मित्र से दरख्वास्त करूंगा कि अगर उनके पास इत्तला हो तो बतलायें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अनन्तराम जायसवाल के दो प्रश्नों की अनुज्ञा न देने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दिलवा दें कि डिले का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया। उनसे पूछा गया था कि जो कमेटी मुकर्रर की गयी है उसने कोई समय मांगा था, उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने समय मांगा था, उन्होंने कहा कि ऐसा जटिल प्रश्न है जिसके लिये समय की जरूरत है। उन्होंने समय दे दिया।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस सार्वजनिक हित के प्रश्न पर इस कमेटी में सरकारी पक्ष के आदमियों को रख कर, विरोधी पक्ष के किसी माननीय सदस्य को इस योग्य नहीं समझा जो उस कमेटी में रखा जाय ?

श्री चरण सिंह--

इसका मैं क्या उत्तर दे सकता हूं ? विरोधी पक्ष में बहुत ऐसे काबिल आदमी हैं। मुझे उनकी काबलियत में शक नहीं है। लेकिन यह कि कोई क्यों नहीं रखा यह सवाल पूछना कहां तक उचित है ? जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट दो साल में आयी थी। यह उससे कहीं ज्यादा कठिन काम है क्योंकि जमींदारी का मुआबिजा सर्किल रेट से लगाया जा सकता है। इस में किस मिल की कितनी कीमत है, कितना डेप्रीसिएशन हो गया है, कितना

रिनोवेशन हुआ है और उसकी अब कितनी वैल्यू रह गयी, यह सवाल है कंपेन्सेशन का। दूसरा सवाल है उसके मैनेजमेंट का। यह दो मोटे प्राबलम्स मुझ को दिख रहे हैं, जिनको कमेटी ग्रैपिल कर रही है। अगर उसमें किसी माननीय मित्र को इंसीनुएशन करना है तो वह उनका अख्तियार है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वह अपनी नेशनेलाइजेशन या टेक-ओवर की पालिसी पर कायम हैं या उससे पीछे हट रहे हैं?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष---

श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल (व्यवधान)....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपने व्यवस्था दी थी कि जो प्रश्न करे उसे तीन अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार है। हमको आपने एक सवाल ही पूछने दिया।

श्री अध्यक्ष---

एक प्रश्न पर हम ७ से ज्यादा पूरक प्रश्न नहीं लेंगे, लेकिन इस पर तो ८-१० हो गये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

हमारा तो एक ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

दूसरों को भी प्रश्न का अधिकार है। इस तरह से आप उनका अधिकार लेते हैं।

हरदोई नगर में कनपटीमार

**४---श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई), श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई), श्री तेजनारायण (जिला खीरी), श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)---

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि हरदोई नगर में मार्च सन् १९७० में किसी व्यक्ति द्वारा सोते में कनपटी पर किसी वस्तु के प्रहार से हमला स्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा एक की हालत चिन्ताजनक है जिसके कारण हरदोई जनपद में आतंक छा गया ह? यदि हां, तो मन्त्री जी ऐसे कनपटी मार द्वारा पैदा किये गये आतंक को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जी हां। हरदोई नगर में मार्च सन् ७० में कुछ अभियुक्तों द्वारा सोते में मुंह पर कान के पास अथवा सर पर घातक प्रहार करने के फलस्वरूप केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तथा दूसरा घायल व्यक्ति जिसकी हालत चिन्ताजनक थी ठीक हो गया है। इन घटनाओं से नगर में कुछ आतंक अवश्य उत्पन्न हुआ था। स्थानीय पुलिस ने बड़ी सतर्कता से इन घटनाओं से सम्बन्धित एक दल का पता लगा लिया। इसके नौ व्यक्तियों को इन जुर्मों के सिलसिले में पकड़ कर जेल भेज दिया गया है। अब हरदोई जनपद में किसी प्रकार का आतंक नहीं है।

श्री श्रीशचन्द्र---

क्या मुख्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उस गैंग के व्यक्ति किस जाति के थे? क्या वे क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं और ये कहां के निवासी हैं? दूसरा यह है कि इस गैंग का कार्य-क्षेत्र किन-किन जिलों में रहा है? तीसरे...

श्री अध्यक्ष---

८-१० सवाल इकट्ठे मत कीजिये वरना उत्तर मिलने में दिक्कत होगी । एक दो सवाल कीजिये ।

श्री श्रीशचन्द्र---

ठीक है, वह पहले प्रश्न का ही उत्तर दे दें ।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जो पकड़े गये हैं व्यक्ति ये अपराधी अधिकांशतः क्रिमिनल ट्राइब्स के हैं---अपराधी जाति के हैं ।

श्री श्रीशचन्द्र---

ये किस सूबे के रहने वाले हैं और किन-किन जिलों में ये पकड़े गये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

कुछ तो कानपुर जिले के हैं, कुछ मथुरा जिले के हैं, एक हरदोई और एक कानपुर का है । इस तरह से ९ अपराधी हैं और जो पकड़े गये हैं वह हरदोई और शाहजहांपुर में ।

श्री रामचन्द्र विकल---

मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि अपराधी जाति के लोग हैं । पहले कहा कि जाति बतायेंगे नहीं, अब अपराधी जाति कहां से पैदा कर दी है ।

श्री अध्यक्ष---

अपराधी जाति तो समाप्त हो चुकी है शायद ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गवर्नमेंट किसी को क्रिमिलन ट्राइब्स नहीं मानती है । पहले जमाने में माना जाता था, आज कल कोई क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं हैं ।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)---

इन्हीं दिनों में इसी नेचर की करीब ६ हत्याएं खीरी जिले में खास और निघासन तहसील में हुई हैं, क्या उनके बारे में मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री चरण सिंह---

यह सही है कि लखीमपुर खीरी के जिले में भी ६ हत्याएं सोते समय हुई हैं । उनके हत्यारों या मुजरिम लोगों का अभी इल्म नहीं हुआ है, पकड़े नहीं गये । हो सकता है कि उनका भी इन्हीं लोगों से वास्ता हो । मैंने कल ही आई० जी० को बुला कर कहा है कि होशियारी से और तेजी से तहकीकात की जाय ।

मंत्रि परिषद् आचार संहिता

**५---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार मन्त्रि परिषद् के लिये कोई आचार संहिता तैयार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जी नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि अब से पहले कोई आचार-संहिता थी मंत्रि-परिषद् के लिये ?

श्री चरण सिंह---

आचार संहिता से माननीय सदस्य का क्या मतलब है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार ने सन् ६४ में मंत्रियों के जो एसेट्स हैं उनसे सम्बन्धित कुछ विषयों के सम्बन्ध में सुझाव दिये थे। अगर आचार संहिता से आपका यह मतलब है तो वह है लेकिन हम कोई आचार संहिता नहीं बना रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उस आचार संहिता के आधार पर क्या माननीय मुख्य मंत्री मंत्रियों की जमा व पूंजी का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री चरण सिंह---

यह विवरण सदन के सामने नहीं रखा जाता है।

'सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें' नामक पुस्तक को जब्त करने पर गौर

**६---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार को विदित है कि श्री आर० एन० शास्त्री, ८१, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत पुस्तक "सम्मान के लिये धर्म परिवर्तन करें" में गीता को गड़रिये का गाना मात्र "वेद बनाने वालों को अविकसित तथा असंस्कृत", "मराठा, जाट, अहीर, सिक्ख, मारवाड़ी आदि को अछूत" तथा "हनुमान जी को व्यभिचारी" कहा गया है ?" यदि हां, तो क्या सरकार इस पुस्तक को दी गई मान्यता को वापस लेने तथा जब्त करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्री आर० एन० शास्त्री, ८१, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें" नामक पुस्तक में कुछ आपत्तिजनक बातें पाई गई हैं। पुस्तक न तो पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत है और न मान्यता प्राप्त है। इसके जब्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस पुस्तक के बारे में सरकार का ध्यान सब से पहले कब गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

यह शिकायत सरकार को जून, ६९ में प्राप्त हुई।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या यह शिकायत प्रश्नकर्ता के द्वारा की गयी और उस पर कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। वैसे हरिजन सहायक विभाग में शिकायत आई थी।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया कि इसमें कुछ अंश आपत्तिजनक हैं और सरकार को सूचना प्राप्त हुए जब काफी समय हो गया तो तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री चरण सिंह--

उसका एग्जामिनेशन हो रहा है कि किताब के कौन-कौन से वाक्य आपत्तिजनक हैं अथवा नहीं है ।

श्री दीपनारायण मणि--

क्या सरकार श्री आर० एन० शास्त्री के खिलाफ शासन की ओर से आपत्तिजनक अंशों के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे जिससे उन्हें दंड मिल सके ?

श्री चरण सिंह--

यह सज्जन दिल्ली के रहने वाले हैं लिहाजा वहां की सरकार ही कोई कार्यवाही करेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

पुस्तक के अन्दर ऐसे वाक्य भी हैं कि हनुमान व्यभिचारी थे जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो जब यह पुस्तक उत्तर प्रदेश में पब्लिश की गयी तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री चरण सिंह--

इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह लेंगे ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

जब इस किताब को मान्यता दी गयी तो यह समिति मौजूद थी तो क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने इसे मान्यता दी ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर में बतलाया जा चुका है कि कानूनी सलाह ली जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

पुस्तक के अन्दर जब आपत्तिजनक अंश हैं तो क्या सरकार इसका सर्कुलेशन तुरन्त बन्द करवा देगी ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा यह विचाराधीन है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, इस फैसले के ऊपर लाखों लोगों की भावनाओं का प्रश्न है । अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि यह पुस्तक आपत्तिजनक है तो क्या आप इसे विदड्रा करने के लिये तैयार हैं ?

श्री चरण सिंह--

सर्कुलेशन तो विदड्रा कर लिये गये हैं ।

राजकीय शिक्षा संघ की मांगे

**७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री को राजकीय शिक्षा संघ, उत्तर प्रदेश का दिनांक २२ अप्रैल, १९६९ का स्मरण-पत्र, उनकी मांगों सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जी हां । राजकीय शिक्षक संघ की मांगों पर अभी विचार हो रहा है और निर्णय होने पर सूचित किया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन सी मुख्य मांगे हैं और उनको सदन के सम्मुख रखेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मुख्य मांग यह थी कि राजकीय शिक्षक संघ को प्रभावशाली मान्यता प्रदान की जाय । यों तो २४ मांगे हैं । उनके सेवा नियम बनाये जायें, उनको स्थायी किया जाय और स्थायीकरण में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय । शिक्षकों की हर स्तर पर नि:शुल्क व्यवस्था की जाय । और भी कई मांगे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उन मांगों में से कितनी मांगों को स्वीकार करने के लिये सरकार तैयार है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उनकी मुख्य मांगे तो प्राय: स्वीकार कर ली गयी हैं लेकिन जो आर्थिक कठिनाइयां हैं उनको हमने फाइनेन्स को भेज दिया है उनकी स्वीकृति के बाद सम्बन्धित सूचना सदन को दे दी जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगी कि कब तक इन मांगों पर अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हमारी तो यही चेष्ठा होगी कि उनकी मांगों पर जल्दी-से जल्दी निर्णय ले लें फिर भी ३ माह के अन्दर इस पर निर्णय हो जायेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

दो प्रमुख मांगें—राजकीय शिक्षक संघ को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में थी, क्या इसको सरकार ने मान लिया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

जहां तक मान्यता का सवाल है, यह माना जा चुका है और इसके आदेश भी जारी किये जा चुके हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

दूसरा अंश यह था कि क्या सेवा नियम बनाना सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई---

अभी तक इस विषय पर विचार किया जा रहा है और सेवा नियमावली इस विभाग में नहीं बनी है। इसके बनाने के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि क्या राजकीय विद्यालयों के १० साल से भी पुराने अध्यापक अभीतक अस्थायी रूप से चले आ रहे हैं। यदि हां, तो क्या वे आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि उनको स्थायी बनाया जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अभी हाल ही में आदेश दिये गये हैं कि इस प्रकार स्थायी करने के लिये सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्थायी किया जाय।

श्री रामचन्द्र विकल---

माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने उत्तर में अभी कहा है कि कुछ मांगे स्वीकृति के लिये फाइनेन्स को भेजी गई हैं। तो वे कृपया बतायेंगी कि वे कौन-कौन सी मांगे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

ऐसा है कि जो मांग है और एजूकेशन विभाग के कर्मचारी जो काम करते हैं उनके जो वार्ड्स हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाय उस मांग को स्वीकार कर दिया है लेकिन एजूकेशन कोड में यह है कि २०० रु० तक की आमदनी वाले कर्मचारियों को यह सुविधा दी जायेगी। अभी केवल सी०टी० ग्रेड तक के ही लोगों को यह सुविधा थी किन्तु ग्रेड्स के रिवाइज हो जाने के बाद २५० रु० सी० टी० ग्रेड पहुंचता है इसलिये इसको फाइनेन्स भेजा गया है कि २०० और २५० रु० के बीच के जो व्यक्ति आते हैं उनको भी सुविधा मिल सके। इसीलिये इसको फाइनेन्स भेजा गया है।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि सरकारी विद्यालयों की भांति प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों की फीस माफ करने के लिये भी क्या वे वित्त विभाग को लिखेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

यह प्रश्न विचार योग्य है और सरकार इस पर विचार करेगी।

राजकीय शिक्षक संघ, देहरादून का आवेदन-पत्र

**८---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या शिक्षा मन्त्री को देहरादून जिले के राजकीय शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र ५ मार्च, १९७० प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात पर विश्वास करते हुए कि यह प्रतिवेदन भेजा गया था, उनकी मांगों पर विचार कर कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तो उस पर विचार किया जायगा। लेकिन मैं समझती हूं कि प्रश्न ७ से भी इस बात का सम्बन्ध है, उसके साथ में इस पर भी विचार हो रहा है।

उत्तर प्रदेशीय हलवाई संघ, लखनऊ की मांगें

**९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश हलवाई संघ ने दिनांक २३ जनवरी, १९७० के अपने प्रतिवेदन द्वारा सरकार को बिक्री कर से मुक्त किये जाने की प्रार्थना करते हुये प्रति हलवाई लाइसेन्स फी लगाये जाने का सुझाव दिया है और प्रगट किया है कि उससे बिक्री कर से अधिक आमदानी सरकार को होगी और उन्हें बिक्री-कर की किताबें रखने, न्यायालय जाने आदि से मुक्ति मिल जायगी ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

बिक्रीकर मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

जी हां, उत्तर प्रदेशीय हलवाई संघ लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक २३-१-१९७० में हलवाइयों पर लाइसेन्स फी लगाये जाने के विषय में शासन को सुझाव दिया है। संघ का सुझाव शासन के विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिन हलवाइयों से यह विक्रीकर इकट्ठा-किया जाता है, उन्हीं लोगों ने यह सुझाव दिया है कि ३५० रुपया से लेकर १,५०० रुपया तक लाइसेन्स फीस लगा दी जाय तो क्या सरकार ने इस बात की जांच करायी है कि यह लाइसेन्स फीस से बिक्री-कर से ज्यादा आय सरकार को हो जायगी ?

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जो मांग की गयी है, उसी से सम्बन्धित जांच कराई जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं जानना चाहता हूं कि उस जांच से क्या यह पता लगा है कि प्रदेश में हलवाई कितने हैं, लाइसेंस फीस कितनी इकट्ठी होगी और बिक्री कर से कितना रुपया अधिक इकट्ठा होगा ?

श्री बलवीर सिंह—

अभी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं आयी है। मैंने इस सम्बन्ध में जल्दी करने के इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सवाल शासन के कब तक विचाराधीन रहेगा। कब तक सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में जल्दी कराई जा रही है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे, चूंकि यह प्रश्न पुराना है, इसलिये ३० जून से पूर्व ही इस पर निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री बलवीर सिंह—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जल्दी करायी जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सिद्धांत रूप से यह सरकार सहमत हो गयी है कि लाइसेंस फीस को लगाकर बिक्री कर को हटा दिया जायगा। ऐसा ४-५ प्रदेशों में और भी हो गया है ?

श्री बलबीर सिंह---

अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

मंसूरी तथा नैनीताल नगरपालिकाओं में नामांकन बन्द करने का सुझाव

**१०---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार मंसूरी तथा नैनीताल नगरपालिका में कुछ सदस्यों को सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने की प्रणाली समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह आदेश हो जावेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)---

शासन के सामने यह मामला विचाराधीन नहीं है। नैनीताल के बारे में एक याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन थी। अभी निर्णय का पता नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश की केवल दो नगरपालिकाओं में नामिनेशन होता है, जो कि दूसरी नगरपालिकाओं से भिन्न है। क्या इस डिसक्रिमिनेशन को खत्म करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

यह नामिनेशन सेक्शन १० (ए) के अन्तर्गत होता है। फिलहाल इसको खत्म करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नामांकन किया जाता है वह केवल इसलिये किया जाता है कि किसी दल विशेष का बहुमत हो जाय ?

श्री अतीकुर्रहमान --

मुझको मालूम नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, मंत्री जी को इस विषय में इल्म नहीं है। यह मालूम करने की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी ने किसके सुपुर्द की है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री रियासत हुसैन---

नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड में हमेशा की परम्परा यह रही है कि एक मुसलमान आदमी वहां नामिनेट होता था परन्तु इस समय मुसलमान का नामिनेशन नहीं हुआ इसका क्या कारण है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

१९४९ में रूल्स बनाये गये थे और उसमें सेक्शन १० (ए) के अन्तर्गत यह रखा गया था कि अल्पसंख्या के लोगों को रेप्रेजेंटेशन दिया जायगा । लेकिन १९५३ में वह रूल्स खत्म हो गये और उसके बाद सिर्फ नामांकन का अख्तियार गवर्नमेंट को है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्रदेश के अन्दर दो नगरपालिकाओं में नामांकन होता है । उससे किसी एक दल विशेष को बहुमत मिल जाता है जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं अब इन दो नगरपालिकाओं से नामांकन की प्रथा को समाप्त करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

मैं माननीय मित्र की प्रतिक्रिया से सहमत हूं और इस प्रश्न पर हम विचार करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि वहां का ट्रेडीशन और कन्वेन्शन यह रहा है रूल्स की बात नहीं पूछी थी । वह ट्रेडीशन और कन्वेन्शन मेन्टेन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

ट्रेडीशन नहीं रहा । आपने जो फरमाया वह सही नहीं है । रूल्स ही में यह लिखा हुआ था वह ख़त्म हो गये हैं ।

पेशा कर समाप्त करने की मांग

**११—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार पेशा-कर से निम्न आय पाने वाले व्यक्तियों को, जिनकी वार्षिक आय ७,५०० रु० तक है, मुक्त करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक यह निर्णय घोषित हो जावेगा ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्रदेश को पेशा और वृत्ति कर से कुल कितनी आय होती है ।

श्री बलबीर सिंह—

१९६७–६८ में १.१४ करोड़, १९६८–६९ में १.४७ करोड़ रुपये की आय हुई थी और १९६९–७० में १.९० करोड़ रुपये की आय होने की आशा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो डेढ, पौने दो करोड़ के लगभग इस प्रदेश के अन्दर वृत्ति कर से आय है यह कर केवल मध्यम वर्ग और कर्मचारियों के ऊपर लगता है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि ७,५०० रुपये तक वार्षिक आय वाले लोगों से इस कर को समाप्त कर दें ?

श्री बलबीर सिंह—

इस समय इस पर विचार करने का शासन का कोई इरादा नहीं है ?

श्री रामगोपाल संड---

जो यह १ करोड़ ५०·५५ लाख की आय होती है इसको वसूल करने में इंसीडेन्टल चार्जेज कितने आते हैं ?

श्री बलबीर सिंह---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश के अन्दर केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी रहते हैं उन्होंने इस बात के लिए कुछ आन्दोलन उठाया हुआ है कि उनके ऊपर यह टैक्स नहीं लगना चाहिये जबकि दूसरे प्रदेशों में जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं उन पर यह नहीं लगता है ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई आन्दोलन उठा है या नहीं ।

कई सदस्य---

माईक ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, प्रश्न के ऊपर बतला दें कम से कम कि केंद्र सरकार के कर्मचारी ....

श्री अनन्तराम जायवाल---

जब तक माईक ठीक न हो, कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरा प्रश्न स्थगित कर दें, यह बड़ा महत्वपूर्ण है ।

श्री गोविन्द सिंह---

मेरा सुझाव है कि जब तक माईक ठीक न हो जाय, इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष---

पंद्रह मिनट के लिये कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

(इस समय ११ बज कर ५८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर १५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्न]

फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा बेसिक हेल्थ वर्करों को वेतन मिलने में विलम्ब

*१---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

क्या यह सही है कि फतेहपुर जिले के स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा बेसिक हेल्थ वर्करों का पिछले कई महीनों का वेतन रुका पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)--

जी नहीं, केवल २ स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा ६ बेसिक हेल्थ वर्करों का कुछ अवधि का वेतन विभिन्न अनियमितताओं के कारण यथा समय देना संभव नहीं हुआ ।

*२--ईश्वर दयाल त्यागी--

[सा० निर्माण मंत्री की प्रार्थना पर ३रे बुधबार के लिए स्थगित किया गया।]

*३-४--श्री हरनरायन--

[सा० निर्माण मंत्री की प्रार्थना पर ३ रे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की रेल यात्रा के सम्बन्ध में जांच

*५--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य ने वर्ष १९६७ में लखनऊ से बम्बई, लखनऊ से दिल्ली, और लखनऊ से बनारस की रवानगी व वापसी की रेल यात्रायें इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की बैठकों में भाग लेने के लिये तृतीय श्रेणी में यात्रायें की किन्तु किराया प्रथम श्रेणी का चार्ज किया, जिसकी जांच विजिलेन्स द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या निकला और क्या सरकार जांच की रिपोर्ट को पटल पर रखेगी ?

श्री अनवार अहमद--

जी हां । प्रश्नगत मामलों की विजालेंस द्वारा जांच हो रही है। अभी जांच के परिणाम ज्ञात नहीं हुये । अतः रिपोर्ट को पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में सरोजिनी नायडू अस्पताल तथा जिला अस्पताल में हड़ताल

*६--श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या सरकार को मालूम है कि आगरा सरोजनी नायडू तथा जिला अस्पताल की हड़ताल जिसमें कि इण्टर्न (प्रशिक्षणार्थी) डाक्टर करीब एक सप्ताह से हड़ताल कर रहे हैं और इस हड़ताल के कारण अस्पताल में मरीज बिना दवा व इलाज तथा देखभाल के हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त कराने का क्या प्रयत्न किया है ?

श्री अनवार अहमद--

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा के इण्टर्न डाक्टर १३-३-१९७० की सुबह हड़ताल पर चले गये थे । उसी शाम से जिला अस्पताल के इंटर्नस भी हड़ताल पर चले गये । इनके हड़ताल पर चले जाने से अस्पतालों के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी तथा मरीजों की देख भाल इलाज और दवा देने का काम इन अस्पतालों में नियुक्त अन्य डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी पूर्ण रूप से करते रहे । जिला अस्पताल के इन्टर्नस १५-३-७० की सुबह तथा सरोजिनी नायडू अस्पताल के इंटर्नस १६-३-७० की सुबह अपने काम पर वापस आ गये थे । इस समय वहां डाक्टरों की कोई हड़ताल नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालस नियमावली के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्न]

*१-२--श्री गेंदा सिंह तथा श्री गोपीनाथ दीक्षित--

[प्रश्न कर्ताओं के मंत्रि परिषद में समावेश के कारण उपास्त]

मेला रायगंज बीज भंडार, जिला बाराबंकी के खिलाफ जांच

*३—श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास मेला रायगंज बीज भंडार-जिला बाराबंकी से खाद को निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेंचने और निश्चित मात्रा से कम मात्रा में देने की शिकायतें ग्राम पंजरौली परगना वे ब्लाक दरियाबाद तहसील रामसनेही घाट जिला बाराबंकी के निवासियों की ओर से सितम्बर, १९६९ में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

जी हां । इन पर जांच की गई परन्तु शिकायतें निराधार पाई गईं ।

कोआपरेटिव फेडरेशन, हल्द्वानी के खिलाफ जांच

*४—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जिला नैनीताल हल्द्वानी स्थित कोआपरेटिव फेडरेशन में दो लाख का गबन १९६८–६९ के बीच में हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

गबन का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है । फैडेरेशन के संचालक मंडल को अवक्रांत कर दिया गया है । प्रशासक द्वारा जांच की जा रही है ।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, उरई के मंत्री व्यवस्थापक का स्थानान्तरण रुकना

*५—श्री राजेद्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले की किन सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के इन्सपेक्टर (सचिव) तथा पर्यवेक्षक उन संस्थाओं में अपने इस पद पर ६ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं तथा क्या यह सही है कि इस अवधि में उनके स्थानान्तरण होने पर पुनः स्थगित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जालौन जनपद की क्रय-विक्रय सहकारी समिति, उरई के मंत्री व्यवस्थापक, जो सहकारी निरीक्षक हैं, ६ वर्ष से अधिक समय से इस संस्था में कार्य कर रहे हैं । इनका स्थानान्तरण समिति के संचालक मंडल की मांग पर स्थगित किया गया ।

पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं आता चूंकि पर्यवेक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं है ।

*६—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केंद्रीय सरकार के उपमंत्री चौधरी रामसेवक का उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच तथा उनका स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में कोई पत्र मई, १९६९ से अगस्त, १९६९ के बीच प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां ।

सहकारी निरीक्षक के विरुद्ध अरोपों की जांच करायी गई, परन्तु जांच में कोई तथ्य नहीं मिला, जिससे भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो सके ।

खुर्जा व सिकन्दराबाद तहसील से भूमि संरक्षण विभाग के विरुद्ध शिकायतें

*७--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद व खुर्जा जिला बुलन्दशहर के किसानों ने भूमि संरक्षण विभाग की अनियमितताओं व समतल भूमि में डौलबन्दी जबरदस्ती करने की शिकायत जिलाधीश, बुलन्दशहर को माह अक्टूबर व नवम्बर, १९६९ में की है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शिवराज सिंह--

माह अक्टूबर, नवम्बर सन् १९६९ में तहसील सिकन्दराबाद व खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, के किसानों से तीन शिकायती-पत्र भूमि संरक्षण विभाग को कथित अनियमितताओं व समतल भूमि में जबरदस्ती डौलबन्दी कराने के संबंध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, को प्राप्त हुये थे । इन शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, बुलन्दशहर मे भूमि संरक्षण अधिकारी, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) द्वारा कराई । जांच करने पर सभी शिकायतें निराधार पाई गईं ।

[दिनांक २८ अप्रैल, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[५ वें बुधवार के लिए प्र० सं० १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ गन्ना विकास समिति, मेरठ में गबन

*३--श्री मंजूर अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ गन्ना विकास समिति, मेरठ में लगभग (चार लाख ४,००,००० रुपये) कर्मचारियों ने गबन कर लिया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह--

मेरठ गन्ना विकास समिति मेरठ में अब तक की रिपोर्ट के अनुसार गबन की धनराशि का अनुमान लगभग इकानवे हजार है। प्रारम्भिक जांच कराई जा चुकी है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथा एक कर्मचारी की सेवायें समाप्त करके शेष को निलम्बित कर दिया गया है ।

*४--श्री मन्जूर अहमद--

[३रे शुक्रवार के प्र० सं० २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५--६--श्री जगदीश गांधी--

[६ठे बुधवार के प्र० सं० ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७-८--श्री शिव कैलाश तथा श्री हरिवंश सहाय--

[६ठे बुधवार के ता० प्र० सं० ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[२रे सोमवार के ता० प्र० सं० ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[१३ वें बुधवार के ता० प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११—श्री इन्द्रलाल—

[७वें बुधवार के प्र० सं ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१२-१३—श्री रियासत हुसैन—

[दिनांक २० मार्च, १९७० को प्र० सं० २२-२३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है]

*१४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[१३वें बुधवार के प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा आमरण अनशन का अल्टीमेटम

*१५—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक २५ मार्च, १९६९ ई० को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि यह हाई पावर कमेटी बिठा दी गई है, या नहीं ?

श्री चरण सिंह—

जी हां ।

*१६-१७—श्री हरिवंश सहाय—

[३रे सोमवार के प्र० सं० २६-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*१९-२०—श्री नौनिहाल सिंह—

[सार्वजनिक निर्माण मंत्री की प्रार्थना पर ३रे बुधवार के लिये स्थगित]

*२१—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]

सहकारी निरीक्षक का स्थायीकरण

*२२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में सहकारिता इन्सपेक्टर (ग्रुप २) के पद पर नियुक्त कितने व्यक्ति दिनांक ३० अगस्त, १९६८ तक उक्त पद पर स्थायी किये जा चुके हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वर्ष १९५४ में नियुक्त किए गये सहकारी निरीक्षक (ग्रुप २) में से ३०-८-१९६९ तक एक सहकारी निरीक्षक को उक्त पद पर स्थाई किया जा चुका है ।

सहकारी निरीक्षकों को स्थायी करने की मांग

*२३—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता विभाग के कुछ निरीक्षकों का स्थायीकरण १२ साल से नहीं हुआ ? इस सम्बन्ध में सरकार के सम्मुख क्या कठिनाइयां हैं और उनका निराकरण कब तक होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। मामला लोक सेवा आयोग के विचाराधीन था। आयोग की संस्तुति प्राप्त हो गई है और अब शीघ्र ही स्थायीकरण के आदेश जारी हो जायेंगे।

सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता का अवशेष वेतन

*२४—श्री नगीना सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६७ में विकास खंडों के टूटने के पश्चात् उन विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी सहकारिता से मुख्यालय पर कार्य लिया जाता रहा किन्तु उन्हें कई महीनों के भुगतान नहीं हुये ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक भुगतान हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

१९६७ में विघटित विकास खण्डों के लगभग ११६ कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को नवम्बर, १९६७ से जनवरी १९६८ की अवधि का वेतन मिलना शेष है। इस अवधि के लिये इन पदों की स्वीकृति उपलब्ध न होने के कारण भुगतान न किया जा सका। स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

चाकीसेर्ण डिस्पेंसरी में डाक्टर न होना

*२५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में स्थान चाकीसेर्ण डिस्पेन्सरी में कब से डाक्टर नहीं और वहां कब तक डाक्टर भेज दिया जायगा ?

श्री अनवार अहमद—

चाकीसेर्ण डिस्पेन्सरी, जिला पौड़ी गढ़वाल में दिनांक ८ जनवरी, १९६९ से चिकित्सा अधिकारी नहीं था। अतः वहां दिनांक १४ नवम्बर, १९६९ से एक चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है।

*२६-२७—श्री रियासत हुसैन—

[अस्पष्टता तथा विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

सिकन्दराराऊ तहसील की कथित सहकारी कृषि उप-समिति

*२८—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि सहकारी कृषि उप-समिति तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ की इमारत जिसका तखमीना लगभग २०,००० रुपया था के सम्बन्ध में ठेकेदार को ५८,००० रुपया का भुगतान किया गया। यदि हां, तो यह ओवरपेमेन्ट किस आधार पर किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं। अलीगढ़ जनपद की तहसील सिकन्दाराऊ में सहकारी कृषि उप समिति नाम की कोई संख्या कार्य नहीं कर रही है।

पीपलगवां, सहकारी ऋण समिति में श्री गजराजसिंह द्वारा गबन

*२९—श्री जगदीश गांधी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पीपलगांव, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ की सहकारी क्रेडिट समिति में ग्राम प्रधान, श्री गजराज सिंह द्वारा लगभग ५०,००० रुपया के गबन के बारे में प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या ५३८-डी० एस० आर० ६९—७०, दिनांक १४ अप्रैल, १९६९ उन्हें प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो इस मामले की छानबीन के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। इस मामले में सरपंच श्री गजराज सिंह के विरुद्ध ४३,००० रु० की वसूली के लिये सालसी कार्यवाही चल रही है।

सामूहिक सहकारी खेती समिति, भींड़ में धन का दुरुपयोग

*३०—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जालौन जिले की सामूहिक सहकारी खेती समितियों में सन् १९६७-६८ में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हजारों रुपयों का दुरुपयोग और १०,००० (दस हजार) रुपयों तक का गबन किया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी कृषि सहकारी समितियां हैं। क्या सरकार उनकी नामवार सूची सदन के समक्ष रखेगी और कौन-कौन से पदाधिकारी उसके जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करा कर सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जालौन जिले में भींड सामूहिक सहकारी खेती समिति लि० में वर्ष १९६७-६८ में ६,००२ रु० दुरुपयोग होने की सूचना सहायक निबन्धक जालौन को मिली थी। श्री ज्वाला प्रसाद दीक्षित. सरपंच के विरुद्ध सालसी कार्यवाही चल रही है।

*३१—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जालौन जिले के सामूहिक सहकारी खेती समितियों में सरकारी कर्मचारी १९६५ से समिति के सभापति एवं सदस्य वगैर सरकार की आज्ञा के रह रहे हैं और सभापति काल में, तहसील का गबन १९६८-६९ में करते रहे हैं ? क्या सरकार जांच कराकर बतायेगी कि कितनी तहसील का एडजस्टमेंट करा दिया गया है तथा कौन-कौन से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जालौन जिले में भैंड सामूहिक सहकारी खेती लि० में कुछ सरकारी कर्मचारी सदस्य तथा पदाधिकारी रहे। सहकारी समितियों की सदस्यता आदि के लिये शासन की अनुमति आवश्यक नहीं है।

१९६८ में ५५५ रु० ३४ पैसे समिति की तहवीज में जमा न करने के अरोप पर कोषाध्यक्ष के विरुद्ध सालसी कार्यवाही चल रही है।

*३२—श्री रामचन्द्र विकल—

[४थे बुधवार के प्र० सं० ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ जिले में रामकिशुन विन्द की बलात नसबन्दी

*३३—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत दिनांक २८ सितम्बर, १९६९ ई० को रानीगंज थाने के समीप श्री राम किशुन विंद जो पुत्र विहीन और जिसकी अवस्था लगभग बीस वर्ष की है, की बलात नसबन्दी करा दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस आशय का एफ० आई० आर० उक्त व्यक्ति ने दिनांक २९ सितम्बर, १९६९ को रानीगंज थाने में दर्ज कराया है और जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को भी लिखित सूचना दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और दोषी कर्मचारियों को क्या दंड दिया गया ?

श्री अनवार अहमद—

२८ सितम्बर, १९६९ को श्री राम किशुन जिनकी आयु ३४ वर्ष तथा जिनके दो बच्चे बताये गये थे, की नसबन्दी रानीगंज में उनकी स्वेच्छा से की गई थी इस आशय की कोई एफ० आई० आर० नहीं लिखाई गई ।

*३४—श्री रामदेव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक २९ सितम्बर, १९६९ ई० एवं ३० सितम्बर, १९६९ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित श्री राम किशुन विन्द आदि की बलात नसबन्दी विषयक पत्र जो स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री को, कमिश्नर फैजाबाद को एवं जिला अधिकारी प्रतापगढ़ को सम्बोधित था मिला है तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अनवार अहमद—

प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिया गया दिनांक ३०-९-६९ का पत्र जो जिला अधिकारी को सम्बोधित है तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, नेता विरोधी दल, नेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एवं कमिश्नर, फैजाबाद को पृष्ठांकित है पर जिला अधिकारी ने स्वयं जांच आरम्भ की परन्तु यह जांच उपरिकथित केस हो जाने के कारण स्थगित है ।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में रिक्त स्थान

*३५—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज में कितने प्रोफेसर रीडरों तथा लेक्चररों तथा अन्य वर्गों के डाक्टरों, नर्सों तथा कर्मचरियों के पद रिक्त हैं ?

श्री अनवार अहमद—

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में एक रीडर, चार लेक्चरर तथा एक लिपिक के पद अभी खाली हैं ।

*३६—श्री रामगोपाल संड—

सरकार इन पदों को कब तक नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण द्वारा पूरा करने का विचार कर रही है ? क्या मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य ने इस विषय में सरकार से कोई मांग की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अनवार अहमद—

मेडिकल कालेज में इन खाली पदों को यथाशीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है और आशा है कि इन पदों पर निकट भविष्य में तैनाती की जा सकेगी । प्रिंसिपल द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी किसी विशिष्ट मांग की जानकारी शासन को नहीं है ।

तिलहर तहसील में चिकित्सालय खोलने का विचार

*३७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में एक चिकित्सालय खोलने हेतु १९६९ से लेकर सन् १९६९ तक राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री को विधायकों तथा जनता द्वारा प्रार्थना पत्र दिये गये जिनकी जांच भी सिविल जज, शाहजहांपुर द्वारा हुई ? यदि हां तो अभी तक चिकित्सालय न खोलने का क्या कारण है और उपरोक्त गांव में कब तक चिकित्सालय खोलने का विचार है ?

श्री अनवार अहमद—

१९६९ में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। बजट में सीमित प्राविधान होने के कारण तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में चिकित्सालय अब तक स्थापित नहीं किया जा सका। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अभी आठ चिकित्सालय और खुलने हैं और उनको स्थापना के समय तहसील तिलहर में भी चिकित्सालय स्थापित करने के संबंध में विचार कर लिया जायगा।

जिला परिवार नियोजन कार्यालय, बलिया में नियुक्तियां

*३८—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया परिवार नियोजन कार्यालय में सन् १९६७ से लगायत ३० अक्तूबर सन् १९६९ तक कितनी नियुक्तियां किस किस पद के लिये की गई हैं और इन नियक्तियों में कितने व्यक्तियों का नाम स्थानीय रोजगार कार्यालय से आया था ?

श्री अनबार अहमद—

जिला परिवार नियोजन कार्यालय, बलिया में कथित अवधि में स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के चपरासियों की ७ नियुक्तियां की गई हैं और इन नियक्तियो में ५ व्यक्तियों के नाम स्थानीय रोजगार कार्यालय से आये थे।

विकास क्षेत्र मुरादनगर, जिला मेरठ में अस्पताल न होना

*३९—श्री ईश्वर दयाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि क्षेत्र मुरादनगर, जिला मेरठ में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादनगर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल खोलने का कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री अनवार अहमद—

विकास क्षेत्र, मुरादनगर जिला मेरठ, में एक सरकारी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत है। इसके अलावा विकास क्षेत्र मुरादनगर के ग्राम पटला में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा ग्राम रिवडोरा में एक जिला परिषद् का आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी कार्य कर रहा है।

बाकी प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिले में दिउली न्याय पंचायत में चीनी की कथित चोरबाजारी

*४० श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार की जानकारी है कि तहसील व जिला बलिया के अन्तर्गत दिउली न्याय पंचायत में शिवपुर नम्बरी नामक कोई गांव नहीं है किन्तु इस न्याय पंचायत के राजकीय सस्ते गल्ले के दुकानदार ने सन् १९६७ और १९६८ ई० में शिवपुर नम्बरी नामक गांव की आबादी करीब ४

हजार दिखाकर सरकारी चीनी और गल्ला का कोटा उठाया और चोर बाजारी में बेच डाला यदि हां तो सरकार ऐसे दुकानदार और सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

तहसील व जिला बलिया में दिउली न्यायपंचायत के अन्तर्गत शिवपुरी नम्बरी नामक कोई गांव नहीं है। यह गांव अखार न्याय पंचायत के अन्तर्गत है । अखार न्याय पंचायत का दुकान दार चीनी का कोटा नही उठाता था इसलिये इस गांव के चीनी वितरण के प्रयोजन के लिये दिउली न्याय पंचायत से जोड़ दिया गया था। ग्राम सभा जनाड़ी के प्रधान के निर्देशन पर चीनी का कोटा वितरित किया गया और चीनी की कोई चोर बाजारी नही हुई। दिवली न्याय पंचायत के दुकानदार को कोई सरकारी गल्ला नही दिया गया। चूंकि कोई चोरबाजारी नही हुई, दिउली के दूकानदार या किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिले में सस्ते गल्ले की दूकानों को गल्ला न मिलना

*४१—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जनवरी, १९७० में बलिया जिला के अन्तर्गत सरकारी गोदामों में अन्न का भंडार उचित मात्रा में न होने के कारण देहाती क्षेत्र के बाढ क्षेत्र और सूखा क्षेत्रों में संचालित राजकीय सस्ते गल्ले के दूकाननदारों को उनके यूनिट के हिसाब से गल्ला नहीं दिया जा रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी गल्ला यूनिटों के अधार पर नहीं दिया जाता बल्कि पिछले कुछ माह की खपत एवं उस समय राजकीय गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति को ध्यान में रखकर सस्ते गल्ले की दूकानों का एलाटमेन्ट किया जाता है।

सोरों अस्पताल का प्रान्तीयकरण

*४२—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोरों, जिला एटा के अस्पताल का प्रान्तीय-करण करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। परन्तु इसके प्रान्तीयकरण की तिथि बताना अभी संभव नहीं है।

*४३—श्री श्रीचन्द्र—

(सा० निर्माण मंत्री की प्रार्थना पर ३रें बुधवार के लिये स्थगित)

*४४—श्री श्रीचन्द्र—

[३ रे बुधवार के प्र० सं० ९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ जिले में कृषि फार्मों का उत्पादन तथा आय-व्यय

*४५—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में कितने और कहां-कहां राजकीय कृषि फार्म हैं और उनमें प्रत्येक वर्ष में १९६६–६७; १९६७–६८, १९६८–६९ में पृथकपृथक कितना उत्पादन किस-किस जिन्स का हुआ और प्रति एकड़ उत्पादन का औसत क्या रहा ?

श्री शिवराज सिंह—

अलीगढ़ जिले में निम्नलिखित ६ राजकीय कृषि फार्म हैं :

१—कलाई

२—सोमना

३—लोधा

४—रतनपुर

५—तेहरा

६—अलीगढ़ ।

उक्त प्रत्येक फार्म पर वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में अलग-अलग जिन्सवार कुल उत्पादन तथा प्रति एकड़ औसत उत्पादन के आंकड़े सदन की मेज पर रखी †परिशिष्ट 'क–१' से 'क–६' में दिये हुये हैं ।

*४६—श्री कल्यान सिंह—

उपरोक्त राजकीय कृषि फार्मों में प्रत्येक पर वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ और १९६८–६९ में अलग-अलग कुल कितना व्यय एवं कितनी आय हुई ?

श्री शिवराज सिंह—

उक्त प्रत्येक फार्म में वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में कुल व्यय तथा आय के आंकड़े सदन की मेज पर रखी †परिशिष्ट "ग" में दिये हुये हैं ।

*४७–४८—श्री शेर सिंह दानू—

[प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस लिये गये ।]

रंधावा अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें

*४९—श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि रायबरेली जिले के लालगंज स्थित रंधावा अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध जनता तथा जिले के अधिकारियों ने हाल में कुछ आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां ।

उक्त डाक्टर के विरुद्ध कर्त्तव्य हीनता, लापरवाही, भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोप लगाये गये थे । इन शिकायतों पर जांच करायी गयी परन्तु आरोपों की पुष्टि न हो पायी ।

ऋषिकुल आयुर्वेद कालेज, हरिद्वार में छात्रों की हड़ताल

*५०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकारी सहायता प्राप्त ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालिज, हरिद्वार के छात्र पूर्ण हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो कब से और उनकी क्या मांगें हैं तथा सरकार उनमें से किन-किन मांगों को स्वीकार करना चाहती है और किन को नहीं ?

---

†छापा नहीं गया ।

श्री अनवार अहमद—

जी हां। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार के छात्र २९ जनवरी, १९७० से हड़ताल पर हैं। उनकी निम्नलिखित दो मांगें हैं—

(१) यह कि उक्त कालेज को तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध और भी आयुर्वेदिक कालेजों को किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराया जाय।

(२) उक्त कालेज से निकलने वाले स्नातकों के लिये निकटवर्ती जिला अस्पतालों में हाउस जाब की सुविधा देने की व्यवस्था की जांय।

२—उपर्युक्त मांगों में पहली मांग के विषय में दिनांक ११ मार्च, १९७० को सदन में वक्तव्य दिया जा चुका है। दूसरी मांग अभी शासन के विचाराधीग है?

चम्बा, मसूरी फल पट्टी में प्लाट्स का आवंटन

*५१—श्री गोविन्द सिंह—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मसूरी चम्बा फल पट्टी में अब तक कितने प्लाट्स का वितरण और किस आधार पर किया गया है? इन प्लाटस में से कितने भूमिहीनों को दिये गये हैं और कितने राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को दिये गये हैं?

श्री शिवराज सिंह—

चम्बा मसूरी फल पट्टी में अब तक १९५ प्लाटस का आवंटन किया गया है। आवंटन शासन द्वारा गठित समिति ने किया। आवंटन की शर्तें व प्राथमिकतायें भी शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं। भूमिहीनों को छः प्लाट्स दिये गये हैं। राजपत्रित अधिकारियों को १२ प्लाट्स तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को ९ प्लाट्स मिले हैं।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, बरेली के विरुद्ध आरोप

*५२—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा), तथा श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि०, लखनऊ संचालक मण्डल ने अपनी बैठक दिनांक २ अगस्त, १९६९ के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा वर्तमान सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बरेली पर लाखों रुपये के गबन में सम्मिलित होने का आरोप लगाया है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यू० पी० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ के संचालक मण्डल ने अपने प्रस्ताव दिनांक २-८-६९ के द्वारा सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, बरेली के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि वह कुछ सहकारी समितियों में ऋण वसूली तथा ऋण वितरण में हुई अनियमितताओं के लिये दोषी हैं।

*५३—श्री भारत सिंह चौहान तथा श्री शफीक अहमद खां—

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सहायक निबन्धक के विरुद्ध उपरोक्त बैंक ने दिनांक २० सितम्बर, १९६९ को सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बरेली को रिपोर्ट करके गबन सम्बन्धी मामले में उचित कार्यवाही की मांग की?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। पुलिस अधीक्षक को उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।

जनाना अस्पताल, कड़ा में लेडी डाक्टर न होना

*५४—श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के कड़ा जनाना अस्पताल में सन् १९६२ से लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब तक उनकी नियुक्ति की जायगी ?

श्री अनवार अहमद—

उक्त अस्पताल में ५ नवम्बर, १९६१ से लेडी डाक्टर नहीं है। जैसे ही कोई लेडी डाक्टर उपलब्ध होगी वहां भेजी जायगी ।

*५५-५६—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

[सा० निर्माण मंत्री की प्रार्थना पर ३रे बुधवार के लिये स्थगित]

जिला कृषि अधिकारी, बरेली के विरुद्ध आरोप

*५७—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको जिला कृषि अधिकारी, बरेली के विरुद्ध दिनांक २३ मई, १९६९, १० जुलाई, १९६९, २० जुलाई, १९६९, १२ जनवरी, १९७० और २५ फरवरी, १९७० को कुछ आरोप पत्र मिले हैं जिनको श्री बिशुन लाल तथा उमादत्त शर्मा और ईश्वर दयाल त्यागी, एम० एल० एज० ने भेजा है ? यदि हां, तो आरोप क्या है तथा इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां, यह सत्य है कि जिला कृषि अधिकारी, बरेली के विरुद्ध कुछ शिकायती पत्र दिनांक १०-७-१९६९, २०-७-१९६९ तथा १२-१-१९७० के मिले हैं। दिनांक २३-५-१९६९ एवं २५-२-१९७० के शिकायती पत्र प्राप्त हुये प्रतीत नहीं होते हैं। उपलब्ध शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोपों के विषय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वस्तुस्थिति का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए शासन ने इस विषय में विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपने का निश्चय किया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६००-६०३ पर)

प्रसार शिक्षकों के चुनाव में हरिजन

*५८—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष में कोई परिवार नियोजन विभाग में प्रसार शिक्षकों का चुनाव जिले के जिलाधीशों द्वारा हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कितने प्रसार शिक्षक लिये गये हैं ? उनका आधार क्या रहा है ?

श्री अनवार अहमद—

कोई नहीं ।

*५९—श्री राम लाल राही—

क्या यह भी जानकारी देने की कृपा करेंगे कि कुछ विभागीय पदोन्नतियां की गई है ? यदि हां तो उनमें कितने हरिजनों की पदोन्नतियां की हैं ?

श्री अनवार अहमद—

कुल लोगों की वरिष्ठता तथा कार्यकुशलता के आधार पर तदर्थ रूप में विभागीय पदोन्नतियां की गई हैं किन्तु उनमें हरिजन कोई नहीं है ।

कानपुर में राशनिंग विभाग के कर्मचारियों की मुलाजमत

*६०—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कानपुर की सम्पूर्ण राशनिंग की समाप्ति के पश्चात् मई, १९६८ से सितम्बर, १९६८ तक, राशनिंग विभाग में कार्य करने वाले कुल कितने कर्मचारियों की खाद्य विभाग में ज्येष्ठ निरीक्षकों और जिला पूर्ति निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां की गईं ? इन कर्मचारियों में अन्य विभागों से परप्लस किये गये कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी थी और इनका संबंध किन-किन विभागों से था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कानपुर में सम्पूर्णराशनिंग की समाप्ति के पश्चात् मई सन् १९६८ से सितम्बर, १९६८ तक राशनिंग विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से ६ कर्मचारी ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर तथा २४ कर्मचारी पूर्ति जांच निरीक्षक के पद पर पुनः खाद्य विभाग में नियुक्त किये गये । ६ कर्मचारी जो ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये उनमें से ५ उद्योग विभाग के तथा १ गजेटियर विभाग का था । इसी प्रकार २४ कर्मचारी जो पूर्ति जांच निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये थे उनमें से १७ उद्योग विभाग, ४ निर्वाचन विभाग के तथा १ लेबर (श्रम) विभाग १ सिंचाई तथा १ हरिजन कल्याण विभाग का था ।

*६१—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या यह सत्य है कि सचिवालय के वह कर्मचारी जिन्होंने कानपुर में राशनिंग का कार्य किया था उनमें से न तो किसी कर्मचारी को ज्यष्ठ निरीक्षक के पद पर और न ही किसी को जिलापूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्य करने का अवसर दिया गया बल्कि उन्हें समान वेतन-क्रम के नाम पर सचिवालय पुनः वापस लौटा दिया गया ? क्या सचिवालय लौट आने के उपरान्त कुछ कर्मचारियों ने जो खाद्य विभाग में कार्य करना चाहते थे उस समय के खाद्य सचिव एवं आयुक्त को रिप्रेजेंटेशन दिया था ? उक्त रिप्रेजेंटेशन पर क्या कार्यवही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं, सचिवालय के कर्मचारियों में से जिन्होंने कानपुर राशनिंग के अन्तर्गत रु० १२०–२५० के वेतन-क्रम में सीनियर इन्सपेक्टर के पद पर कार्य किया था दो व्यक्तियों को सचिवालय में वापस नहीं लिया गया और उन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिए खाद्य विभाग में पूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया, इसी प्रकार एक अस्थायी टाइपिस्ट को आर्थिक क्षति से बचाने के लिये खाद्य विभाग में सीनियर इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया । अन्य कर्मचारी जो सचिवालय में वापस लिये गये उनको समान वेतन-क्रम में वापस लिया गया और इनको कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है । तीन कर्मचारियों ने खाद्य विभाग में नियुक्ति हेतु अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था । उनमें से १ कर्मचारी जो अस्थायी था खाद्य विभाग में खपाया गया और १ स्थायी होने के कारण न लिया जा सका तथा १ कर्मचारी का मामला विचाराधीन है ।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम

*६२—श्री गोविन्द सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना की गयी और निगम के बोर्ड में कौन-कौन से पदाधिकारी हैं ? क्या मंत्री जी निगम के विधान की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना दिनांक ३ मई, १९६५ को हुई थी। निगम के बोर्ड में निम्नलिखित पदाधिकारी हैं:—

१—मुख्य सचिव	अध्यक्ष
२—वित्त सचिव	सदस्य
३—खाद्य सचिव	,,
४—नियुक्ति तथा सामान्य प्रशासन सचिव	,,
५—उद्योग सचिव	,,
६—उद्योग निदेशक	,,
७—अधिशासी निदेशक कर्मचारी कल्याण निगम	,,

कल्याण निगम के मेमों आफ एसोसियेशन तथा रूल्स आफ ऐसोसियेशन की† एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है।

*६३—श्री गोबिन्द सिंह—

उपरोक्त निगम के अन्तर्गत राज्य में अब तक कितने और कहां-कहां डिपो खोले गये हैं और इनके खोलने के लिए क्या आधार माना गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मई, १९६५ से दिसम्बर, १९६६ तक ३४ दूकानें नीचे दिये गये स्थानों में खोली गयी:—,

(१) लखनऊ (सचिवालय), (२) इलाहाबाद, (३) वाराणसी (४) आगरा (५) इटावा, (६) सीतापुर, (७) फर्रुखाबाद, (८) गोरखपुर (९) देवरिया (१०) बलिया (११) गाजीपुर (१२) मुरादाबाद, (१३) बरेली (१४) हरदोई, (१५) कानपुर, (१६) उन्नाव, (१७) लखनऊ, (परिवहन आयुक्त कार्यालय), (१८) लखनऊ (मुख्य अभियंता कार्यालय), (१९) बाराबंकी (२०) फैजाबाद (२१) जौनपुर (२२) मिर्जापुर, (२३) बहराइच, (२४) लखीमपुर—खीरी (२५) प्रतापगढ़, (२६) फतेहपुर, (२७) रायबरेली, (२८) गोंडा (२९) बस्ती, (३०) आजमगढ़ (३१) सुल्तानपुर, (३२) हमीरपुर, (३३) उरई, (जालौन), (३४) झांसी।

इनमें से निम्नलिखित २३ दूकानें मार्च, १९६८ से बन्द कर दी गयीं:

(१) मुरादाबाद, (२) बरेली, (३) हरदोई, (४) कानपुर, (५) उन्नाव, (६) लखनऊ, (परिवाह आयुक्त कार्यालय), (७) लखनऊ (मुख्य अभियंता कार्यालय), (८) बाराबंकी, (९) फैजाबाद, (१०) जौनपुर, (११) मिर्जापुर, (१२) बहराइच, (१३) लखीमपुर-खीरी (१४), प्रतापगढ़, (१५) फतेहपुर, (१६) राय बरेली, (१७) गोंडा, (१८) बस्ती,

---

† छापी नहीं गयी।

(१९) आजमगढ़, (२०) सुल्तानपुर, (२१) हमीरपुर, (२२) उरई (जालौन), (२३) झांसी ।

दूकानें किसी न किसी सरकारी कार्यालय के अन्दर खोली जाती हैं । उपयुक्त स्थान तथा बिजली उस कार्यालय को जहां दूकान खोलने का प्रस्ताव हो निगम से बिना कोई किराया या खर्चा लिये देना होता है। यह भी देखा जाता है कि जहां दूकान खोली जायं वहां पर औसतन बिक्री १५,००० रु० माहवार होने की संभावना हो ।

ईख अनुसन्धान केन्द्र, शाहजहांपुर के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कथित जांच

*६४—श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि संविद शासन काल में शाहजहांपुर शुगर केन रिसर्च इन्स्टीट्यूट में काम करने वाले किन-किन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विजीलेंस द्वारा जांच कराई गई ? क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवराज सिंह—

संविद शासन काल में ईख अनुसंधान केंद्र, शाहजहांपुर में काम करने वाले किसी भी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराने के आदेश नहीं दिये गये थे ।

लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर में आर्थोपेडिक विभाग के लिए पृथक् आपरेशन थियेटर की मांग

*६५—श्री उमाशंकर शुक्ला—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में हड्डी के रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये सरकार लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में आर्थोपेडिक विभाग के लिए जनरल सर्जरी से पृथक् आपरेशन थियेटर और नर्सिंग स्टाफ की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं ।

*६६—श्री राम पूजन पटेल—

[६ठे मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर क्षेत्र के केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का आय-व्यय

*६७—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर क्षेत्र में चल रहे केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडारों में सहकारी वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८, तथा १९६८–६९ में कितना-कितना लाभ-हानि हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

गोरखपुर क्षेत्र में चल रहे चार केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडारों के बारे में वांछित सूचना संलग्न तालिका में उल्लिखित है ।

[देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ ६०४ पर]

डाक्टर जी० एच० खान, अतरौलिया डिस्पेन्सरी का स्थानान्तरण रद्द करना

*६८—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ३ दिसम्बर सन् १९६९ को डाक्टर जी० एच० खान डिस्पेंसरी, अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध चरित्र-हीनता के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के उपरान्त स्थानान्तरण के आदेश दिये थ ? यदि हां, तो किन कारणों से बाद में उसे रद्द कर दिया गया ?

श्री अनवार अहमद—

भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इनके स्थानान्तरण के आदेश दिये थे परन्तु बाद में उन्होने उन आदेशों को रद्द कर दिया था । उनके विरुद्ध शासन को कोई ऐसी लिखित शिकायतें नहीं प्राप्त हुई थीं ।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय डेरी, आगरा को हानि

१—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय डेरी, आगरा जनता के उपयोग के लिए कितना दुग्ध वितरण करती है तथा उसे सन् १९६७-६८, १९६८—६९ में कितना लाभ हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

राजकीय डेरी, आगरा ने वर्ष १९६७—६८ तथा १९६८—६९ में क्रमशः रु० ५,९१,०२१ तथा ५,६६,६०८ लीटर दुग्ध वितरण किया तथा इन दो वर्षों में उसे क्रमशः ६३,७८९ रुपये तथा ९१,७३२ रुपये की हानि हुई ।

राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्रों से दुग्ध वितरण

२—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में कुछ राजकीय लाइव स्टाक-कम-एग्रिकल्चर फार्मों से भी दुग्ध वितरण होता है ? यदि हां, तो कौन से फार्मों से कितना दुग्ध का वितरण किया जाता है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्रों पर पशु प्रजनन का कार्य होता है और उनमें से १३ क्षेत्रों पर दुधारू पशु इस उद्देश्य से पाले जाते हैं । उनसे दूध का जो उत्पादन होता है उसको विभिन्न क्षेत्रों पर सुविधानुसार विक्रय किया जाता है। जून, १९६९ से जनवरी, १९७० तक कुल ११,१४,२२१ किलोग्राम दूध का वितरण हुआ, जिसका फार्मवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६०५ पर)

विकास क्षेत्र, निधौली कलां द्वारा खाद वितरण

३—श्री गंगा सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खंड विकास, निधौली, जिला एटा में सन् १९६८—६९ में किन-किन एजेंसियों द्वारा खाद क्रय हुई और कुल कितनी खाद वितरित हुई ?

श्री शिवराज सिंह—

विकास क्षेत्र, निधौली कलां, जिला एटा में सन् १९६८–६९ में निम्नलिखित दो प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा खाद का क्रय एवं विक्रय किया गया:

क्रम-सं०	एजेंसी का नाम	क्रय की गई खाद की मात्रा मैट्रिक टन में	विक्रय की गई खाद की मात्रा मैट्रिक टन में
१	सर्वश्री उपेन्द्र कुमार महेश्वरी, मिरहची, एटा	७.५५०	७.५५०
२	सर्वश्री खिलाड़ी रमेश चन्द्र, निधौली कलां, एटा	४.५५०	४.५५०
	योग ..	१२.१००	१२.१००

उपरोक्त प्राईवेट एजेंसियों के अलावा इस विकास क्षेत्र में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा भी निम्नलिखित मात्रा में खाद वर्ष १९६८–६९ में बांटी गई:

क्रम-सं०	खादों की किस्म (एन०पी०के० में)	कृषि विभाग मैट्रिक टन में	सहकारिता विभाग मैट्रिक टन में
१	नत्रजनिक (एन) ..	१४३.००	११८.५००
२	फास्फेटिक (पी) ..	५९.५००	४८.०००
३	पुटासिक (के) ..	६९.०००	२१.५००
	योग ..	२७१.५००	१८८.०००

सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली तथा जौनपुर जिलों में नसबन्दी

४—श्री जगननाथ खन्ना—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली तथा जौनपुर के परिवार नियोजन के स्वास्थ्य सहायकों ने दिनांक १ दिसम्बर, १९६८ से ३१ दिसम्बर, १९६९ तक अपने क्षेत्रों में कितने-कितने लोगों की नसबन्दी कराई है और उस में क्षेत्र के बाहर के लोग कितने हैं?

श्री अनवार अहमद—

प्रश्नगत अवधि में संबंधित चार जिलों में परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों ने निम्न विवरण के अनुसार लोगों की नसबन्दी कराई:

जिले का नाम	क्षेत्र के अन्दर के लोग		क्षेत्र के बाहर के लोग	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
१—सहारनपुर	२६६	१३८	५०	४६
२—मुरादाबाद	५७८	१४	१६९	१०
३—बरेली ..	२७९	—	८	—
४—जौनपुर	७३३	—	—	—

५—श्री राम पूजन पटेल तथा श्री हरिवंश सहाय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९७०†

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९७० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या संख्या ६, १९७०) को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७०†

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृत्ति , व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (संशोधन) अध्यादेश ,.१९७० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९७०) को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७०†

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्य काल का विस्तरण) अध्यादेश, १९७० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८, १९७०) को सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति‡

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट , १९४८ ई० की धारा ३,-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९२२—दस, दिनांक ३१ मार्च, १९७० को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७०‡

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३९८६/१७, १४ (११) , ६७, दिनांक दिनांक २ मार्च १९७० के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (पंचम संशोधन) नियमावली १९७० को उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम १९५२ की धारा ५ की उप धारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।
‡छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६०६–६०८ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन की पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६०९ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियम और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६१० पर)

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० में दिये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६११ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६१२ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री*कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ११ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् नें अपन दिनांक २० मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २२ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने १३ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक २१ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २२ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने १२ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १६ मार्च, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २२ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का चतुर्थ अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने १० मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान

परिषद् ने अपने दिनांक १३ मार्च, १९७० के उपवेश में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का पांचवा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियम और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ९ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १२ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन, तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ११ मार्च १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक २० मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक ११ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक २१ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन १९७० का उत्तर प्रदेश का ८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधाना सभा ने १२ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक २१ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह १९७० का उत्तर प्रदेश का ९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने १० मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपन दिनांक १३ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २२ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने १० मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक १३ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाक ३१ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन्, १९७० का ११वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने ३ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाक ११ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ७ अप्रैल, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने ३ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ११ मार्च १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ७ अप्रैल, सन् १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने ३ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १२ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ७ अप्रैल, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करना हूं उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ११मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने २० मार्च १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ७ अप्रैल, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेण्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं उत्तर प्रदेश (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ९ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक १२ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ७ अप्रैल, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ९ मार्च, १९७०के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक १२ मार्च, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ७ अप्रैल, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया।

१९७०-७१ के लिए अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं यह सूचना दे रहा हूं कि १९७०-७१ के लिये अधिष्ठाता मण्डल के ये लोग सदस्य होंगे—

१—श्री रामधारी शास्त्री

२—श्री होतीलाल अग्रवाल

३—श्री राम सिंह
४—श्री हरिनाथ तिवारी
५—श्री नित्यानन्द स्वामी
६—श्री रामचन्द्र विकल
७—श्री जगवीर सिंह
८—श्रीमती बेगम हबीबउल्ला
९—श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)
१०—श्री उदित नारायन ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्य निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक २७ अप्रैल, १९७० की बैठक में सदन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं—

(१) २८ व २९ अप्रैल, १९७० को असरकारी कार्य होगा ।

(२) ३० अप्रैल, १९७० को निम्नलिखित तीन विधेयकों पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव लिये जायेंगे—

(क) भारतीय दण्ड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

(ख) उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७०, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

(ग) उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

(३) १ मई, १९७० को निम्नलिखित विधेयक निम्न क्रम में लिये जायेंगे—

(क) उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन)

(ख) उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकारी अस्थान ठेकेदारी विनाश (संशोधन) विधेयक, १९७० ।

किन्तु इस प्रश्न पर कि १ मई, १९७० को तथा शनिवारों को बैठक हो या न हो कार्य-मंत्रणा समिति की २९ अप्रैल, १९७० को सदन की बैठक के बाद होने वाली बैठक में, विचार किया जायगा ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गैर सरकारी प्रस्ताव है उनके संबंध में भी क्या कार्यमंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से समय का आवंटन किया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सदन की इच्छा पर है कि जब तक वह चाहे गैरसरकारी प्रस्ताव को चलावें। जो चाहते हैं वे क्लोजर मूव कर सकते हैं यह उनको अधिकार है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मौजूदा घोषणा के अनुसार ३० जून तक इस सदन के चलने की सम्भावना है। इस मौसम को देखते हुए अगर सदन के नियम १५ को जिसमें समय ११ बजे से ५ बजे तक का दिया है, आप निलम्बित करके ७ बजे से १ बजे तक करदें तो ज्यादा उचित होगा ताकि इस मौसम में बजट पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष—

२९ तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी उसमें इस प्रश्न पर विचार किया जायगा। चूंकि मेरे पास आपने लिखकर भेज दिया है तो उस पर विचार होगा।

(कुछ रुककर)

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन का संकल्प

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सन्मुख यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन संकल्प करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद् का उत्सादन किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस पर एक बार नहीं अनेक बार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रदेशों में और लोक सभा के अन्दर विचार हो चुका है . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप २५ मिनट तक बोलेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप मुझे रोकें नहीं मैं २५ मिनट के अन्दर समाप्त करने की चेष्टा करूंगा। इस प्रश्न के मूल में जो भूमिका है उसको समझने की आवश्यकता है। यह बात निर्विवाद है और इसमें दो राय नहीं है कि लगभग सभी दलों ने लगभग शब्द का प्रयोग मैं इसलिये करता हूं कि कुछ दल ऐसे हैं जिनका जन्म १ डेढ़ साल पहले हुआ है, वह इस संबंध में क्या अपने विचार रखते हैं यह जानने का मौका नहीं मिला है, आज उसके बारे में वह अपने विचार रखेंगे— किन्तु जो स्थायी दल है और जिन दलों ने इस देश की राजनीति को प्रभावित किया है उस प्रत्येक दल ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि देश के अन्दर जो विधान परिषदें हैं, जो अपर हाउसेज हैं वह इस देश के अन्दर न केवल एक प्रकार से भार है बल्कि अनावश्यक है। आप इस पर विचार करें कि इन विधान परिषदों का जन्म कैसे हुआ। यह तो आप मानेंगे ही कि हमारे संविधान में दूसरे देशों के विधानों की नकल की गई है। हमने इंगलैंड और अमेरिका के विधानों की नकल करके कुछ चीजों को अपने यहां लिया है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है वह प्राप्त करने के योग्य नहीं था या जो कुछ हमने प्राप्त किया है

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

वह सब प्राप्त करने के योग्य था। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें हमने ऐसी प्राप्त कर लीं जो हमारे देश के अन्दर आवश्यक नहीं थी, जिनको अगर हम न लेते तो हमारा काम चल सकता था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपर हाउस है, जो दूसरा सदन है वह आरम्भ कब हुआ। १८८६–८७ में अमेरिका के अन्दर सर्वप्रथम विधान निर्माताओं ने फिलेडलफिया के अन्दर अपनी एक कांन्फ्रेंस की। वह इस निर्णय पर नहीं पहुंचे कि हमारे यहां एक सदन हो या दो सदन हों। उस प्रश्न पर उनमें आपस में एक कम्प्रोमाइज हुआ। आपस में एक समझौता का फारमूला हुआ और उसके लिये यह तर्क दिया गया कि अमरीका में चूंकि बहुत सी रियासतें थीं और उन सब को मिलाकर एक फेडरल गवर्नमेंन्ट बनाई जा रही थी, अतः उन सब रियासतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए वहां एक सदन की अलग से स्थापना की गई थी। इस चीज को वहां एक आपसी समझौते में मान लिया गया। फिर यही सवाल इंगलैन्ड में भी आया, वहां भी कुछ प्रिविलेज्ड क्लास के लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे कि जिन को "पीयर्स" बोलते हैं। परम्परा से वहां पर एक राज्य सत्ता है, वहां पर राजा की एक प्रभु सत्ता है, विभिन्न परिषदों में वहां पीयर्स को जिन को कि लार्ड्स कहते हैं उन को अधिकार देने के लिए, ऐसी कानून बनाने वाली संस्था से जोड़ने के लिए, देश की राजनीति में उन को प्रभावी बनाने के लिए वहां पर हाउस आफ लार्डस की व्यवस्था की गई। मैं निवेदन करूंगा कि जब देश में हमारा संविधान स्वीकार हुआ और चर्चा चली कि हम यहां कौन सा विधान अपनायें तो यहां बाई केमरल लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर की स्थापना पर विचार हुआ। जब इस प्रस्ताव पर यहां विचार चला तो महात्मा गांधी का जो वाक्य है इस संबंध में वह मैं उद्धृत करूंगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि जो लोग आज उधर हमारे सम्मुख बैठे हैं उन में से बहुत सों की भावनायें महात्मा गांधी की ही होंगी लेकिन मुझे कुछ संदेह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने के लोग "महात्मा गांधी के मुकाबले में "इंदिरा गांधी" की भावनाओं को अधिक प्यार करते हैं। मैं संकोच के साथ कहूंगा कि मुझे ऐसा संदेह अब होने लगा है। जब सन् ३१ में राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में यह प्रश्न आया तो महात्मा गांधी ने कहा था कि :

"Personally I am of the opinion that we can do with one Chamber only and that we can do with it to great advantage. We will certainly save a good deal of expenses if we can bring ourselves to believe that we shall do with one Chamber".

इसका अनुवाद मैं किये देता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि "मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि हम एक सदन से काम कर सकते हैं और लाभ में रहकर कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से काफी खर्च बचा लेंगे यदि हम अपने को यह विश्वास करने के लिए तत्पर कर लें कि हम एक ही सदन से काम करेंगे।" महात्मा गांधी ने जो उस वक्त कहा था वह सही ही कहा था और वह आज भी उतना ही सही है क्योंकि आज जो हमारा दूसरा सदन है उसकी उपयोगिता के बारे में, जब विधान सभाओं का निर्माण यहां हुआ जब यहां के विद्वानों ने विधान का निर्माण किया तो डा० अम्बेदकर जिन का हम आदर करते हैं और जिन को हम आधुनिक मनु कहकर पुकारते हैं उन के शब्द भी इस संबंध में मैं यहां प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने भी इस संबंध में कहा था कि :

"The Second chamber in the State were being introduced, purely as an experimental measure and there would be provision in the Constitution also for getting rid of the second chamber."

मैं इसका अनुवाद दिये देता हूं। उन्होंने कहा था कि "राज्यों में दूसरे सदन की स्थापना केवल एक प्रयोग मात्र है और विधान में दूसरे सदन से मुक्ति पाने की व्यवस्था रहेगी।" सेकिन्ड चेम्बर क बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि शब्द 'टू गेट रिड आफ'

का प्रयोग किया गया था । विधान निर्माताओं का प्रयोजन था कि दूसरे देशों में इंगलैन्ड व अमरीका में दूसरे सदन में यह ठीक है लेकिन यहां उन का क्या उपयोग होगा इसीलिये उन्होंने एक प्रयोग के तौर पर देखने के लिए कि क्या नतीजा होता है, उन्होंने कहा कि केवल एक प्रयोगात्मक आधार पर ही ले रहे हैं और दूसरे सदनों से मुक्ति पाने की व्यवस्था भी संविधान में रखे देते हैं । आपने देखा होगा कि संविधान की धारा १६९ में इस चीज को स्पष्ट किया गया है। जहां भी या जिन राज्यों में भी विधान परिषदें हैं वहां की विधान सभायें चाहें तो इस प्रकार के प्रस्ताव पारित कर सकती हैं । यह धारा १६९ में दिया है, उस को मैं कोट नहीं कर रहा हूं उसको पढ़ा जा सकता है। उस में व्यवस्था यह है कि यहां से इस संबंध में प्रस्ताव हो जाय और उसके बाद पार्लियामेंट उस की अनुमति दे । यह बात क्यों कही गयी । इसकी व्यवस्था इसलिये रखी गयी कि जो हमारे विधान निर्माण करने वाले लोग थे, उनके दिमाग में यह संदेह था कि यह जो दूसरा सदन है, उपयोगी होगा अथवा नहीं । इसको लेकर हमारी आर्थिक दशा सुधरेगी या बिगड़ेगी, कानून के बनाने में सुविधा होगी अथवा असुविधा होगी, बिलम्ब होगी अथवा शीघ्रता होगी, इस बात को ध्यान में रखकर विधान के निर्माताओं ने विधान के अन्दर यह धारा रखी । मुझे हर्ष है कि इस देश के दो राज्यों ने जिनके अन्दर कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, मेरा संकेत पंजाब और वेस्ट बंगाल की ओर है, पंजाब राज्य में अकाली और जनसंघ दलों ने जो मिलजुल कर काम किया है वही वेस्ट बंगाल में वाम पंथियों के शासन ने किया है। उन्होंने पहले की है और सर्व सम्मति से जितने भी सदस्य हैं सब ने एक राय से यह निश्चय किया कि दूसरे सदन को समाप्त कर दिया जाय और यह प्रस्ताव मार्च में वेस्ट बंगाल की विधान सभा मे आया । इसके उपरान्त यह प्रस्ताव १६ मई को लोक सभा में आया और वहां पर सभी पार्टियों ने इसका हृदय से स्वागत किया और यह कहा कि इसको पास हो जाना चाहिये इसके बारे में मैं वहां के एक दो अंश आपके सामने रखूंगा । जहां तक दूसरे सदन के औचित्य या अनौचित्य का प्रश्न है,उस पर दो राय नहीं हैं और समझदार व्यक्तियों की हो भी नहीं सकती। मैं समझता हूं कि अगर केंद्र के अन्दर बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने इसका समर्थन किया है तो जनसंघ की पहल इस सदन में हुयी है । तो मैं निवेदन करूं .... ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

क्या यह उनकी राय है कि समझदार व्यक्तियों की दो राय हो ही नहीं सकती या वे किसी का कोटेशन दे रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरे इस कथन को भी कोटेशन मान लें, हो सकता है कि मैं अपनी बात नहीं समझा सका । मैं यह तो कहने की धृष्टता नहीं करूंगा कि मेरी बात समझ में नहीं आ सकी । मेरा निवेदन है कि जो अच्छी बात या सही बात होती है, उसके बारे में २ राय नहीं हो सकती है।

श्री चरण सिंह—

इस बात को कौन तय करेगा कि कौन सी बात सही है या नहीं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वेस्ट बंगाल के अन्दर सभी पार्टियों ने प्रस्ताव किया, पंजाब के अन्दर वह बात सही मान ली गयी और वह बात जब पार्लियामेंट में आयी तब सभी पार्टियों ने अपनी सहमति प्रकट कर दी तो जब सब लोगों की सहमति हो गयी तो वह बात सही हो गयी लेकिन अगर कोई बात सरकारी पक्ष की ओर से हमारे ज्ञान वर्धन के लिए आयेगी तो हम विचार कर लेंगे लेकिन म समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी को डर हो गया है कि जो माननीय सदस्य विधान

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

परिषद के सरकार में आये हैं, उन लोगों का क्या होगा ? यह बात जरूर उनके सामने चिन्ता की है।

यह तो एक भावना की बात है। भारत वर्ष में तो वे परिस्थितियां नहीं हैं जो दूसरे देशों में हैं। यहां पर कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है । एक प्रिविलेज्ड क्लास आई० सी० एस० है, उसको भी समाप्त करने की बात लोक सभा में हो रही है । यहां पर जो रूलर्स या जो राजा महाराजा हैं उनका विधान परिषद् में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए जहां तक उनके प्रिविलेज्ड क्लास का सम्बन्ध है वह भी यहां पर लागू नहीं होती। अमेरिका में स्टेट्स को रिप्रेजेन्टेशन देने की बात है, यह व्यवस्था भी यहां पर लागू नहीं होती है । राज्य सभा के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि वहां पर विभिन्न राज्यों का रिप्रेजेन्टेशन रहता है लेकिन विधान परिषदों में स्टेट्स का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं होता है । यह कहना भी उचित नहीं होता कि परिषदें इसलिए उपयोगी हैं कि इनके अन्दर बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े ग्रे हेयर्ड लोग, बड़े एल्डर्ली लोग यहां पर जाकर बैठते हैं और उनके विचारों से और संशोधनों से बड़ा लाभ होगा। मैं बड़े खेद के साथ कहता हूं कि यह थ्योरी के अन्दर, कागजों के अन्दर, किताबों के अन्दर बात सही हो सकती है। लेकिन आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिये। विधान परिषदों के अन्दर जो प्रतिनिधित्व हुआ है—उसके प्रतिनिधित्व के अन्दर कुछ को छोड़ दीजिये—दो, चार, छः लोगों को छोड़ दीजिये, दो, चार, छः, हर जगह अच्छे हो सकते हैं। मेरी भावना यह थी कि कुछ ऐसे-ऐसे लोग आ जायेंगे कुछ जो चुनावों के अन्दर नहीं आना पसन्द करते। उनकी सूझबूझ से उनके एक्स्पीरिएन्स से, उनके जीवन का जो अनुभव है, उनसे, उनकी शिक्षा से उनकी जानकारी से लाभ उठ येंगे, परन्तु वास्तव में हुआ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कोई दो-चार उदाहरण दे दें कि ऐसे-ऐसे लोग पहुंचे उनके कारण यह बात हुई। मैं आप के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि सात प्रदेशों के अन्दर दो सदन हैं और बाकी प्रदेशों में नहीं हैं। यहां थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लें कि जिन प्रदेशों के अन्दर दो सदन हैं और जिन प्रदेशों के एक सदन है तो क्या उनके लेजिस्लेशन में जो कानून उन्होंने बनाये हैं, क्या अन्तर मालूम होता है। क्या जहां दो सदन थे वहां कानून इतना अच्छा बना कर सामने आ गया और उसके अन्दर कोई त्रुटि नहीं रह गई ? और जहां एक सदन था वहां अच्छा कानून नहीं बना और क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में बने हुए कानूनों को एक बार नहीं अनेक बार रद्द कर चुका है। उनको वाएड डिक्लेअर कर चुका है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेअर कर चुका है। जहां पर एक सदन है वहां पर भी वही बात है। दो सदनों से कोई बुद्धि बढ़ गई, कोई अच्छाई आ गई, ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बात कही जाती है कि गर्म-दूध जल्दी, जल्दी न पी लिया जाय और इसके लिये दूसरे सदन की आवश्यकता है। कोई हेस्टी लेजिस्लेशन न हो, इसके लिये दूसरा सदन होता है। तो इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि आज तो दुनिया इतनी तेजी से चल रही है । आज तो मानव चांद पर पहुंच गया है। आज बैलगाड़ी के जमाना नहीं रहा। आज कोई कहे धीरे धीरे काम होना चाहिये, हेस्टी लेजिस्लेशन उसे कैसे कहा जा सकता है। जब सदन के अन्दर कोई चीज आयेगी तो पहले सदन के अन्दर उस पर विचार करेंगे एक बार। फिर उसको अनुच्छेद के हिसाब से रक्खा जाता है। कोई आवश्यक नहीं है कि वह हेस्टी हो जाय। मुझे जहां तक मालूम है प्रत्येक सदन के अन्दर पूरा टाईम मिलता है। इसलिये जो तर्क दिया जाता है कि बहुत तेजी के साथ कानून बन जायगा इसका कोई आज तक प्रमाण नहीं मिला। मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह कह दिया जाय कि जरूरी से पास कर दिया गया था, या त्रुटि रह गई—त्रुटियां तो तब भी रहेंगी जब दो सदन रहेंगे। इसमें कोई दूसरे सदन की उपयोगिता बतलाने लगे तो मैं विनम्रतापूर्वक मतभेद प्रकट करूंगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक अधिकार दूसरे सदन को है कि तीन महीने तक किसी साधारण बिल को और चौदह दिन तक मनी बिल को रोक ले। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें देरी करने के अलावा और कोई अधिकार नहीं है। कल ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हो रही थी आप की अध्यक्षता में। उसमें माननीय तिवारी जी को बड़ा सिरदर्द था कि अगर १५ तारीख को सदन में बजट पेश होता है तो विधान परिषद् के अन्दर जायेगा। विधान परिषद् में १६ तारीख को पहुंचना होगा और अगर १४ दिन तक रोक लिया तो ३० तारीख तक पेश नहीं होगा और हमारे अनुदान का समय खत्म हो जायेगा तो एक कान्स्टीट्यूशनल क्राईसिस पैदा हो जायेगी। मैं तिवारी जी, आप की मदद करने के लिये यह बात कह रहा हूं कि इस सफेद हाथी को रखने की क्या आवश्यकता है। आप बजट रक्खेंगे, १४ दिन तक वे डिले कर देंगे। टलने के बाद वह आ नहीं पायेगा। मैं कहता हूं कि यह आप की ही भावना नहीं है, हमारे दल के नेता, श्री राम प्रकाश जी, जो संविद में उप मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने भी कानपुर में एक बार कहा था १४-५-१९६७ को कि उनकी व्यक्तिगत राय परिषद् भंग करने की है। संविद का बहुमत परिषद् में नहीं है। अतः कानूनों को पास कराने में बाधा पड़ सकती है। यह उनकी उस वक्त राय थी। माननीय तिवारी जी का भी यही विचार है कि बाधा पड़ सकती है। अभी कुछ दिन पहले इस सदन ने धकाधक कुछ विधेयक पास किये, लेकिन विधान परिषद् में उलटा हो गया। जो दल यहां पर बहुमत में बैठा हुआ है, यह आवश्यक नहीं है कि उसका परिषद् में भी बहुमत हो। वहां पर बहुमत किसी दूसरी पार्टी का हो सकता है। तो, इस से वह कठिनाइयां आ सकती हैं जिन की ओर मैंने संकेत किया है। यही नहीं, इससे भी बढ़ कर कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिये इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को, सभी को इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। यह समस्या ऐसी है जिस पर हमें पार्टी के विचारों से अलग हट कर विचार करना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि वास्तव में उस सदन की आवश्यकता है या नहीं।

एक बात और कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जो लोग हमें चुन कर भेजते हैं उनको एक बार मत देने का अधिकार होता है। लेकिन जो अध्यापक हैं, नगरपालिका के सदस्य हैं, ग्राम सभा के प्रधान हैं, जिला परिषदें भंग हो गयी है, किन्तु उनके सदस्यों को एक दूसरा मत देने का भी अधिकार मिला हुआ था जिसके द्वारा वे परिषद् में सदस्यों को चुन कर भेजते हैं। क्या कारण है कि कुछ मतदाताओं को एक बार ही मत देने का अधिकार हो, और कुछ को दो बार यह विशेष प्रीविलेज उनको क्यों दिया जाता है।

इसके अलावा एक और बात है जो बड़ी चिन्ताजनक है। इस विधान परिषद् के नाम पर कुछ ऐसे लोग भी प्रश्रय पा जाते हैं जिन को वैस्टेड इन्टरेस्ट कहा जाता है, जिन को हम और आप जानते हैं तक नहीं हैं। अभी राज्य सभा के चुनाव के अन्दर कितना आश्चर्य हुआ जब कि हम को यह मालूम हुआ कि एक उद्योगपति इस प्रदेश का ३८ एम० एल० ए० का फर्स्ट प्रीफरेंस का वोट ले गया। क्या यह आंखें खोल देने वाली बात नहीं है? उनकी क्या विचार-धारा है, क्या घोषणा पत्र है, यहां तक हमें नहीं मालूम। किस कारण से उनको यह वोट मिल गये उसका कारण हम सब जानत हैं। उस से उधर बैठने वालों में भी चिन्ता है और इधर बैठने वालों में भी चिन्ता है। ग्रेजुयेट कांस्टीट्यूयेन्सी का चुनाव होता है, उसमें क्या होता है उसमें यह होता है जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं, जिन को हम बासेज कहते हैं। इससे अच्छा शब्द हमें हिन्दी में प्रयोग करने के लिए नहीं दिखाई देता है। ऐसे "बासेज' के लिए अर्थात् 'मठाधीश' के लिए विशेष अध्यापक जी तोड़ कोशिश करते हैं। कालेजेज के अध्यापक क्लासेज लेना छोड़ देते हैं और चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं और अपने 'बासेज' के लिये जो उन्हें रोटी रोजी देते हैं, उनको एप्वाएनमेंट देते हैं, जो तरक्की देते हैं, वे दिन रात कोशिश किया करते हैं। मुझे कोई बताए कि इससे कौन से एक्सपर्ट्स आ गये? कोई योग्य व्यक्ति और एक्सपर्ट तो नहीं आते बल्कि इस तरह से वेस्टेज इन्ट्रेस्ट आ जाते हैं। ऐसे लोग विधान परिषद् में आ जाएं, जो अन्य तरीके से चुन कर आ जाएं, अन्य उपाय से आ जायं, किसी

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

दबाव से आ जाएं तो जो इसके पीछे भावना थी कि अच्छे लोग वहां पहुंचेंगे उसकी पूर्ति तो नहीं होती ।

एक बात के लिए हम सभी दोषी हैं। आम तौर पर यह होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको हम वहां पहुंचाना चाहते हैं, वे चुनाव में हार जाते हैं, तो उनको हम विधान परिषद् में भेज देते हैं, पिछले दरवाजे से भेज देते हैं, तो क्या यह प्रक्रिया बन्द नहीं होनी चाहिए ? जनता जिस व्यक्ति को रेजेक्ट कर दे, उसके बारे में जनता से हम यह कहें कि चुनाव को हम लात मारते हैं, उसके निर्णय को हम कुचले देते हैं और उनकी सवारी हम अन्दर ले जाते हैं, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह बात लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध है । तो विधान परिषद् के अन्दर उनको स्थान नहीं मिलना चाहिए ।

अब मैं कुछ नामांकन के बारे में कहना चाहता हूं । यह एक पवित्र अधिकार है । इसके पीछे भावना यह है कि दो-एक लोग जो कि वास्तव में बड़े विद्वान और योग्य हैं, जिनको विधान परिषद् में लाने से बड़ा लाभ होगा, ऐसे लोगों को लाने का सरकार को विशेष प्रकार का नामांकन द्वारा अधिकार है । मुझे मालूम है कि अपने प्रदेश में भी नामांकन हो रहा है । मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नामांकन के बारे में वह मेरी बात को सुन लें । नामांकन के बारे में सुना जा रहा है गलत होगा तो मैं उसे सुधार लूंगा, यह कहा जा रहा है कि एक उर्दू अखबार 'सियासत' के ऐडीटर श्री इशाक इल्मी साहब हैं, जिनके ऊपर १० साल में १० मुकदमें लगे, क्योंकि वह साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ १० तरह के आरोप लगे, वे १० तरह के नाम बदल कर अखबार निकालते हैं, उनको नामांकन किया जा रहा है। चूंकि उर्दू अखबार वालों को स्थान मिलना चाहिए, इसलिए उन को स्थान मिलने वाला है मुख्य मन्त्री जी के चेहरे से ऐसा मालूम होता है कि यह बात गलत है । मैं तो खुश हूंगा यदि यह बात गलत निकले। यदि आप उर्दू को आश्रय देना चाहते हैं तो अवश्य दें, मैं उर्दू के विरुद्ध नहीं हूं। आप कौमीआवाज जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्र के सम्पादक श्री सिद्दीकी जैसे लोगों का नाम कन करें। जो आज भी महात्मा गांधी क सिद्धान्तो पर चलते हैं, अपने हाथ से कपड़े धोते हैं, देश के भक्तों में से हैं। तो आप ऐसे आदमियों को ले आए तो किसी को अपत्ति तहीं होगी। किन्तु ऐसे लोगों को न लाएं जिनसे सारे अखबार बाले नाराज हैं, आप की पार्टी वाले भी पसन्द नहीं करते हैं। यदि मुख्य मंत्री जी यह समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं खुश हूंगा यदि मेरी भूल वह सुधार दें। मैं तो चाहता हूं कि आप खण्डन कर दें, खण्डन नही हो रहा है, तो मैं समझता हूं कुछ न कुछ है अवश्य । दाल में कुछ काला है, लेकित कहां काला है, यह मैं नहीं कह सकता ।

दूसरे जब इस की उपयोगिता के बारे में बात चलती है तो यह कहा जाता है कि अपर हाउस में बिचारों की भिन्नता से नयी बात आ जाती है। लेकिन जो दूसरे सदन का आज तक का कांस्टीट्यूशन है उससे एक बात जाहिर है, वहां पर भी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं और यहां पर भी पार्टियों के प्रतिनिधि है। जो आवाज यहां पर होती है उसकी गूंज वहां पर होती है । (लाल बत्ती जलने पर) मैं पांच सात मिनट लूंगा। लाल बत्ती से मुझे बड़ा डर लगता है जितने लाल लोग हैं उन सब से डर लगता है। कलकत्ता के अन्दर लाल बत्तियां जलाते हैं। चीन के अन्दर जो उपग्रह छोड़ा है वह लाल है। गोबिन्द सिंह जी लाल गाना नहीं गाते हैं। रूस के भक्त है। लेकिन जिस दिन चीनकी भक्ती में आ जायेंगे तो उस दिन उनसे भी डर लगने लगेगा । विद्वानों ने यह कहा है कि "यदि ऊपर का सदन इस सदन से विरोध प्रकट करे तो शरारतपुर्ण है और सहमति प्रकट करें तो अनावश्यक है" । क्या आवश्यकता है कि केवल हां भरने वालों को बिठाया जाय ।

एक और पहलू है खर्चे का। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन कुछ आंकड़े आप के सामने रखता हूं। १९६९–७० के अन्दर अधिकारियों का वेतन ४ लाख, १ हजार, ४ सौ भत्ते तथा अन्य देय ४ लाख ७३ हजार, आकस्मिक व्यय ८ लाख

९८ हजार ४ सौ, कुल १७ लाख ७२ हजार ८ सौ केवल वेतन और भत्ते पर खर्चा है। पिछले बीस वर्षों से अधिक से वह सदन है। करोड़ों रुपया हम खर्च कर चुके। सारे देश के अन्दर और अधिक धन व्यय हुआ करोड़ों रुपये का हमने क्या लाभ किया। पिछला बारह साल में १९५७ से १९६६ तक २८८ विधेयक यहां से दूसरे सदन को गये और केवल चार विधेयकों में संशोधन होकर वापस आये। १३ वर्ष के अन्दर बंगाल में ४२६ विधेयकों मे केवल २ विधेयक संशोधित होकर आये। तो क्या उपयोगिता हुई? समय और धन दोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, २८८ में सौ, डेढ़ सौ में संशोधन होकर आये तो विचार करने की बात थी। २९९ में केवल चार संशोधन आये।

१९६२ में जब अपने देश पर आक्रमण हुआ, तब यह बात आयी पार्लियामेंट में श्री एस० एन० द्विवेदी ने यह विचार रखा कि देश के जितने दूसरे सदन हैं सब समाप्त कर दिये जायं। उन्होंने बताया कि इससे इकानमी भी होगी और समय बचेगा। परन्तु यह बात जानकर आपको खेद होगा कि तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को रद्द कर दिया। हालांकि आज उनकी पुत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में वेस्ट बंगाल में जो विधान परिषद् भंग हुई है वह चीज लोक सभा में स्वीकार हो गयी। अगर यह कदम पहले स्वीकार कर लिया गया होता तो अपने प्रदेश में हम बहुत कुछ रुपया बचा लेते। कुछ लोगों का मत है कि जनसंघ को इस से लाभ होगा। यह भ्रांति मात्र है। मैं निवेदन करूं कि अपने घोषणा-पत्र के अन्दर जनसंघ ने प्रारम्भ से इस बात को कहा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र के अन्दर जनसंघ के जितने प्रतिनिधि अपर हाउस में है उतने लोअर हाउस में नहीं हैं। पंजाब के अन्दर मंत्रिमंडल में हम थे—किशन लाल जी उस समय थे वित्त मंत्री जब यह प्रस्ताव पारित किया गया और वित्त मंत्री को उसी दिन इस्तीफा देना पड़ा। त्याग-पत्र भी दे दिया। तो पार्टी से ऊपर उठ कर इस प्रश्न पर विचार करना है।

मैं इस प्रश्न पर दो तीन मिनट के अन्दर जो दूसरी पार्टियों ने कहा है उसको संक्षेप में रखता हूं क्योंकि अन्य पार्टियों के नेता भी सोच समझ कर इस बात पर मत व्यक्त करते हैं और संसद के अन्दर जो कहा जाता है वह बहुत सोच समझ कर कहा जाता है। १६ मई, ६९ को पार्लियामेंट में जब यह विधेयक आया तो गोविन्द मेनन ने कहा—जो कानून के मंत्री हैं—

"speaking entirely for myself Sir, I hold the view that second chambers are unnecessary, particularly in the states of India. That is my personal view."

इसको हिन्दी में कहता हूं कि "मैं स्वयं अपनी ओर से कह सकता हूं और यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो दूसरा सदन है यह अनावश्यक है-विशेषकर भारतवर्ष के राज्यों के अन्दर।" २५ मार्च, ६९ को उनकी यह राय थी कि जब यह विधेयक सदन के अन्दर आयेगा तो "हम उसको स्वीकार करेंगे।" तो जब १६ मई को आया तो श्री गोविन्द मेनन ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा कि "हमें आशा है कि सारा सदन इससे सहमति प्रकट करेगा"। इसका अर्थ यह हुआ कि जो रूलिंग कांग्रेस है, जो इन्दिरा जी की कांग्रेस है, जिसके प्रतिनिधि यहां पर वित्त मंत्री जी हैं वह तो सहमत हीं हैं। आपके सामने जनसंघ का मत रखने की तो आवश्यकता नहीं है। पर श्री एस० एम० बैनरजी ने क्या कहा वह मैं रखता हूं—

"I feel that the Upper house was created in this country to rehabilitate politically some people. This has also given rise to corruption....I feel that the Congress Government in power here should ask their counter parts in other states to follow this and abolish the Councils there. After all, the Upper house is not an Employment Exchange."

उन्होंने यहां तक कह दिया कि "मैं अनुभव करता हूं कि जो अपर हाउस है, जो दूसरा हाउस है वह इस देश के अन्दर राजनीतिज्ञों को पुनर्वास करने के लिए स्थापित

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

किया गया था। इसने भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया है। मैं अनुभव करता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि ताकत में है यहां पर और जो अपने अन्य साथी राज्यों में हैं उनसे भी कहें कि वह अपनी कौंसिलों को हटा दें और अपर हाउस को समाप्त कर दें, क्योंकि आखिरकार जो दूसरा सदन है वह कोई सेवा नियोजन कार्यालय नहीं है," यानी वहां पर नौकरी मिलने जैसी बात नहीं होनी चाहिए।

मैं जब बैठा था तो कई सदन के सदस्यों ने कहा कि यह "अनाथ आश्रम" क्यों समाप्त कर रहे हो? तो मैं इसको उस भाषा में नहीं कहता परन्तु आपकी भावना जरूर है जो इसको अनाथ आश्रम कहा है।

श्री द्विवेदी जी, पी० एस० पी० नेता ने कहा कि—

"We have already started a process and I hope that all other legislative Assemblies in the country will pass similar resolutions to abolish the legislative Councils whereever they exist.

उन्होंने कहा कि—

"हमने इस प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि दूसरे राज्यों की विधान सभाओं के अन्दर इसी प्रकार के प्रस्ताव पारित होंगे जिससे जो विधान परिषद् हैं जहां-जहां पर वे समाप्त हो जायंगी। सी० पी० आई० (एम०) के श्री राममूर्ति ने कहा है—

"I only hope that after this bill receives the assent of this house it will be an example which the other states should follow, and if the other states do not do so, we can bring forward an amendment to the Constitution itself."

वे और आगे चले गये। उन्होंने कहा "मैं यह आशा करता हूं कि यहां पर इस बिल को स्वीकृति प्रदान हो जायगी और इस बिल की स्वीकृति प्रदान हो जाने के बाद अन्य राज्यों के लिये यह एक नमूना होगा जिसको वे फालो करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अगर दूसरे राज्य ऐसा नहीं करते हैं तो हमें शायद संविधान भी बदलना पड़े।" डी० एम० के० के कंडापन साहब ने कहा—

"The D. M. K. policy all along has been that the Upper Chamber is superfluous."

"अपर चेम्बर, जो दूसरा चेम्बर है वह अनावश्यक है।" एस० एस० पी० के नेता एस० एम० जोशी ने कहा—

"We should welcome the move. Every states should follow. This process should now start Otherwise we should accomplish the task by amending the Constitution."

उन्होंने भी यही कहा कि "यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिये अन्यथा हमको विधान के अन्दर ही संशोधन करना चाहिये।" कांग्रेस के श्री रणधीर सिंह ने कहा—

"Congress benches are more keen than the opposition to eliminate this white elephant and heavy expenses.....I want that all the states should follow this path,"

उन्होंने इसको 'सफेद हाथी' बनाया। राष्ट्रपति गिरि के विचार भी मैं आपके सामने रख दूं जो उन्होंने वेस्ट बंगाल के पार्लियामेंटरी मिनिस्टर श्री जतीन चक्रवर्ती के सामने व्यक्त किये थे और जब गिरि साहब उप-राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपर हाउस को एबोलिश करने के फेबर में अपनी राय दी थी। नेताओं की राय रखने के बाद मैं कुछ अखबारों की राय भी सदन के सामन रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अखबार को कोट करना ज्यादती होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

देश के लगभग सभी अखबारों के एडिटोरियल इस बात का समर्थन करते हैं कि दूसरा सदन अनावश्यक है। इस सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने भी समय-समय पर अपने भाषणों में इस बात की मांग की है कि अपर हाउस एबोलिश किया जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार ने किया है वैसे ही सर्वसम्मति से यह सदन इसे पारित करे ताकि इस प्रदेश के अन्दर कार्य में जो विलम्ब होता है, खर्चा होता है वह समाप्त हो और कार्यकुशलता बढ़े और इस प्रदेश को अच्छा प्रशासन मिल सके।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, मैं असेम्बली में इन्डेपेन्डेन्ट मेम्बर के रूप में इलेक्ट हुआ और मेम्बर होने के बाद मैंने अपने ऊपर एक बन्धन एक्सेप्ट कर लिया। इन बन्धनों पर मैं अमल करूंगा। अगर मुझे अपनी तबीयत से इस वक्त जब कोई ठीक बात कही जाती है चाहे वह किसी तरफ से हो—मुखालिफों की तरफ से हो चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, मैं खामोश बैठना एक बहुत ही गुनाह और सख्त बुराई समझता हूं। लिहाजा मैं बहुत सच्चाई से जो स्वामी जी ने कहा है उनका समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

जिस वक्त सन् १९४७ में हिन्दुस्तान आजाद हुआ था। सन् ५० में जो इन्डेपेन्डेन्ट कांस्टीट्यूशन बना है उस वक्त को देखते हुए दूसरी जरूरत हो सकती थी कि प्रदेश में एक ऐसी बाडी बनाई जाय जिसमें कुछ खास तबके के लोग, जो अनुभवी और आज पोलिटिकल लीडर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाय। मगर अब जमाना बदल गया है। इस जमाने में अब ऐसी बाडी की कोई जरूरत नहीं है और खासतौर से जब हम देख रहे हैं कि इस जमाने में उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं करीब-करीब एक साल से मेम्बर हूं। इस हाउस की तरफ से जो लोग विधान परिषद् में इलेक्ट होकर गये हैं वे सभी ऐसे लोग गये हैं जो लोग एसेम्बली के इलेक्शन में हारे हैं। ऐसे लोग कांग्रेस (संगठन) की तरफ से पेश किये गये, ऐसे लोग बी० के०डी० की तरफ से पेश किये गये, ऐसे लोग इन्दिरा कांग्रेस की तरफ से पेश किये गये हैं जो-जो इलेक्शन में हार चुके हों। ऐसे लोग विधान परिषद् में भेजे गये हैं। क्या यह इलेक्टोरेट के मुंह पर तमाचा नहीं है? और क्या हमारा ऐसा करना एक रिप्रेजेन्टेटिव की तरह जायज है। यही नहीं, मैं समझता हूं कि इससे भी आगे लोग बढ़ रहे हैं। चुनाव में हारने के बाद उनको इस प्रकार इलेक्ट कराकर विधान परिषद् में भेजा जाता है और उसको मिनिस्टर बनाकर बैठा दिया जाता है। मैं आप से पूछूंगा, मैं उन लोगों में से हूं जिनकी काफी सिन हो चुकी है और काफी तजुर्बा भी है। क्या इस प्रकार के आदमियों को लेकर जिनको पिपुल रिजेक्ट कर चुके हैं, उन पिपुल के ऊपर मुसल्लत करना प्रजातन्त्र आधार के मुताबिक है? मैं समझता हूं कि इस बहुत ही गलत तरीके से विधान परिषद् का इलेक्शन सब पार्टियां कर रही हैं। न सिर्फ कांग्रेस (संगठन) पार्टी ही बल्कि हमारी तरफ के लोग भी इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं।

दूसरी तरफ एक चीज यह भी गौर करने की है कि हिन्दुस्तान एक अनडेवेलप्ड देश है। हर मौके पर पैसे की जरूरत होती है सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वह हमारे वास्ते काफी नहीं होती, हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। काश्तकार हमसे कहता है कि हमको लगान में माफ किया जाय। हमसे काश्तकार कहता है कि हमारे वास्ते इर्रीगेशन फैसिलिटी दी जाय। मगर हम सरकारी पैसे से अय्यासी करते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने अभी कहा कि कितने रिजोल्यूशन और कितने ही बिल यहां से विधान परिषद् में गये हैं और

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

उनका क्या परिणाम हुआ। उसका राय और सलाह मशविरा हमको मिलता है। मैं समझता हूं कि विधान परिषद् बिल्कुल बेकार, इम्बैलिसमेंट लेजिस्लेचर का है और इसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त करना चाहिये। मैं समझता हूं जो लाखों रुपया विधान परिषद् पर खर्च किया जाता है, वह बेहतर कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है गरीब अहलकारों के लड़कों को जिनको एजूकेशन नहीं मिल पाती है, उनकी तालीम के लिये खर्चा बच सकेगा, जो अगर मांग करते हैं तो मिनिस्टर साहबान उनके ऊपर लाठी चार्ज का आर्डर देकर हटाते हैं। इसके अलावा किसानों को इर्रीगेशन के लिये रुपया मिल जायगा और भी बहुत से कन्ट्री के बेहतर कामों के लिये हमें यह रुपया मिल जायगा। पिछले २० सालों में करोड़ों रुपया विधान परिषद् पर खर्च किया गया है। इसलिये एकोनामिक ग्राउन्ड्स पर, लेजिस्लेटिव ग्राउन्ड्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव और मौरल ग्राउन्ड्स पर विधान परिषद् के एग्जिस्ट करने का कोई जस्टीफिकेशन बाकी नहीं रह गया है। स्वामी जी ने इस रिजोल्यूशन को मूव करके बहुत अच्छा काम किया है। जो लोग इसका समर्थन करेंगे वे एक अच्छे काम में साथ देंगे और जो इसका अपोजीशन करेंगे वे पीपुल के साथ इंसाफ नहीं करेंगे।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले नित्यानन्द स्वामी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करके सदन के सामने एक सामयिक प्रश्न को पेश किया है। उन्होंने समस्त उद्धरण देकर बताया कि लोक सभा तथा देश की कई विधान सभाओं ने विधान परिषदों को समाप्त करने की राय दी है। इसलिये यह जो सामयिक प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही जो सरकारी पक्ष है उससे भी मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी इसमें हमारा साथ दें। माननीय नित्यानन्द जी की जब माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत हो रही थी तो मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर संदेह प्रकट किया कि इस सही बात को कौन तय करेगा। नित्यानन्द जी ने साहस करके जो काम किया है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। यह कोई मुश्किल बात भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में कोई व्हिप इश्यू न करें और माननीय सदस्यों को अन्तरात्मा की आवाज पर वोट देने दें तो यह सदन इस बात को तय कर देगा कि उनका रहना सही नहीं है। केवल कुर्सी के लिये मोह किसी के दिमाग में न हो तो वह दिन दूर नहीं है जब कि देश और प्रदेश की जनता के हित का सवाल अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार लोग तय कर देंगे। किदवई साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं और पुराने अनुभवी हैं। उन्होंने सही बात कही और इस मामले में पहल की। आशा है और लोग भी उनका साथ देंगे। उन्होंने भी कुछ तर्क और तथ्यों के साथ कहा कि आज विधान परिषदें अनावश्यक हो गयी हैं। उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यों तो स्वामीजी ने अपने विचार प्रकट करते हुये सब प्रकार के तर्क उपस्थित किये लेकिन मैं भी सदन को कुछ बता देना चाहता हूं। जब इस सदन ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के प्रस्ताव पर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया था, विधान परिषद् में जाकर उसमें संशोधन कर दिया गया। यद्यपि यहां की किसी कार्यवाही पर वहां संशोधन हो जाय या उसका उल्टा हो जाय तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। विधान परिषद् में अगर सरकार को गिरा भी दिया जाय तो भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर विधान परिषद् में बजट को रोक दिया जाय तो कुछ दिक्कत अवश्य हो सकती है। लेकिन फिर भी उसका कोई विशेष प्रभाव होने वाला नहीं है। इन कारणों से विधान परिषदों को रखने का कोई औचित्य मालूम नहीं पड़ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को शरण देने के लिये ही ये विधान परिषदें अब तक रही हैं। इस शरण का अब अधिक दुरुपयोग होने लगा है। पहले कुछ विद्वान लोगों को, जैसा कि किदवई साहब ने कहा रखा जाता था सलाह मशविरे के लिये। आज वह सलाह मशविरा दुरुपयोग में और एक राजनीतिक ऐयाशी में बदल गया है। राजनीतिक ऐयाशी शब्द, उपाध्यक्ष महोदय मुझे माफ करेंगे, बहुत वैसा नहीं है और केवल राजनीतिक ऐयाशी ही नहीं बल्कि जनतंत्र को चुनौती देने वाली यह विधान परिषद् बन गयी है। अभी क्या हुआ ? सुल्तानपुर से लोक सभा के लिये एक माननीय सदस्य चुने गये। अभी तक उस चुनाव को एक वर्ष भी नहीं हुआ। मैं इसको राजनीतिक ऐयाशी और जनतन्त्र पर कुठाराघात कहना चाहता हूं एक वर्ष नहीं हुआ सुल्तानपुर के उस लोक सभा के चुनाव को, कितना उसमें धन व्यय हुआ, कितनी लोगों में कटुता बढ़ी लेकिन हुआ क्या कि अभी उनको बदल करके राज्य विधान परिषद् का मेम्बर बना कर मंत्रिपरिषद् में ले लिया गया। व्यक्तिगत मिश्रा जी मेरे मित्र हैं, उन पर मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। यह जो नीति है हमारे देश के जनतन्त्र को खत्म करने की विधान परिषद् के द्वारा यह जनता पर बेजा खर्चा डालना और धन का दुरुपयोग है और माननीय किदवई साहब अभी धन के दुरुपयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। खाली सुल्तानपुर के मेम्बर के मंत्रिपरिषद् में लिया गया हो यही काफी नहीं है। कभी फैजाबाद से विधान सभा के सदस्य से जिसके चुनाव को एक वर्ष अभी नहीं हुआ त्याग-पत्र दिलाया गया और उनको विधान परिषद् का मेम्बर बना दिया गया क्योंकि उनसे सीट खाली करानी थी और एक साहब को जो पिछले चुनाव में हार गये थे उनको खड़ा किया गया है। और इसके पीछे यह इरादा साफ है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि यह जो चुनाव हो रहा है, गोरखपुर में, मथुरा में, फैजाबाद में इसके बाद मंत्रि परिषद् का विस्तार करूंगा। तो एक दूसरे तरीके से करप्ट करने का तरीका है। इसको मैं सीधे भ्रष्टाचार कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कितने दिन में मंत्रिपरिषद् का गठन हुआ। अभी कुछ लोग और लटकाये रखे जायं यह कहां तक उचित है। यह जनतंत्र विरोधी कार्य हो रहा है और इसकी आड़ में यह विधान परिषद् बीच में आयी हुई है।

१९६७ में मैं एक बात कहता था। वह उन दिनों अच्छी नहीं लगती थी। मैं कहता था कि कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनेगी। गांव के बे पढ़े लिखे लोग मुझसे उल्टा सवाल करते थे कि आप गलत बात कह रहे हैं। हमारा विश्वास टूट गया है, हम सही हैं अपनी जगह पर। वह नाम गिनाते थे। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं। वह कहते थे कि जिनको हम यहां हरा देते हैं वह मंत्रिपरिषद् में हो जाते हैं। जब वह नाम गिनाते थे तो जनता के लोग सही होते थे मैं खामोश हो जाता था। सचमुच जनता से रिजेक्टेड लोग चोर दरवाजे से सरकार में आ जाते हैं। हमारे देश के जनतन्त्र को और उत्तर प्रदेश के जनतन्त्र को खासतौर से बड़ा भारी खतरा विधान परिषद् से हमेशा रहा है। एक-एक, दो-दो दफा चुनाव हार गये लेकिन मंत्रिपरिषद में उनके लिये स्थान रिजर्व है। मैं नहीं जानता कि विधान परिषद् का कोई उपयोग इन दिनों है। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और हमसे कुछ पिछड़े हुये प्रदेश बिहार में भी यह सवाल पेश हो चुका है। उत्तर प्रदेश राजनीति का अग्रणी प्रदेश आज तक कहलाया। हमारे प्रदेश के प्रधान मंत्री होते हैं और हम राजनीति के बड़े जानकार हैं। मगर इस सवाल पर हम थोड़ी देर से आये। कुछ पहले प्रस्ताव आना चाहिये था। जहां तक मैं जानता हूं अगर इस प्रस्ताव पर कोई व्हिप न हुआ तो कोई सन्देह नहीं है कि यह सर्वसम्मति से पास हो जाय। इस समय सरकार की ओर से तिवारी जी मौजूद हैं और हमें उनसे आशा है कि उनकी तरफ से एक उदाहरण उपस्थित किया जाना चाहिये कि हम किन्हीं सवालों पर जो जनहित के हैं वह चाहें किसी की ओर से आये हों उनको हम सर्वसम्मति से पास कर सकते हैं और इससे रज्य में जनतंत्र के लिये अच्छी परम्परा स्थापित होगी और जनतंत्र इससे बढ़ेगा।

अभी हमने सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि ९० दिन तक हमारी असेम्बली चले, लोगों को अपनी भावनायें व्यक्त करने का मौका मिले। सरकार ने फैसला किया और उसको

[श्री रामचन्द्र विकल]

माना। तिवारी जी उसके माध्यम बने। तो मैं आशा करता हूं कि तिवारी जी इसको भी सर्वसम्मति से पास कराने के लिये माध्यम बनें और इससे बजाय प्रस्तावक को श्रेय जाने के सरकार को श्रेय ज्यादा जायेगा। सरकार जनतन्त्र के सवालों पर सही निर्णय लेती है। तो इससे सरकार का, देश का और प्रदेश का हित होगा है। सदस्यों की राय मुझे बातों से आज मालूम हो गई है कि वह इस प्रस्ताव के हक में हैं। आप अपनी सरकार का फैसला आज करा लें, कल करा लें, हम तब तक इन्तजार कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति होना चाहिये। दूसरे प्रदेशों में भी विभिन्न पार्टियां हैं। बिहार, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में भी यही थी। सरकारें किसी की भी हों, आज तो ज्यादा मिला जुला जमाना है और हमारे यहां भी यह सरकार दो पार्टियों से मिल कर चल रही है। तो अगर इस मिले जुले सारे सदन को एक कर लें इस प्रस्ताव पर तो इससे आपका बड़प्पन होगा। मैं बहुत विनम्र शब्दों मे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करावे और जो भावना इस सदन के लोगों की है उसका स्वागत करें और साथ-साथ जनतंत्र की प्रदेश में रक्षा कर सकें, यही मेरा निवेदन है।

*श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। नाम आप भूल गये। कोई बात नहीं, अमूमन लोग इस मोटे आदमी का नाम भूल जाते हैं लेकिन शक्ल याद रहती है मैं वैसे उस दल का एक सदस्य हूं जिस दल की हुकूमत है और जिस दल के कंधों पर भार है इस प्रदेश की हुकूमत को चलाने का और जिस दल के ऊपर भार है यह देखने का कि टैक्सपेयर की रीढ़ टेढ़ी न हो और टैक्सपेयर को रिफलीफ दे सके और इसके नाते मेरी अन्तरात्मा मझे मजबूर कर रही है कि आज सदन के सामने यह कह सकूं। मैं नहीं जानता मेरे दल का कोई व्हिप इशू हुआ है या नहीं। अगर इशू होता तो मैं उसके बारे में सोचता, लेकिन मझे इसकी कोई नालेज नहीं है और अन्तरात्मा की पुकार व्हिप से भी बड़ी चीज है और मैं उसे आपके सामने उपस्थित करता हूं।

अभी किदवई साहब ने जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने अच्छा पथ प्रदर्शन किया। मैं इसका भी ख्याल नहीं रखता कौन सा प्रस्ताव किस दल से आया है और किस व्यक्ति ने उसे रखा है। मैं इसमें विश्वास करता हूं कि हर व्यक्ति में भगवान और शैतान साथ-साथ बास करता है। सरदार पटेल और गांधी जी में बात हो रही थी तो गांधी जी ने कहाकि आदमी में भगवान है और उसमें विश्वास रखना चाहिये। सरदार जी ने जवाब दिया कि भगवान के साथ साथ शैतान भी है और उस शैतान को काबू में रखने के लिए डंडा की आवश्यकता भी है और डंडा प्रबल होना चाहिए। आज जनतन्त्र को चलाने के लिए यह आवश्यक है और इसके लिये यह सदन सक्षम है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सही प्रस्ताव किसी की तरफ से आये तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसका समर्थन करें। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे प्रदेश को डेवलपमेन्ट के लिये तमाम पैसे की आवश्यकता है। हमारे वित्त मंत्री जी जो बगल में बैठे हैं और जो एक नवजवान हैं उनकी अन्तरात्मा ने कह दिया होगा कि अगर कहीं वेस्टेज हो तो उसे रोक दिया जाय और डेवलपमेन्ट में खर्चा किया जाय। आप देखें विधान परिषद् का दूसरा नाम है हाउस आफ एल्डर्स। यह बुजुर्ग लोगों का घर है। पंडित नेहरू और पटेल ऐसे बड़े लोगों का व्यक्तित्व खत्म हो गया है और जब उनके कामों में फर्क नहीं रह गया है। उसमें समान बुद्धि वाले लोग है। इस हाउस मे जो लोग बैठते हैं वह जनता के सामने अपनी आवाज बुलन्द करते हैं उनकी गलतियां जनता के सामने होती हैं और जनता की राय से वह यहां चुनकर आते हैं लेकिन उसे हाउस में वह लोग आते हैं जिनको जनता रिजेक्ट कर देती है। उन लोगों के खिलाफ जनता की राय होती है। वह पिछले दरवाजे से आना पसन्द करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे वित्त मंत्री जी एक उदाहरण है। वह एक बार इस सदन के सदस्य नहीं हो पाये थे। अगर वह चाहते तो पिछले दरवाजे से चले आते लेकिन उन्होंने यह पसन्द नहीं किया, उनकी गैरत ने यह पसन्द नहीं किया कि पिछले दरवाजे से आवें। आज वह सौभाग्य से हमारे वित्त मंत्री हैं। वह इस अपव्यय को रोकें। जनतंत्र के खिलाफ जो लोग बैकडोर से पाले जाते हैं, जो पेंशन होल्डर्स हैं जिनको उसमें रखकर पाला जाता है उन लोगों का आना बन्द होना चाहिए और आज जब कि देश का बहुमत इस पक्ष में है कि कौंसिल समाप्त की जाय तो हमें भी उनकी अवाज से आवाज मिलना चाहिए।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस पूरे सदन से और पूरे सदन के नवजवान साथियों से यह निवेदन करूंगा कि वह इस सदन में चुनकर आयें और अगर चुनकर नहीं आ सकते तो वह हट जायं। क्या सदन में आकर ही जनता की सेवा हो सकती है, क्या मंत्री बनकर ही सेवा की जा सकती है। क्या बाहर सेवा नहीं की जा सकती? अच्छा होगा कि जनता द्वारा जो रिजेक्ट हो जाय, जिनकी राजनीति का दिवाला हो जाय उनके लिये यह दरवाजा बन्द कर दिया जाय। अगर वह जनता के द्वारा नापसन्द किया जाता हैं, अगर वह बैन्क्रप्ट हो जाता है बुद्धि से तो उनको आने का मौका नहीं मिलेगा और अगर वह जनतंत्र में विश्वास रखत हैं तो जनता के फैसले के सामने जो हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसके सामने सिर झुकाना चाहिये और पिछले दरवाजे से आने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। आज कौंसिल बस्ताबरदारों को खपाने के लिए और पेन्शन होल्डरों को चलाने के लिए कायम है। इसको समाप्त किया जाना चाहिये यह हो सकता है कि हमारे कुछ साथी जिनकी विधान परिषद् के रखने की राय हो यह कहें कि बहुमूल्य राय लेने के लिए विधान परिषद् को रखना चाहिये। वहां वह लोग फाइनेन्स के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। अगर इस हाउस की राय के खिलाफ उनकी राय हो तो फिर दुबारा उनके पास भेजेंगे तो उनके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि उसको पास कर दें तो फिर ऐसे अपंगु लोगों को अपने ऊपर रखकर खर्चा करें और अपने टैक्स पेअर की गरदन को और टेढ़ी करते जांय और रोज सीलिंग और टैक्सेज की बात करें इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

हमारे वित्त मंत्री एक कर्मठ व्यक्ति हैं और नौजवान हैं। उन्होंने इस प्रकार की चीजों में सदा एक मत होकर कार्य किया है और मैं इसी सम्बन्ध में भी उनसे उम्मीद करता हूं कि वह इसमें हमार साथ देंगे। मेरा तो यह विश्वास है कि किसी भी दल से चाहे वह सरकारी पक्ष हो अथवा विपक्ष यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जोजनहित में है तो उम्मीद करूंगा कि वह भी इसको मानेंगे। हमारे रावत जी भी आ गये हैं। जहां तक एक नौजवान के जोश व खरोश का सवाल है रावत जी एक नौजवान से कम नहीं हैं। मैं हमेशा से इस बात का कायल हूं कि उनका दिल जवान है। मैं आशा करता हूं कि रावत जी भी किसी को इस प्रकार पिछले दरवाजे से नहीं आने देंगे। मुझको पूरी उम्मीद है कि रावत जी की अन्तर्रात्मा वही रहेगी जैसी की अब तक रही है और जो हमारी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल दो तीन बातें कहना चहता था। हमको इसके औचित्य पर विचार करना है। सदन को यह देखना होगा कि जो हमारे टैक्स पेयर की रीढ़ की हड्डी टूटती जा रही है वह टूटने न पावे और उसको बचाया जाय। हमको सच्चे दिल के साथ इसके औचित्य और अनौचित्य पर विचार करना होगा और जो जनता के धन की इस प्रकार से बरबादी हो रही है उसको बचाना होगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व की मैं इस विषय में कुछ कहूं मैं प्रस्तावक महोदय श्री नित्यानन्द जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं पंजाब और पश्चिमी बंगाल इन दो विधान सभाओं को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विधानपरिषद् या अपर चेम्बर जो भी कहें को एबोलिश किया और लोक सभा में भी उसको पास करवा लिया। मैं समझता हूं कि काउन्सिल या अपर चेम्बर जो भी उसके नाम हों वह राजनीतिक लोगों का एक यतीमखाना है। जो आदमी सीधे चुनाव लड़कर नहीं आ पाते हैं अथवा वहां के मुख्य मंत्री अथवा कोई बड़े नेता के

[श्री रामधारी शास्त्री]

कृपा पात्र हैं काउन्सिल में पिछले दरवाजे के द्वारा प्रवेश पा जाते हैं। इस प्रकार उन व्यक्तियों को विधान परिषद् का सदस्य बन कर सारे अधिकार मिल जाते हैं और उनका वे उपयोग करने लगते हैं जैसाकि विधान सभा के सदस्य करते हैं। पूंजीपति तथा राजनैतिक दल के लोग जिनके हाथ में सत्ता है वे पैसा लेकर इस प्रकार के लोगों को काउन्सिल का उम्मीदवार बना देते हैं और इसको विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का केन्द्र बना देते हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं।

प्रस्तावक महोदय ने बहुत से उदाहरण दिये हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का हवाला दिया है। इग्लैंड में भी जहां पर जनतंत्र की पैदाइश हुई वहां पर भी दो विचाराधाराओं के लोग हैं, एक तो प्रगतिशील विचाराधारा के लोग हैं जो अपर चैम्बर के विरोधी हैं और दूसरे वे लोग हैं जो चाहते हैं कि यह बना रहे। हो सकता है इसी प्रकार से यहां पर भी दलीलें दी जांय। दूसरे प्रकार के लोग यह दलील देते हैं कि इस हाउस के होने से हेस्टी लेजिस्लेशन को रोका जा सकता है और उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। पूर्व वक्ता ने कहा कि हिन्दुस्तान के लिये और उत्तर प्रदेश के लिये यह लागू नहीं होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कोई एक्सपर्ट लोग नहीं आते हैं जिनकी कि मुख्य मंत्री महोदय को जरूरत होती है। माननीय विकल जी ने ठीक ही कहा कि मौजूदा मुख्य मंत्री महोदय को जिनकी जरूरत है वही उनका विश्वासपात्र रह सकता है और इसी कारण से उन्होंने उनको पार्लियामेंट से यहां पर बुला लिया और आज वह मंत्रिपद पर आसीन हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार सम्भवतः इसी कारण से अभी रोका जा रहा है कि जब माननीय जयराम वर्मा का चुनाव हो जायगा तब मंत्री मंडल का विस्तार किया जायगा। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है जैसा मौजूदा मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वहां के चुनाव के हो जाने के बाद ही मैं मंत्रि मंडल का विस्तार करूंगा। तो इस तरह से मुख्य मंत्रियो को, जिनके हाथ में संयोग से राज्य सत्ता आ जाती है, अपना शासन मजबूत करने का एक गलत मौका है। इसलिये इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, हमारे संविधान की धारा १६८ में दूसरे चैम्बर का प्राविधान है, लेकिन साथ ही धारा १६९ स्पष्ट रूप से कहती है कि पार्लियामेंन्ट उसको समाप्त कर सकती है यदि वहां की विधान सभा प्रस्ताव पास करती है। केवल दो शर्तें हैं। एक तो विधान सभा के पूरे सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए और दूसरे जितने उपस्थित हों, मतदान में हिस्सा लें, उनके दो बटे तीन के बहुमत से होना चाहिए। पंजाब और पश्चिमी बंगाल के मामले में यह परम्परा चली है और लोकसभा ने उसे किया है। बिहार की एसेम्बली को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पास किया। महाराष्ट्र ने भी पास किया। लेकिन अब अन्तरात्मा की पुकार दूसरी तरफ होने लगी है और अब ऐसा लगता है कि वह अब इस राय के नहीं है कि बिहार और महाराष्ट्र की विधान परिषदों को समाप्त किया जाय। उत्तर प्रदेश का भी पता नहीं क्या स्थिति होगी। इसका इम्तहान तो यहीं होगा।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं। मनी बिल्स के बारे में उनको कोई अन्तिम अधिकार नहीं है और इसलिये यह कहना कि चेक का काम करते है, गलत है। आजकल विधान सभा के ऊपर विधान परिषद् कोई रुकावट का काम नहीं कर सकती और न उसमें कोई कुशलता है। साधारण उसमें ऐसे ही लोग रहते हैं जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड पालीटिशियंस हैं। वह केवल आकर बैठते हैं और आराम करते हैं। अंग्रेजों के जमाने के खान बहादुर और राय बहादुर जैसे यदि इनको कहें तो अतिशयोक्ति न होगी।

दूसरी बात यह है कि एक्सपर्ट ओपीनियन की कही जाती है। अगर यह आवश्यक हो तो एसेम्बली की सदस्यता में जैसे पिछड़े वर्ग के लिये व्यवस्था है उसी तरह से इनके लिये भी हो जाय या नामीनेशन की व्यवस्था हो जाय। लेकिन केवल इसलिये कि कुछ एक्सपर्ट लोग आएं, केवल इस नाम पर ७—८ लाख रुपये का प्रदेश का खर्चा करना उचित नहीं है और यह चैम्बर नहीं रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मुझे यकीन है कि हमारे दोस्त जिनके हाथ में सत्ता है वह अपनी अन्तरात्मा की पुकार पर चलेंगे और यह जो राजनीतिक यतीमखाना है इसको समाप्त करने में हर तरह

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वामी जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि आज के प्रजातांत्रिक युग में, आज भारत वर्ष का शासक दल जो अपने को समाजवादी कहता है और समाजवाद लाने की बात करते हैं, उसमें दूसरे सदन को बनाये रखना समाजवाद के प्रति एक कलंक है।

अगर हम इतिहास को देखें कि दूसरे सदन की बात कैसे शुरू होती है तो मालुम होगा कि ब्रिटेन के अन्दर जब राजतंत्र कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का संघर्ष हो रहा था तो कुलीन तन्त्र का जो वर्ग था उसके साथ समझौता करने के लिये एक दूसरे सदन की आवश्यकता पड़ी थी। कुलीनतंत्र के हितों की रक्षा करने के लिये, दोनों के बीच में जो संघर्ष था उसमें समझौते के परिणाम स्वरूप दूसरे सदन की आवश्यकता हुई। लेकिन ब्रिटेन ही में हम क्या देखते हैं? जब संघर्ष और भी तीव्र होता जाता है तो दूसरा सदन है उसकी शक्तियां धीरे-धीरे क्षीण होती जाती हैं और १९१९ के ऐक्ट के बाद हाउस आफ लार्ड्स नाम मात्र का रह जाता है। दूसरा देश जहां दूसरे सदन की आवश्यकता हुयी, अमेरिका था। उस देश के अन्दर संघीय शासन पद्धति थी। राज्यों को समान प्रतिनिधित्व वहां की संसद के अन्दर मिले इसलिये वहां दूसरे सदन के गठन की आवश्यकता थी। हमारे देश में, हमारी बदकिस्मती ने, कि हम लोगों ने देश की परिस्थितियों को देखते हुये उसके ऊपर विचार नहीं किया। और हमने केवल नकल करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन से संविधान में कुछ नकल की और कुछ चीजें हमने अमेरिका के संविधान से लीं। उन देशों से कुछ बातें लेकर अपने यहां की शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। मान्यवर, यह मेरा स्पष्ट मत है कि अगर हमारी विधान निर्मात्री परिषद् बालिग मताधिकार के आधार पर चुनी गई होती तो कोई कारण नहीं था कि हमारे संविधान के अन्दर दूसरे सदन की आवश्यकता को रखा जाता। बदकिस्मती हमारे देश की यह रही कि जिस विधान निर्मात्री परिषद् ने इस देश को संविधान दिया जिन संविधान के निर्माताओं ने हमारे देश को संविधान बनाकर दिया वह विधान निर्मात्री परिषद् बालिग मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। उनके अन्दर ऐसे तत्व मौजूद थे जो कुलीन तंत्र की रक्षा करना चाहते थे, वे निहित स्वार्थों की रक्षा करना चाहते थे। वे निहित स्वार्थों के हामी थे। वे यह चाहते थे कि हमारे देश के अन्दर दूसरा सदन रखा जाय।

मैं स्वामी जी की इस बात से सहमत हूं कि अगर संविधान के अन्दर राज्य सभा को केवल रख दिया जाता तो कुछ अंश में सही हो सकता था लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर, जहां पर इतनी बड़ी विधान सभा है जिसके, अन्दर ४२५ सदस्य हैं वहां पर विधान परिषद् का रखना क्या औचित्यपूर्ण है? स्वामी जी ने बताया कि १३ साल के अन्दर २८८ बिल विधान परिषद् के समक्ष रखे गये हैं लेकिन उनमें से केवल ४ के ऊपर ही संशोधन होता है। कहा जाता है कि कि वहां पर एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। वहां पर विशेषज्ञ आते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन विशेषज्ञों ने इन १३ सालों के अन्दर क्या काम किया है। क्या इसी को आप काम कहते हैं कि १३ साल के अन्दर २८८ बिलों में केवल ४ संशोधन ही रखे जांय। यह तो बड़ी ही हास्यास्पद बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से विशेषज्ञों के नाम पर लोगों को रखना विशेषज्ञों को बदनाम करना है और उनको अपमानित करना है।

वहां पर नामिनेशन किये जाते हैं। हम जानते हैं कि उन नामिनेशन का आधार क्या होता है। हम जानते हैं कि कौन से वैज्ञानिकों को वहां पर रखा जाता है। हम जानते हैं कि कौन से शिक्षाशास्त्री और कौन से इंजीनियर वहां पर रखे जाते हैं। अभी तक क्या हुआ है। यही हुआ है कि अपने दल को मजबूत करने के लिये दल के अन्दर अपने गुट को मजबूत करने के लिये कुछ ऐसे आदमियों को जो दल के अन्दर मशहूर गुटदार लोग हैं उनको एकोमोडेट करने के लिये उनका नामिनेशन किया जाता है। इस बात की मिसाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह]

यहां पर मंत्रिमंडल के अन्दर मौजूद है। एक बार जो सदस्य जनता के अन्दर जाता है और जनता उसको ठुकरा देती है, उसकी जमानत जप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको यहां पर विधान परिषद् में लाया जाता है। चोर दरवाजे से उनको लाया जाता है। फिर उनको मंत्रि मंडल के अन्दर शामिल किया जाता है। क्या यह जनता का अपमान नहीं है। जो अपनी नीतियों को जनता के बीच लेकर गया था और जिसे जनता ने उसकी नीतियों को ठुकरा दिया है तो उसके नामिनेशन को भी ठुकरा दिया है। यदि आज आप उसी सदस्य का फिर से नामिनेशन करके मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो यह जनता का और प्रजातंत्र का खुले तौर पर अपमान है। क्या यह समाजवाद के नाम पर कलंक लगाना नहीं है? सरकार ने एक आदमी को एक वोट का अधिकार दिया है। गांव में खेतों में जो काम करने वाले मजदूर किसान हैं उनको आपने एक वोट का अधिकार दिया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास साधन हैं या जो शिक्षक हैं या कुछ शिक्षाशास्त्री हैं, या ग्रेजुएट हैं उनको आप दो मत देने का अधिकार देते हैं क्या यह वेस्टेड इन्टरेस्ट नहीं है? मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कितनी सुन्दर बात है और देखने लायक बात है कि अभी तक इस पक्ष की ओर से जितने भी माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं उनमें से किसी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ी नोट करने की बात यही है कि माननीय स्वामी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उनके बगल में जो मित्र बैठते हैं उनकी तरफ से एक सदस्य ने भी न तो इसके हक में अपना मत प्रकट किया है और न विरोध में ही बोले हैं यह कितनी बड़ी बात है। इसलिये कि नीति के तौर पर, उसूल के तौर पर, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि जो आपके दिल में है उसको सदन के सामने रखें। इससे बड़ी राजनीतिक बेइमानी और क्या हो सकती है?

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी तो क्लोजर मूव नहीं हुआ है। इसलिये माननीय नेगी जी को धीरज रखना चाहिऐ।

श्री गोविन्द सिंह---

मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के सब दलों से, सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दलगत प्रश्न को लेकर इस पर न सोचें। इससे ऊपर उठ कर सोचें। अगर यह प्रस्ताव बंगाल मे पास हुआ तो इसलिये कि वहां संगठन कांग्रेस के दल के लोगों ने तथा सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। पंजाब विधान सभा में यह प्रस्ताव क्यों पास हुआ? इसलिये पास हुआ कि वहां भी संगठन कांग्रेस दल के सदस्यों ने, इन्द्रा जी के दल के सदस्यों ने और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सभी ने इसका समर्थन किया। पार्लियामेंट में भी यह प्रस्ताव इसलिए पास हुआ कि उस समय सभी दल के प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया था।

मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का विरोध करें तो वह इशारा करें कि बंगाल में कौन सी चीज थी जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। पंजाब में कौन सी परिस्थिति थी जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दलगत परिधि से ऊपर उठ कर एक मत केसाथ इस प्रस्ताव को पास करने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी द्वारा, प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि प्रजातंत्र के युग में कौंसिल का होना सदन का अवमान है और इसके साथ-साथ प्रजातंत्र का भी अवमान है और डेमोक्रेसी का भी है। इसलिये कि जब एडल्ट फ्रेन्चाइज के उसूल पर २१ साल की उम्र के आधार पर जनता ने अपने नुमाइन्दे यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुन कर भेजे हैं। कानून बनाने का काम, जनता के प्रतिनिधित्व करने का काम इसके सुपुर्द हुआ और उनकी जो तमन्ना और आकांक्षाएं होती है या अपनी-अपनी जगह पर उनका प्रतिनिधित्व आपके द्वारा सरकार तक पहुंचता है लेकिन यह कह देना कि ऐसा हाउस जिसका कांस्टीट्यूशन, जिसकी बनावट इस तरीके से हुई है कि अगर श्रीमन्, गौर करें तो जो लोग चुनकर आते हैं, कहीं-कहीं दो-दो जिले भी शामिल हैं और बाज-बाज हल्कों में एक जिला शामिल होता है। लगभग ढाई हजार संख्या उनके वोट्स की होती है। गौर कीजिए २६ तारीखको उसको अभी इलेक्शनहुआ है तो ढाई हजार गांवों में जाने के लिये किस तरह से साधन जुटाए जाते हैं, ८०-८० जीपहोती हैं और रुपयों की भरमार होती है और इसके साथ ही साथ किस चीज का सहारा लिया जाता है। वह यह है कि जो अन्धे क्रिपिल्ड वोटर्स हैं उनके साथ हैल्पर जायेगा और वह वोट देगा। उसका दुरुपयोग इस तरह से होता है कि अगर मैं वोट डाल आया तो दूसरा आदमी चाहे उसको दीखता हो या न दीखता हो अगर वह कह दे कि मैं अन्धा हूं तो फौरन दूसरे वोटर के साथ वह अन्दर चला जायेगा इसके माने यह हुए कि जब हमने एक आदमी को वोट दे दिया और फिर दोबारा हेल्पर के रूप में वोट दिलाने के लिये वह जाता है तो वह इनडिविजुअल नहीं रहा, वह स्वयं एक पार्टी बन गया और हैल्पर की तरह जाकर उसने अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे दिया। इस तरह से कई लाख रुपया खर्च करके उस हाउस में मेम्बर चुनकर पहुंचते हैं। कुछ लोग वहां हमारे वोटों से यानी असेंबली से चुनकर जाते हैं। बड़े खेद की बात है और बड़ी शर्म की बात है उन लोगों के लिये कि जो लोग आज सिंहानिया को वोट देते हैं, सरदार इन्द्र सिंह को वोट देते हैं या सीताराम जयपुरिया को वोट देते हैं। उनका कोई संबंध नहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं लेकिन उनको हम भेजते हैं इस वास्ते कि जो चीज हम यहां से पास करें उस पर वह टीका टिप्पणी और नुक्ता चीनी करें।

इसके अलावा कुछ ग्रेजुएट या स्नातक लोगों में से भी चुनकर वहां जाते हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ हैं वहां रोज तरह-तरह की राजनीति चला करती है, उनकी अन्दरूनी पालिटिक्स चलती है, वह लोग जाकर हमारे किये हुए काम की देखभाल करते हैं। हरिराज सिंह बड़ा अच्छा काम करते हैं, वह माध्यमिक शिक्षक संघ से चुनकर आए और वह बहुत ही जागरूक किस्म के एम० एल० सी० थे लेकिन वह हार गये। और किसी और को चुनकर भेज दिया कि वह हम लोगों के ऊपर चेकिंग करें। कहीं ऐसा न हो कि यही समझा जाने लगे कि इस सदन में सब बेवकूफ इकट्ठा हो गये हैं और चेक करने के लिये ऊपर के सदन में पढ़े लिखे लोगों की जमानत की जरूरत है। मेरा कहना है कि कौंसिल का होना प्रजातंत्र के लिये, डेमोक्रेसी के लिये हम सब के लिये अपमानजनक चीज है। इसका जितनी जल्दी अबालिशन हो वह अच्छा है। मैं पंजाब और बंगाल की विधान सभाओं को बधाई देता हूं कि जहां अपर हाउस समाप्त किया गया है। मैं समझता हूं कि जो शासक दल है चाहे वह रूलिंग कांग्रेस हो, चाहे बी० के० डी० हो, दोनों की ही अन्तरात्मा की पुकार यह होगी कि वह श्री नित्यानन्द स्वामी के प्रस्ताव का समर्थन करें। जिस दल का क्रिएशन ही अन्तरात्मा की पुकार पर हुआ है कोई कारण नहीं है कि सरकारी पक्ष का समर्थन इस प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त न हो। जैसा कि अभी तक उधर के लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है कि आजादी से पहले इस प्रदेश में एक असेंबली और एक कौंसिल आफ स्टेट सेन्टर में थी और एक प्रिन्सेज का चेंम्बर बना हुआ था। आजादी के बाद भी अगर इसी तरह के सेलेक्टेड लोगों का हाउस रहे तो, वह उचित न होगा। जिस तरह से पहले होता था कि जिस का लगान २५–३० से ज्यादा होगा उसको वोट का अधिकार होगा, जमींदार जिनकी मालगुजारी २५,००० से ज्यादा हो वही कौंसिल आफ स्टेट में चुनकर जा सकते थे। उसी जमाने की प्रथा के अनुसार सेलेक्टेड लोगों के अधिकारों पर ही कौंसिल का निर्माण हुआ और वह सदन यहां अभी तक मौजूद है। क्या इस प्रकार का प्राविजन संविधान के आर्टिकिल १४ के विरोध में नहीं है जिसमें लिखा है कि सबके लिये इक्वेलिटी आफ ला होना चाहिये। हमारा संविधान चाहता है कि सबका अडल्ट फ्रेंन्चाइज में एक वोट का हक होगा लेकिन यहां अगर कोई ग्रेजुएट, टीचर या प्रधान है तो उसे ला बनाने वाले बाडी के लिये दोबारा वोट का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर वह किसी इन्टर्नल बाडी को चुनने के लिये होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।

[श्री रियासत हुसैन]

लेकिन खेद की बात है कि लेजिस्लेचर में एक ला गवर्निंग बाडी है। चुनाव के लिये २० साल से ऊपर वाले को एक अधिकार है लेकिन उसको एक और एक्सट्रा अधिकार मिल गया ग्रेजुएट होने का, एकस्ट्रा अधिकार मिल गया टीचर होने का, एक्सट्रा अधिकार मिल गया है जिला परिषद् में होने का, जो गलत है। इस आधार पर मैं कहता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जितनी जल्दी समाप्त हो उतना ही देश और प्रदेश के लिये लाभकारी और प्रजातंत्र के हक में उतना ही अच्छा होगा।

लोग यह समझते हैं कि कौंसिल के होने से, यहां से जो बिल जाते हैं, उनमें वे संशोधन करते हैं और उनको अच्छा बना देते हैं। उनमें अपनी राय जाहिर करके वापस भेज देते हैं। वहां पर केवल पार्टी मैनोवरिंग होती है। अगर इतने बिलों में से केवल कुछ पर संशोधन पेश करके वापस किया जाता है तो मैं समझता हूं कि व्यर्थ ही इतना बड़ा खर्चा हम टैक्सपेयर्स के ऊपर डाल रहे हैं जो उन्हें एमौल्यूमेंट्स के रूप में मिलता है। मैं कौंसिल के ऊपर कुठाराघात तो नहीं कर रहा हूं। उसके अपने प्रिविलेज हैं लेकिन हमें फिर भी यह सोचना पड़ेगा कि अगर उन प्रिविलेजेज को इस्तेमाल करने की हैसियत से कोई कमेटी बना लें और वह कहीं चली जाय तो उस पर व्यय होने वाली धनराशि कहां से आयेगी। आज हम यहां पर किसी कमेटी का निर्माण कर दें और वह पूरी दुनिया में घूमकर अपनी रिपोर्ट दे तो सोचना पड़ेगा कि इस कमेटी का पूरी दुनिया में घूमने का खर्चा कहां से आयेगा। तो मैं कहता हूं कि हम तो जवाबदेह हैं उस जनता के सामने जिसने हमें यहां पर चुन कर भेजा है। वे हमसे सवाल कर सकते हैं कि आपने यह कमेटी बनाई है, इस पर इतना खर्चा हुआ है, आपको क्या हक था टैक्सपेयर्स का रुपया बरबाद करने का लेकिन उनसे कौन पूछने वाला है? कौंसिल की एक बेगर्स रिमूवल कमेटी बनी। वह पूरे हिन्दुस्तान में घूमी। उस पर एक डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ लेकिन वे किसी के जवाबदेह नहीं हैं।

दूसरी बात जो देखने में आई है वह यह है कि लखनऊ के रहने वाले भी अपनी रेजीडेन्स देहरादून में दिखा देते हैं। इस प्रदेश की आबादी ८ करोड़ है और यह ७०८ मील का प्रदेश है। जो इलाका यहां से सब से अधिक दूर है वहां की वे रेजिडेन्स दिखाते हैं ताकि अधिक से अधिक भत्ता बन सके। यह बड़े शर्म की बात है और यह इसलिये है कि वे कहीं पर भी जवाब-देह नहीं हैं। उन्हें पूछने वाला हो या नहीं लेकिन हम तो इस प्रदेश के एक एक पैसे के रखवाले हैं। विधान परिषद् का जो बजट होता है वह भी पार्लियामेंट के हेड के अन्डर यहां से पास होता है और उसके लिये हम जवाबदेह होते हैं कि यह लाखों रुपया किस काम के लिये खर्च करते हैं, आप इसकी किस काम के लिये मंजूरी देते हैं। वे जवाबदेह हों या न हों लेकिन यह सदन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है तो इसलिये इस सदन का यह फर्ज है कि अगर कहीं पर बेजा खर्च हो रहा हो तो उसको रोक दे। उस को चेक करें। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी कान्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टीज हैं। मेजारिटी से पास हो हाउस में और उसमें मौजूदा मेम्बर्स की दो-तिहाई की मेजारिटी हो फिर पार्लियामेंट पास करे। यह ठीक है कि ये डिफिकल्टीज हैं। लेकिन हमको देखना यह पड़ेगा कि हम जनता के सामने इसके जवाबदेह हैं कि हमने अपने फर्ज को कैसे निभाया। हम जनता के सामने कह देते हैं कि पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया। हमने पूरी कोशिश की कि यह सदन खत्म होना चाहिये, काऊंसिल खत्म होनी चाहिये तो हम जनता के सामने इसका जवाब दे सकते हैं। इसलिये यह जरूरी चीज है कि इस सदन को यह प्रस्ताव जल्दी पास करना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि जब पूरे देश के अन्दर सवाल खड़ा हो तो उत्तर प्रदेश, जिसको कहा जाता है कि देश की नाक है, देश का दिल है, हृदय है, कहीं ऐसा न हो कि यह बदनामी का धब्बा, यह काउन्सिल का दाग सारे देश से समाप्त हो जाय और उत्तर प्रदेश के जिस्म पर लगा रहे, यह बड़ीलज्जाजनक और शर्म की बात होगी। मैं अपने इन शब्दों के साथ स्वामी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

माननीय उपाध्यस महोदय, आज हमारे सामने माननीय नित्यानन्द जी ने प्रस्ताव रक्खा है उसमें सारे सदन को सोचने के लिये अपना ध्यान बरबस खींचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गोविन्द सिंह जी बोल रहे थे। उन्हें बड़ी भारी शिकायत रही कि यहां संगठन कांग्रेस की ओर से कोई नहीं बोला। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने बहुत बार खड़ा हुआ हूं परन्तु मुझे मौका नहीं मिला। तो मेरी मजबूरी थी मगर उपाध्यक्ष जी मैं विधान परिषद् की समाप्ति के प्रस्ताव की भावना से व्यक्तिगत तो अपने को संबद्ध करता ही हूं....

श्री रियासत हुसैन--

मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आप अकेले हैं। क्या आप ही पूरे संगठन कांग्रेस को रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

मैं संगठन कांग्रेस की ओर से लीडर नहीं हूं। उसका बैक बेंचर हूं। मैं अन्तरात्मा से कहता हूं, अन्तरात्मा की पुकार वालों की तरह कोई बात नहीं कहता हूं। अपनी बात पूरे सिद्धान्त से कहूंगा और इसी तरह से इस प्रस्ताव को स्वीकार भी करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

आपकी आत्मा है या नहीं ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

आत्मा अपनी जगह पर है और अन्तरात्मा अपनी जगह पर है। यह अन्तरात्मा वाले तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस वाले हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मैं अन्तरात्मा रखने का उदाहरण रखता हूं। जिनकी अन्तरात्मा होगी भी वे भी नहीं कहेंगे।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि जितने लोग इस समय बोले हैं उनमें से बहुत से लोग, मैं यह कह सकता हूं कि यह विधान परिषद् बिलकुल, समाप्त हो इसलिये नहीं कह रहे हैं कि असल में समाप्त हो जाय। मैं सिद्धान्त रूप से उनकी कथनी को स्वीकार नहीं करता जैसे कि मैं गोविंद सिंह जी से आपके माध्यम से कह सकता हूं कि विधान परिषद् में उनके दल के जाने का कोई रास्ता निकलता नहीं है इसलिये उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन जो भी हो, उनका यह विचार अच्छा है। उन्होंने इसका समर्थन किया यह अच्छी बात है। विधान परिषद् के बारे में, उपाध्यक्ष जी, जो कुछ भी कहा गया है और नित्यानन्द जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे सही हैं। जहां तक मेरे व्यक्तिगत सिद्धान्तों की बात है मैं उनसे शत प्रतिशत सहमत हूं। और उपाध्यक्ष जी, मैं जहां तक अपने व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्ताव की भावना से संबंधित हूं वहां पर मैं डट जाऊंगा। मैं अन्तरात्मा की पुकार वाले इंदिरा कांग्रेस वालों की तरह नहीं हूं। इस विधान परिषद् को समाप्त करने की बातें कई माननीय सदस्यों ने उठाई हैं। मैं समझता हूं कि यह जो चोर दरवाजे से विधान परिषद् के सदस्य के रूप में आने की बातें हैं यही राज्य सभा के सदस्य होने के लिये नया तरीका है। सरकारें बनती हैं और गिरती हैं विधान सभा व लोक सभा से, किन्तु विधान परिषद् और राज्य सभा के रूप में इनको

[श्री डूंगर सिंह विष्ट]

अनावश्यक रूप से रखा गया है। विधान परिषद् के बनते समय जो सोचा गया था कि ऊपरी सदन में विशेषज्ञों के रूप में लोगों को रहने का अवसर मिलेगा यह बात निर्मूल हो गई है, अध्यापक या ग्रेजुएट या स्थानीय निकाय के क्षेत्रों से गन्दी राजनीति खेलकर ये लोग विधान परिषद् में आते हैं। कोई भी शायद किसी विषय का विशेषज्ञ आ सकता हो। क्या हमारे माननीय सदस्य ध्यान नहीं देंगे कि जितने भी हारे हुए लोग होते हैं उनको यहां से राज्य सभा में भेज दिया जाता है? राज्य सभा में कितने ऐसे सदस्य पहुंचे हैं जो हारे हुए हैं। मैं तो चाहता हूं कि राज्य सभा भी समाप्त की जाय। विधान परिषद् व राज्य सभा दोनों बेकार खर्चे वाली जगहें साबित हो रहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप राज्य सभा के बारे में कुछ न कहिए, वह आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आप अपने को विधान परिषद् तक ही सीमित रखिए।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

यहां विधान परिषद् की बात आई है, इसलिए मैं दूसरे सदन यानी विधान परिषद् के बारे में अपने विचार रख रहा था। मैं समझता हूं कि विधान परिषद् जैसी कि वह इस समय है उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें कुछ मतदाताओं को तो तीन-तीन बार मतदान का मौका मिलता है। इसमें ३–४ तरह से सदस्य चुनकर आते हैं। एक तो विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं इसके अलावा स्थानीय निकायों, टीचर्स तथा ग्रेजुएट कान्स्टीट्यूएन्सी से आते हैं। इस चुनाव के कारण अध्यापक और ग्रेजुएट, चाहे वे राजकीय सेवा में हों या अध्यापक हों उनमें एक गन्दी राजनीति छा गई है और गन्दी राजनीति के खेल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्यापकों की अनुशासनहीनता की गन्दी राजनीति का बुरा असर सारे देश पर हो रहा है। इनके द्वारा जो लोग चुनकर आते हैं वे यहां पर भी अपनी गन्दी राजनीति का अखाड़ा बनाए हुए रहते हैं। इनके कारण ही आज स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में गन्दी राजनीति छा गई है। इससे बुरा वातावरण देश में बन रहा है। एक उच्छृंखलता का वातावरण बन रहा है। आज इसके कारण किसी भी इन्स्टीट्यूशन में शान्ति और गंभीरता का वातावरण दिखाई नहीं देता है। नक्सलाइट टाइप के ये एजूकेशन के सभी इन्स्टीट्यूशंस चल रहे हैं।

इसके अलावा स्वामी जी ने वित्त संबंधी बातें भी बतलायी हैं। इसके कारण १८–२० लाख रुपये सालाना का खर्च होता है, यह खर्च भी बचाया जा सकता है। उपाध्यक्ष जी, मुझे आप फिर भी यह कहने की आज्ञा देंगे कि विधान सभा से जो राज्य सभा के लिये सदस्य चुनकर जाते हैं, यह चुनाव भी भ्रष्ट तरीके से होते हैं, इसमें भी राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है। इसलिए मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं कि राज्य सभा की भी जरूरत नहीं है। उसके कारण भी भारी खर्चा और बेकार का होता है और लाभ कुछ नहीं होता है। अभी राज्य सभा के जो चुनाव परिणाम सामने आये उसके कारण प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को जो अन्तरात्मा की पुकार वाले दल बना कर अनुशासनहीनता सारे देश में पैदा कर चुकी है अपने बिल पास कराने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। अब यह लोग क्या करेंगे? कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से दोस्ती करेंगे, कहीं डी० एम० के० तथा तारासिंह अकाली दल की पार्टी से मेल करेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि दूसरे सदन की कोई जरूरत नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होता। प्रान्तों में सरकारें भी विधान सभा से ही बनती और गिरती हैं इसलिए विधान परिषद् की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे दल के नेता चौधरी गिरधारी लाल हैं, मुझे आशा है वे भी इसके लिये हमारे विचारों से सहमत हो जायेंगे और पूरा सदन, इधर बैठे लोग हों या उधर बैठे लोग हैं, इस प्रस्ताव को पास हो जाने देंगे। इस प्रकार मैं विधान परिषद् की समाप्ति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज श्री स्वामी जी के द्वारा विधान परिषद् समाप्त की जाय इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है, जिस पर विचार चल रहा है और अभी तक जो विचार व्यक्त किये गये, उनसे ऐसा लगता है कि यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। यह स्वयं स्वीकार सा प्रश्न लगता है। चूंकि दूसरी तरफ के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं और जो विरोधी दल के हैं, वे तो सारे के सारे समर्थन कर ही रहें हैं। अब केवल एक दल भारतीय क्रान्तिदल रहता है, जिसने अभी तक इस पर कोई इस तरह का विचार व्यक्त नहीं किया है। इसकी जो उपादेयता है, उसको हमें दृष्टि में रखना है। जिस समय यह प्रश्न संविधान सभा में आया था, यदि इसकी उपादेयता होती, तो उस समय यह मान लिया जाता और इसकी उपादेयता को देखते हुये इसको फण्डामेंटल राइट्स की तरह से संविधान में रखा जाता और संविधान की १४९वीं धारा न रहती, जिसमें कहा गया है कि हम विधान परिषदों को समाप्त कर सकते हैं। तो यह केवल प्रयोग करने के लिये रखा गया था।

कुछ लोग कहते थे कि विधान परिषद् राज्यों में रहें, और कुछ कहते थे कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये न रहें, यह देखकर इसे प्रयोगात्मक रूप में लिया गया था। आज २१–२२ साल हो गये प्रयोग करते हुये, और आज सारे भारतवर्ष में यह अनुभव किया जाता है, तमाम जनता और पार्टियां यह अनुभव करती हैं कि ये विधान परिषदें समाप्त होनी चाहिये, जिसका वर्णन बड़े अच्छे शब्दों में स्वामी जी ने किया है। जब सब लोग इसे अनुपयोगी समझते हैं तो इसे रखने की क्या आवश्यकता है। इनकी उपादेयता दो–तीन बातों से समझ जा सकती है। विधि बनाने में ये अपनी उपादेयता सिद्ध करते, तो हमने यह देख लिया कि २० सालों में किसी प्रकार भी यह विधान परिषद् अपनी उपादेयता सिद्ध नहीं कर सकी है। इसके विपरीत दूसरी तरफ यह दिखाई देता है—हमारा देश एक गरीब देश है और उत्तर प्रदेश और भी पिछड़ा हुआ है। देश विकास-पथ पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में दो तरीके से अपना काम चलाना चाहिये। एक तो हम अपने साधनों को बढायें और दूसरे जो हमारी फिजूलखर्ची है उसको हमें रोकना चाहिये। जो लोग यहां बोले हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि यह केवल फिजूलखर्ची की बात है और इसको रोककर हमें अपनी अर्थ स्थिति को जो प्रान्त की है, उसको ठीक करना चाहिये। कोई कारण नहीं कि बंगाल और पंजाब में विधान परिषदें समाप्त हो जायें और बिहार तथा महाराष्ट्र प्रदेश में उसकी समाप्ति के लिये प्रस्ताव पास हो जायं और यहां वैसे ही चलने दिया जाये। बिहार प्रदेश तो हमसे भी पिछड़ा हुआ है वहां पर यह प्रस्ताव हो सकता है तो कौन-सा कारण है कि यहां पर यह प्रस्ताव पास न हो? यदि कोई कारण रहता है, तो यह वही कारण है कि जिस राजनतिक बेईमानी के आधार पर इस सरकार का गठन हुआ है, शायद उसी आधार पर इसका सगर्थन नहीं होगा नहीं तो निश्चित रूप से इसका समर्थन होना चाहिये।

मैं उन उदाहरणों को नहीं लेना चाहता जिन्हें अन्य वक्ताओं ने दिया है कि जिस तरह हम लोक सभा के सदस्य से त्याग-पत्र दिलवा कर विधान परिषद् का सदस्य बना देते हैं और फिर विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिलवाकर विधान परिषद् का सदस्य बनवा देते हैं। इसमें अब केवल एक राजनैतिक रूप आ गया है, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है। मुझे नही मालूम इसमें अब तक कौन-सा अच्छा साहित्यकार आ गया, कौन-सा सुप्रसिद्ध कवि आ गया और कौन-सा इतिहासकार आ गया। मैं स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के बारे मे कुछ बातें कह सकता हूं, जो हमने अपने यहां पर देखी हैं। शिक्षिक क्षेत्र से जो आये हुये हैं, वह एक अध्यापक हैं और स्नातक क्षेत्र से जो चुनकर आये हैं, वह एक प्रधानाध्यापक हैं, इस प्रकार दोनों से अध्यापक ही चुनकर आ गये हैं। बहुत बड़े साहित्यकार और इस प्रकार के लोग नहीं आते, अध्यापक ही आ गये। तो जो विधान परिषद् है उसे विधान सभा का एक छोटा-सा रूप समझा जाना चाहिये। जो काम यहां पर हम करते हैं सब काम वहां पर दोहराये जाते हैं। जिस प्रकार यहां आश्वासन समिति और प्राक्कलन समिति बनती हैं, वहां पर भी समितियां बन जाती हैं और उन पर इतना ही खर्चा होता है जितना यहां की समितियों में होता है। सदन का खर्चा, समितियों का खर्चा, और स्टाफ का खर्चा इस प्रकार

[श्री मोहन लाल कपूर]

करोड़ों रुपये का खर्च होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि अपना प्रदेश गरीब है। यहां पर कर्मचारियों और अध्यापकों की तनख्वाह कम है। वृत्ति कर आप समाप्त कर दें जिसमें केवल एक सवा करोड़ की आमदनी है और उसकी वसूलियाबी में कितना खर्चा है। २०–२५ लाख की वजह से वृत्ति कर लगाया गया है। बड़ी मुस्तैदी से कहते हैं कि वृत्ति कर समाप्त नहीं करेंगे। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ अजीब बात लगती है। दिल्ली में वृत्ति कर नहीं है और दिल्ली के पड़ोस मेरठ में वृत्ति कर है। वृत्ति कर को समाप्त करके राहत दी जा सकती है। फिजूलखर्ची को रोका जाय और जो दोहरा काम होता है, विधान परिषद् के द्वारा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।

जहां तक स्ट्रक्चर का सम्बन्ध है, अध्यापकों के जो चुनाव हुये, लोकल बाडीज के जो चुन व हुये, संगठन कांग्रेस और इंडिकेट कांग्रेस और अन्य दलों से लोग खड़े होते हैं। जिस प्रकार यहां राजनैतिक दल कार्य करते हैं उसी प्रकर वहां पर भी काम करते हैं। जो राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र हैं, जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, जो यहां प्रतिपादित होते हैं वही वहां पर होते हैं। इस प्रकार सब चीजें दोहराई जाती हैं। इसमें समय और पैसे की बरबादी होती है। इसलिये दोहराना समाप्त होना चाहिये और इसमें जितना पैसा खर्चा होता है उसको बचाना चाहिये। मुझे अपने जिले में कुछ घूमने का मौका मिलता है। ऐसे ऐसे पुलों की जरूरत है, एक गांव है जो गंगा नहर के एक तरफ बसा हुआ है और उनके खेत दूसरी तरफ हैं। वह अपनी फसलों की रखवाली नहीं कर सकते। अगर बहू–बेटियां खेत में मदद करती हैं तो उनकी इज्जत लूट ली जाती हैं। इस प्रकार के पुल और सड़कें नहीं बन पायीं। प्रदेश का विकास होना चाहिये, क्यों नहीं हुआ ? कहने को कह दिया जाता है पैसा नहीं है। कितने कर आपने लगा लिये। फिजूल खर्ची को रोकना चाहिये। समय का तकाजा है कि काउंसिल को समाप्त कर दें, काम का दोहरापन समाप्त कर दें। समस्त देश में इसकी उपयोगिता नहीं दिखायी देती उसको समाप्त करें। गांधी जी ने तो १९३१ में कह दिया था कि इसकी उपयोगिता नहीं है, एक ही सदन को कार्य करना चाहिये। इस सदन में ४२५ सदस्य हैं जो चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर व्यापारी भी आये हुये हैं, किसान भी आये हुये हैं, मजदूर भी आये हैं। कौन-सा वर्ग यहां पर प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है तो विधान सभा ही करती है। और इस विधान सभा में जो सच्चा प्रतिनिधित्व है उसी के आधार पर हम आप आगे चल सकते हैं।

कहा जाता है कि ये कौंसिल जो हैं वह कुछ जांच करती हैं,देख-भाल करेंगी और इनमें विशेष योग्यता रखने वाले लोग कार्य करेंगे। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान परिषद् का एक ही उपयोग है कि जिनको हम चाहते हैं, जो असेम्बली में चाहे हार गये हों, आने लायक न हों हम उनको यहां ले आयें और यह एक राजनैतिक भ्रष्टाचार का अड्डा कम से कम बन गया है और इस प्रकार के राजनैतिक भ्रष्टाचार के अड्डे को समाप्त करना परम आवश्यक है। हमारे मुख्य मंत्री जी अगर एक बात को दोहराते हैं वह सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, अच्छा शासन लायेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार खुली बेईमानी का उपयोग किया जा रहा है और राजनीतिक मैनिपुलेशन करके अपने आदमियों को लाया जा रहा है, यह भ्रष्टाचार समाप्त करना आवश्यक है या नहीं ? अगर हम अपने प्रदेश में, देश में छोटे-छोटे विभागों में, बड़े-बड़े विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पहले राजनीतिक क्षेत्र में घुसे हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये और उसका अगर कोई पहला कदम हो सकता है तो यही कि हम उच्च सदन हैं, इसको समाप्त करें और मुख्य मंत्री जी को ही इसमें पहल करनी चाहिये। पड़ोस में जो प्रदेश बिहार है उसके मुख्य मंत्री दरोगा प्रसाद राय मुख्य मंत्री होते हुए भी इस विधेयक को लाते हैं कि उच्च सदन समाप्त कर दिया जाय। आज मुख्य मंत्री जी के साथ में दरोगा प्रसाद की जो

पार्टी है वह भी मिल गयी है तो उनको इस प्रकार एक ताकत मिल गयी है और अगर वह इसको समाप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर मुख्य मंत्री ही स्वयं लाते तो ज्यादा अच्छा होता, और इस प्रकार अपने प्रदेश में आर्थिक स्थिति को सुधारने में पहल करते। जिस प्रकार से बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में ऐसे बिल लाये गये ऐसे ही यहां भी लाना चाहिये था। एक बात और भी कहना चाहता हूं कि विधान में जहां हमने विधान परिषद को समाप्त करने की बात कही है वहां यह भी कहा है कि जो प्रदेश निर्माण करना चाहें वह निर्माण भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश निर्माण करना चाहता था लेकिन आज तक वहां विधान परिषद् नहीं है। तो २२ साल में समाप्त तो हो गयी हैं लेकिन निर्माण कहीं नहीं हुआ। तो यह देखना चाहिये कि आज हवा किस तरफ बह रही है और उसको पहचानते हुये मुख्य मंत्री जी और उनकी पार्टी अपने इस स्वच्छ प्रशासन को देने के निमित्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कराने का प्रयत्न करेंगे, यह मैं उनसे निवेदन करता हूं।

†श्री हुक्म सिंह (जिला आगरा पश्चिम) —

उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय चल रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। विधान परिषद् में अगर बुराइयां होंगी तो अच्छाइयां होना भी परमावश्यक है। क्योंकि जहां बुराइयां होती हैं वहां कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। विधान परिषदों का जो गठन हुआ है वह इसलिये कि उनकी आवश्यकता थी। आवश्यकता के अनुसार ये बनायी गयीं थीं। परन्तु आज जो बहस चल रही है उससे मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि इसके लाभ–हानि पर विचार नहीं किया जा रहा है बल्कि कुछ राजनीतिक कारणों को लेकर चला जा रहा है। पूर्व वक्ता ने कहा था कि भारतीय क्रान्ति दल की तरफ से कोई भी विचार व्यक्त करने के लिये तैयार नहीं हुआ। मैं भारतीय क्रान्ति दल का हूं। मुझे आभास नहीं मिला है पार्टी की नीति का लेकिन वास्तव में प्रजातंत्र जो है वह पार्टी अनुशासन पर चल रही है। अगर पार्टी में अनुशासन है तो प्रजातन्त्र है। अगर नहीं है तो प्रजातंत्र नहीं रहता इसलिये भारतीय क्रान्ति दल ने कोई आदेश जारी नहीं किया है।

जहां तक कौंसिल का सवाल है, वह एक परामर्शदात्री समिति है। परामर्शदात्री समिति के लिये, जैसाकि मैंने कहा, यहां हम लोग ४२६ बैठे हैं अगर ७०० आदमियों की भी विधान परिषद् को लेकर एक समिति बना दी जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि पूरे प्रदेश का हमने ठेका नहीं लिया है। हमसे भी कई बुद्धिमान लोग हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिये। वहां पर जो लोग हैं वे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो शिक्षक कांस्टीटुएन्सी से आते हैं, लोकल-सेल्फ से आते और ग्रेजुएट कांस्टीटुएन्सी से आते हैं। उसमें १/६ लोकल सेल्फ बाडीज से, १/६ ग्रेजुएट कांस्टीटुएन्सी से आते हैं व १/६ टीचर्स कांस्टीटुएन्सी से आते हैं जो अनुशासनहीनता राजनीति मे व्याप्त है वह यह है कि आप लोगों ने टीचर्स, प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को उचित मान नहीं दिया है। मैं जानता हूं कि अध्यापकों की कमी है परन्तु अध्यापक दरिद्र हैं। वे बहुत गरीब हैं उनका वेतन-क्रम कम है। कौंसिल में ग्रेजुएट कांस्टीटुएन्सी से कितने ही आदमी आते हैं जो कम से कम ग्रेजुएट तो होते ही हैं। टीचर्स कांस्टीटुएन्सी से भी जो लोग आते हैं वे भी ग्रेजुएट होते हैं। काफी पढ़े-लिखे लोग कौंसिल में चुन कर आते हैं। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो बेशक उसको समाप्त कर दें।

कुछ लोगों ने कहा कि कुछ व्यक्ति मिनिस्टर बनने के लिहाज से चोर दरवाजे से आना चाहते हैं किन्तु यह नहीं देखते कि उनकी क्या-क्या अच्छाइयां हैं और क्या-क्या बुराइयां हैं। इसको आप यदि ठण्डे दिल से सोचें तो आप पायेंगे कि उसमें बुराइयां भी हैं और भलाइयां भी हैं। इस प्रणाली में अगर आप परिवर्तन कर दें तो अनियमित होगा। आज कितने ही डाक्टर्स हैं, इन्जीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं यदि आप इनको अपने काम के बजाय दूसरा काम सौंप दें तो आप उनके गुणों का लाभ नहीं उठा सकते। जो सही चीज है जो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उनके गुणों के ऊपर आप विचार कर लें। जहां तक भारतीय क्रांतिदल का सवाल है अभी उसने इस

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुक्म सिंह]

सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। वैसे जो पार्टी समझेगी और निर्णय लेगी उसे मैं मानूंगा।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्य जी, मैं माननीय नित्यानन्द जी के भाषण का समर्थन करना चाहता हूं। मान्यवर, यह खुशी की बात है कि इस आदरणीय सदन में स्वामी जी के प्रस्ताव का चारों तरफ से समर्थन हो रहा है। अभी बी० के० डी० के एक सदस्य ने कुछ विपरीत राय जाहिर की है लेकिन उनके भाषण से ऐसा आभास होता है कि वे भी दुविधा में हैं। उसके पक्ष और विपक्ष में कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि विधान परिषदों से कुछ लाभ भी सम्भव है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बी० के० डी० से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है इसलिये वे कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं कर सकते। उनको संकोच है और उन्होंने इस सिलसिले में यह भी कहा कि जनतंत्र में अनुशासन के बगैर काम नहीं चल सकता। मुझे आश्चर्य हुआ कि आज के क्रांतिकारी जमाने में अनुशानहीनता को राजनीति के शब्दकोश में से निकाल कर फेंक दिया गया है। जहां उनकी आत्मा की पुकार से एक नई देन राजनीति को मिली।

माननीय सदस्य इस पर भी अनुशासन की बात करते हैं, यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आती। क्या वह अपने सहयोगी सत्तारूढ़ कांग्रेस को अनुशासनहीन मानते हैं जिसमें अपने दल का अनुशासन तोड़ कर एक नई देन राजनीति को दी है और जिसके साथ गठबन्धन करके वह प्रदेश का भार वहन कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक ईमानदारी का इस देश में अभाव है। कुर्सी का इतना व्यापक मोह जाल इस देश में फैला हुआ है जिसके कारण राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में महान अन्तर हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप भी कभी स्वर्गीय डाक्टर लोहिया के कदमों के नीचे रह कर राजनीतिक कार्य किया करते थे। डाक्टर लोहिया ने अपने अन्तिम समय में, ५, ७ सालों में देश को सजग करने की कोशिश की और उन्होंने यह कहा कि दुर्भाग्य से इस देश की कथनी और करनी में अन्तर हो गया है। इसलिये समय की मांग है कि कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिये। आज राजनीतिक बेई-मानी इस कदर फैली हुई है कि कथनी और करनी में एकरूपता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर जो साझा सरकार कायम है जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस, भारतीय क्रान्ति दल और अन्य दल सम्मिलित हैं उन्होंने सर्वसम्मति से बिहार विधान परिषद् को समाप्त करने का निर्णय लिया, तब क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सत्तारूढ़ कांग्रेस, भारतीय क्रान्ति दल के सामने अभी एक संशय खड़ा हुआ है। क्या यह कथनी और करनी में भेद प्रकट नहीं कर रहा है? क्या वहां की राजनीति के कारण यहां के लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं? क्या यहां की राजनीति में ईमानदारी की बात है? क्या इसीलिये सत्तारूढ़ कांग्रेस दल और भारतीय क्रान्ति दल में ईमानदारी से एक दूसरे का समर्थन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिस प्रकार का समर्थन बिहार विधान सभा में एक दूसरे से प्राप्त हुआ।

नित्यानन्द स्वामी जी ने अपना प्रस्ताव पेश करते हुये विभिन्न दलों के नेताओं के उद्धरण प्रस्तुत किये। मैं उनके ब्योरे में नहीं जाना चाहता। आपने देखा होगा कि प्रदेश के नेताओं ने परिषदों को अनावश्यक साबित किया है। यही नहीं विधान के निर्माताओं ने भी इसकी आवश्यकता और औचित्य पर सन्देह प्रकट किया और इसका प्रमाण यह है कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी है कि विधान परिषदों को समाप्त किया जा सकता है और इसी कारण बंगाल, पंजाब, बिहार आदि अनेक प्रान्तों में उनकी समाप्ति के सम्बन्ध में कार्य आगे बढ़ा है। मैं अपने साथी विकलजी की भावनाओं के साथ अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश जो राजनीति में अग्रणीय रहा है वह आज इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम में पिछड़ गया है। मैं माननीय सदस्यों से चाहे वे किसी भी मत अथवा दल से सम्बन्ध रखतें हों यह कहूंगाकि उत्तर प्रदेश इस मामले में पिछड़ गया है और अब भी समय है कि वह जागरूकता का परिचय दे और इस बात को साबित करे कि आज भी राजनीति के मामले में वे प्रौढ़ हैं और उनमें कोई कमी नहीं आई है। प्रत्येक दल का समर्थन आज इस प्रस्ताव को प्राप्त होना चाहिये। मैं कांग्रेस के दोनों दलों से कहूंगा खास कर कांग्रेस संगठन से कि उसकी ओर से जो भाषण किये गये उनमें भी मैंने कुछ कमजोरी का ही अनुभव किया है। उन्होंने स्पष्टता के साथ उसका समर्थन नहीं किया है। उन्होंने भी अनुशासन की बात कही, उन्होंने भी अन्तरात्मा का विरोध किया।

श्री डूंगरसिंह विष्ट--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे दल के नेता अगर न चाहेंगे तो हम उनको मजबूर कर देंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं उनको इसलिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी मजबूती के साथ इसका समर्थन किया और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस संगठन के नेता अगर उनकी भावनाओं के विपरीत कोई निर्णय लेंगे तो माननीय डूंगर सिंह जी जैसे नेता उनका विरोध करेंगे और इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस की तरफ से गोरखपुर के श्री जगरनाथ सिंह जी और माननीय किदवाई साहब जो इस सदन के रत्न हैं तथा बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया। मैं समझता हूं कि ये लोग अपने नेताओं को मजबूर करेंगे और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

उपाध्यक्ष, महोदय, उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। यदि हमने इस प्रस्ताव को पहले ही पास कर दिया होता तो हमारे प्रदेश का लाखों रुपया इससे बच गया होता और गरीबों पर टैक्स लगाने का अवसर न आता। संविधान में दो सदनों की व्यवस्था है परन्तु उसके साथ ही साथ एक व्यवस्था यह भी है कि जिस प्रदेश की विधान सभा चाहे वह अपने प्रदेश की विधान परिषद् को समाप्त कर सकती है। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क में यह बात थी कि अपर हाउसेज की कोई खास आवश्यकता न थी। उसकी आवश्यकता के बारे में उनको शंकायें थीं। अतः संविधान में इस बात की व्यवस्था की गयी कि जो विधान सभा चाहे अपने प्रदेश में अपर हाउस को समाप्त कर सकती है। हमारे देश के अन्दर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपर हाउस नहीं है तो क्या वहां की एफीशियेन्सी में कोई अन्तर आया है? क्या उत्तर प्रदेश के शासन में अधिक एफिशियेन्सी है जहां दो हाउसेज हैं? पंजाब और बिहार भी इनको समाप्त कर चुके हैं एम०पी० की कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वहां पर अपर हाउस बना दिया जाय लेकिन जब जनसंघ की सरकार आयी तो उसने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इस बारे में दो मत रहे हैं कि अपर हाउस होना चाहिये अथवा नहीं होना चाहिये।

विधान परिषदों को इसलिये रखा गया था कि अध्यापकों को, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, उनको प्रतिनिधित्व मिल जाय। लेकिन १७-१८ वर्ष के जीवन में विधान परिषदों ने इस बात को साबित नहीं किया है कि उन्होंने अध्यापकों का कोई हित किया हो। इसके अलावा स्नातकों और मजदूरों का हित करने के लिये उनको प्रतिनिधित्व देने की बात थी, लेकिन विधान परिषदों ने उनका भी हित आज तक नहीं किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो डायरेक्ट चुनाव में नहीं आ सकते थे, उनको लाने के लिये इनको रखा गया था। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णस्वरूप]

हमारे प्रदेश के इतिहास में ऐसे लोगों ने भी संसदीय प्रथा के लिये, डेमोक्रेसी के लिये, उनके संरक्षण और संवर्द्धन के लिये कुछ नहीं किया। अध्यापकों में, जिनको बच्चों के अध्यापक के कार्य में ही रुचि लेनी चाहिये थी, राजनीति घर कर गयी है। वह पढ़ाई में इसलिये रुचि नहीं रखते कि वे इस बात के प्रयत्न में लगे रहते हैं कि उनको भी विधान परिषद् में जाने का अवसर मिल जाय। स्नातकों के भी प्रतिनिधि चुन कर आते हैं और सरकार भी मनोनीत करती है और प्रतिनिधियों को भी जो विशेषज्ञ हों, ऐसे लोगों को जो कवि हों, इतिहासकार हों या और कुछ विशेष ज्ञान रखते हों, क्या किसी सरकार ने ऐसे लोगों को मनोनीत किया? समाचार पत्रों में आया कि जो इंडीकेट कांग्रेस के मंत्री हैं श्री वर्मा जी वह नहीं चुने जा सके और उनको लाने की बात सरकार सोच रही है।

श्री महीलाल--

कौन से वर्मा जी से तात्पर्य है आपका?

श्री कृष्ण स्वरूप---

मेरा अभिप्राय है श्री रमेन्द्र वर्मा से। होता यह रहा है कि जो जनता द्वारा ठुकरा दिये जाते हैं उनको वहां लाकर मंत्री बना दिया जाता है। ये बातें मुझसे पूर्व के वक्ता कह चुके हैं। जब हमारे मुख्य मंत्री महोदय चाहते हैं कि कोई भी पैसा बेकार खर्च न हो और जनता से जो पैसा टैक्सों के रूप में प्राप्त होता है उसका सदुपयोग करें जिससे और अधिक कर न लगाने पड़ें तो जो लाखों और करोड़ों रुपया विधान परिषद् पर खर्च कर रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता है उसको हम बचायें और जनता के हितों के लिये खर्च करें। हम देखते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव वहां अस्वीकार कर दिया गया परन्तु लोगों ने यह कहा कि उसका कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसे सदन को कायम रखना जो मनी बिल्स के बारे में या नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर जिसकी राय का कोई मूल्य नहीं है, जो सरकार बना नहीं सकती, जो सरकार बिगाड़ नहीं सकती, केवल इसलिये कि कुछ लोग जो विधान सभा में नहीं चुने गये उनको बनाये रखने के लिये ताकि वे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकें, मैं समझूंगा कि यह गरीब जनता के साथ अन्याय है इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता के साथ अन्याय है जिस पर यह सरकार करों का बोझ लादती जा रही है और वह करों का पैसा ऐसे सदन पर खर्च किया जाय जिसका कोई लाभ नहीं। यदि हमको अध्यापकों के, श्रमिकों के, स्नातकों के कुछ प्रतिनिधि लेने हैं--संविधान की बात अलग है---तो हम यह व्यवस्था कर सकते हैं कि संविधान में परिवर्तन करें कि ऐसे लोगों के प्रतिनिधि चुन कर आये परन्तु उनका अलग हाउस न हो। वे विधान सभा के सदस्य हों। परन्तु संविधान में परिवर्तन करने का निर्णय करना हमारा काम नहीं है। आज विधान सभा में वकील हैं, अध्यापक हैं, मजदूर हैं। वे भी उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और फिर कोई वर्ग विशेष के हितों की ही बात नहीं है, सारे प्रदेश की जनता के हितों का सवाल है। जैसा कि मैंने पहले कहा हमारे संसदीय इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम होगा जब हमने इस प्रस्ताव पर विचार करना प्रारम्भ किया। यह केवल विचार तक सीमित न रहे। हमारा सदन इसको स्वीकार करे और करोड़ों रुपये की बचत करे ताकि वह बचत जनता के हित के कामों में खर्च हो। आज हमने प्रोफेशन टैक्स लगा रखा है। हम चाहेंगे कि मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को मान लें और उससे जो रुपया बचे उससे प्रोफेशनटैक्स वापस ले लें। कितनी ही ऐसी फिजूलखर्ची हैं जिनको हम रोक सकते हैं और हमारे काम में कोई अड़चन नहीं आयेगी और न शासन की दक्षता में ही कोई कमी आयेगी और हमारी बचत भी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूं कि वह इस समय सदन में उपस्थित हैं। संविधान के बनाने वालों में जिनमें माननीय स्वर्गीय मुकर्जी, डा० अम्बेदकर थे उन लोगों का भी यह विचार था कि इस प्रान्त में द्वितीय भवन की आवश्यकता नहीं है। इसलिये उन्होंने संविधान

के अन्दर धारा २६८ के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा और साथ-साथ धारा २६९ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव रखा कि किसी प्रदेश का सदन तीन चौथाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र की सरकार से मांग कर सकता है कि अपर हाउस समाप्त कर दिया जाय। बंगाल और पंजाब ने पहल किया, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि अपर हाउस इंगलैण्ड के हाउस आफ लार्ड्स का प्रतीक है, उसकी नकल है, उसे समाप्त किया जाय। वहां की विभिन्न पार्टियों ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किया। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे सहयोगी साथी माननीय किशनलाल जी जो अपर हाउस के सदस्य थे और मंत्री भी थे पंजाब में उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया और अकाली दल के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और दूसरे अन्य दलों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया यह महसूस करके कि पंजाब की तरक्की के लिये अपर हाउस की आवश्यकता नहीं है। हमारे दल के माननीय किशन लाल जी ने इस बात का अनुभव किया कि मंत्री का पद बड़ा नहीं है। जनता के अन्दर स्वच्छ प्रशासन लाने के लिये सदन की सदस्यता रहे या न रहे।

मैं यहां पर नाम लेना नहीं चाहता। मैं माननीय चरण सिंह को याद दिलाऊंगा कि एक बड़े मंत्री थे। अब उनका स्वर्गवास हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे। वह गृह मंत्री थे। वे हार गये थे, लेकिन उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। मं एक अध्यापक हूं इसलिये मैं श्री त्यागी जी को अच्छी तरह से जानता हूं। त्यागी जी हमारे मित्र हैं और मेरठ के निवासी हैं। उन्होंने एक मंत्री जी को एक बार नहीं दो बार मेरठ में चुनाव में हराया फिर भी वह पिछले दरवाजे से मंत्री बना दिये गये। रामपुर में क्या हुआ? ३२,००० वोट से एक उम्मीदवार पराजित होता है और उसकी जमानत जब्त हो जाती है। मैंने उनको देखा कि वह यहां पर बैठे हुए हैं। मालूम हुआ कि उनको पिछले दरवाजे से ला कर मंत्री बना दिया गया। चाहे इन्डीकेट की सरकार हो, चाहे सिंडीकेट की सरकार हो, इससे मेरा मतलब नहीं है। वह लाये गये और मंत्री बना दिये गये। यह पिछले दरवाजे से लाने की प्रक्रिया अच्छी नहीं है। स्वामी जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया कि गांधी जी ने १९३१ में राउन्ड टेबुल कांफ्रेंस में इस बात का सुझाव दिया था कि अपर हाउस नहीं होना चाहिये। गांधी जी जानते थे कि यहां गरीब का बेटा चुन कर आयेगा, किसी पिछड़े वर्ग का बेटा चुन कर आयेगा, गरीब अध्यापक और वकील चुन कर आयेगा वह सही प्रतिनिधित्व करेगा।

श्रीमन्, मैं भी इलाहाबाद क्षेत्र से चुनकर आता हूं। कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों मे बिरादरीवाद नहीं होता है। सन् १९६४ में मैं स्वयं स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। मेरे नाम से किसी जाति का आभास नहीं मिलता था। डा० ईश्वरी प्रसाद साहब ने प्रचार किया कि संड साहब ईसाई हैं मुझसे इलाहाबाद, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर में लोग पूछते थे तो मैं उनसे यही कहता था कि मैं भारतमाता का पुत्र हूं। इलाहाबाद में मेरे साथी श्रीनाथ त्रिपाठी ए० जी० और सी० डी० ए० में जाते थे। वहां पर अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन क्लर्क हैं। लोवर डिवीजन में हाई स्कूल और इन्टर पास हैं। वोट मांगने पर इनके अन्दर हीनता की भावना आती थी।

मान्यवर, मुझे चार मत देने का अधिकार दिया गया है। ग्रेजुएट होने के नाते मैंने गेजुएट कांस्टीटुएन्सी में वोट डाला और टीचर हूं इसलिए टीचर के चुनाव में वोट डाला और नगर महापालिका में होने के नाते स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग लिया और नागरिक होने के नाते वैसे चुनाव में मत दिया तो इस तरह से चार प्रकार से मत देना किसी समाजवाद में नहीं आता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आदर करता हूं। इस प्रदेश के अन्दर स्वच्छ प्रशासन देने के बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तक टीचर्स कांस्टीटुएन्सी, ग्रेजुएट कांस्टीटुएन्सी कायम रहेगी तब तक क्या माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा अथवा यूनिवर्सिटी संघ के द्वारा डिग्री कालेजेज एसोशिएशन के द्वारा अध्यापकों के अन्दर दलबन्दी नहीं आएगी। इसके कारण प्रदेश का वातावरण दूषित है और शिक्षा के क्षेत्र में स्वच्छता लाने के लिए और अध्यापक पढ़ाई लिखाई का काम करे यह जरूरी है कि अपर हाउस समाप्त किया जाय और लगभग १५ से २० लाख रुपया जो प्रति वर्ष इस पर व्यय होता है, वह बच जाय। सन् १९३७

[श्री रामगोपाल संड]

में यह सदन बनाया गया। सन् १९५० में संविधान लागू हुआ और १९५२ में पहली बार चुनाव हुए और करीब साढ़े चार करोड़ रुपया इस सदन के ऊपर अब तक खर्च किया गया है। सदन में किन लोगों के ऊपर खर्चा किया गया? कोई रामपुर से जमानत जब्त कराकर आये और इस हाउस में आये थे, कोई जौनपुर से हारे थे और कोई मेरठ से हारे थे। उनको मंत्री बनाने के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको सदन का सदस्य बनाया गया। यहां एक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे उनकी पत्नी को एम० एल० सी० इसलिए बनाया गया कि हजबैन्ड ऐण्ड वाइफ दोनों साथ साथ रह सकें। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप चाहेंगे तो नाम भी बतला दूंगा। मान्यवर, चाहे वह गुप्ता जी द्वारा किया गया हो या और बाद की सरकारों द्वारा किया गया हो लेकिन यह किया गया।

आज जब पंजाब और बंगाल ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं हाथ जोड़ कर श्री चरण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, अध्यापकों के अन्दर से हीनता की भावना को मिटाने के लिए अगर और लोअर डिवीजन के जो क्लर्क हैं ऐसे क्लर्क मेरे नगर इलाहाबाद में १० हजार हैं जो ए० जी० आफिस, सी० डी० ए० और उच्च न्यायालय में काम करते हैं, और उनमें जो अधिकांश लोअर डिवीजन में काम करते हैं, जब चुनाव आता है तो उनके अन्दर हीनता के भाव आते हैं। उस वक्त यह प्रचार होता है कि कायस्थ हो इसलिए कायस्थ का वोट मिलेगा, ब्राह्मण हो इसलिए ब्राह्मण का वोट मिलेगा। यह मानसिक भ्रष्टाचार आज पढ़े लिखे लोगों के अन्दर पैदा हो गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि टीचर्स का चुनाव क्षेत्र अविलम्ब समाप्त किया जाय। हम इस हाउस के ४२५ सदस्य हैं अगर हम समझते हैं कि कुछ प्रतिनिधित्व और लोगों का होना चाहिए तो इस हाउस की संख्या ४५० या ५०० कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा प्रदेश है, इंगलैण्ड के समान है। इंगलैण्ड में हाउस आफ कामन्स में ५०० सदस्य हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं, जैसा कि बताया गया कि अपर हाउस में २८८ विधेयक गये जिनमें केवल ४ संशोधन उन्होंने किये। इससे यह स्पष्ट है कि इस सदन के ऊपर जो भी खर्चा होता है, वह अनावश्यक है और मैं चरण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश के स्वच्छ प्रशासन के अन्दर यह जरूरी है कि जो सेल्स टैक्स का बकाया है उसको वसूल करें और इस सदन पर जो खर्चा आता है उसको बचावें और इन छोटे-छोटे जो प्रदेश में कर्मचारी हैं निम्न कर्मचारी हैं उनके ऊपर प्रोफेशन टैक्स समाप्त किया जाय। राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ते के लिए फिर आन्दोलन करने वाले हैं। महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए। समान काम के लिये समान महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। इस प्रकार से उसको समाप्त करके, जो बचत हो उसमें से महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। समान काम करने वाले को केन्द्रीय सरकार के समान ही महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये जिसका औचित्य भी है। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसके साथ चौधरी चरण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि इन बातों के ऊपर विचार करके आज ही वह अपना उत्तर इस सम्बन्ध में दें और इस प्रस्ताव को पास करके एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नित्यानन्द जी ने विधान परिषद् को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव आजादी के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत होने के पहले देश में कितनी ही विधान सभाओं में कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है। इससे यही समझा जाय कि जो फजूलखर्ची हो रही है उसकी कुछ हद तक रोका जा सके। अपने प्रदेश में जो अपव्यय हो रहा है उसको रोकने के लिये ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ और भी कारण हो सकते हैं लेकिन हमको याद है कि सन् १९४८ में हर एक प्रदेश के

प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी ने एक स्वर से यह बात स्वीकार की थी कि इस प्रकार की कोई भी सभा नहीं बनाई जानी चाहिये। उस समय सारे भारतवर्ष में केवल ६ प्रान्तों ने ही इसका विरोध किया था और कहा था कि विधान परिषद् होनी चाहिये। बाद में तो इसका विरोध दूसरे प्रदेशों की विधान सभाओं ने भी किया। बम्बई में तो सन् १९४७ में ही यह पास हो गया था कि यह सभा नहीं रखी जायेगी। आज देश में केवल ९ प्रान्त ही ऐसे हैं जहां पर ये विधान परिषद् हैं बाकी में विधान परिषदें नहीं हैं। इसके अर्थ स्पष्ट हैं कि देश की जनता इस बात से सहमत है कि इस द्वितीय सभा की कोई आवश्यकता नहीं है।

सन् १९३१ में पूज्य बापू जी ने राउन्ड टेबुल कान्फ्रेंस के अवसर पर यह कहा था कि इस दूसरी सभा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उनके शब्दों को जो उन्होंने कहे थे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। पूज्य महात्मा गांधी जी ने सन् ३१ में यह विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किये थे—

"Personaly I am of opinion that we can do with one chamber. We can certianly save a great deal of expenses if we can do with-out that chamber"

उन्होंने कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि इस चैम्बर की आवश्यकता नहीं है और ऐसा न करके हम काफी धन बचा लेंगे जो अन्य जन हितकारी कार्यों में काम में आ सकता है। इस बात को महात्मा गांधी जी ने सन् १९३१ में कहा था। वह सरकार जिसके हाथ में गत २० वर्षों से शासन की बागडोर रही है वह इस समस्या का निराकरण अवश्य करेगी और इस पर गम्भीरता के साथ विचार करेगी।

वर्तमान सरकार जो बनी है उसने अपनी नीतियों की कुछ घोषणा की है उसको सुनने के बाद हमने उसका स्वागत किया है साथ ही साथ हम यह भी चाहेंगे उसी घोषणा के अन्तर्गत यह बात भी उसमें निहित हो जाय कि जनता को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिये, फजूलखर्ची को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाय। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् पर १५ लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय होता है। वह खर्च क्यों हो रहा है यह प्रश्न विचारणीय है। हमारे देश में मध्यावधि चुनाव के बाद एक नया इतिहास आरम्भ हुआ है। पहले तो देश के हर प्रान्त में कांग्रेस की सरकार थी तथा विधान परिषदों में भी उनका बहुमत था। सन् १९६७ में जब चुनाव हुआ उस समय देश के कई प्रदेशों में कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया और विरोधी दलों की सरकारें बनीं। पंजाब, पश्चिमी बंगाल आदि प्रान्तों ने इस बात पर निर्णय ले लिया है कि विधान परिषदों को समाप्त किया जायगा। हमारे प्रदेश में भी परिवर्तन हुये और हमको भी अब इस प्रकार निर्णय लेना चाहिये कि विधान परिषदों को समाप्त कर दिया जाय। सन् १९६७ में जगह-जगह संविद् की सरकारें बनीं। उन सबने विधान परिषदों को समाप्त कर देने की नीति बनाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि वे सरकारें बिहार के अन्दर भी न कर सकीं। उत्तर प्रदेश में भी न कर सकीं और पंजाब में भी न कर सकीं। लेकिन चूंकि यह उनका मूलभूत आधार था, विरोधी दल की सरकारों के अन्दर निहित था, जब कभी भी अवसर मिला उसको करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप सन् १९६९ में फिर से सरकार में आने के बाद पंजाब और पश्चिमी बंगाल में वह हुआ और विधान परिषदें समाप्त कर दी गयीं।

डा० अम्बेडकर ने भी धारा १६८ और १६९ में इस बात की व्यवस्था रखी कि विधान सभा में बहुमत से पास हो जाय तो लोक सभा मान लेगी और विधान परिषद् समाप्त हो जाएगी। यह इस बात का उदाहरण है कि डा० अम्बेडकर ने भी इस बात को स्वीकार किया था। पिछले ३० वर्षों में इन विधान परिषदों का क्या रोल रहा है? बंगाल में १३ वर्ष में ४२६ विधेयकों में केवल १ संशोधन उनके स्वीकृत हुए। पंजाब में ४२८ विधेयकों में केवल ४५ संशोधन विधान परिषद् के स्वीकृत हुए। तो आखिर क्या इनका महत्व है? भले ही अंग्रेजों ने हाउस आफ लार्ड्स को कायम करने की बात कही होगी लेकिन हमारे देश की राजनैतिक

[श्री त्रिवेणी सहाय]

स्थिति बदल चुकी है। जब हम झोली लेकर भीख मांग रहे हैं, भुखमरी और बेकारी हमारे यहां बढ़ गयी है, दुनिया के सामने हम रो रहे हैं। ऐसे समय में हमारी सरकार को फिजूलखर्ची रोकनी चाहिए। अगर यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि इसके द्वारा फिजूलखर्ची हो रही है तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इसको स्वीकार कर लेगी।

इसी तरह लोक सभा में जब बिल आया और बहस हुई उस समय पी० एस० पी० के लोगों ने कहा कि विधान परिषदें समाप्त की जानी चाहिए। पंडित नेहरू ने भी लोक सभा में यह बात कही थी। लेकिल आज उनकी सरकार का रवैया हम देख रहे हैं। बंगाल में विधान परिषद् को समाप्त करने की जो बात हुई उसके पीछे मूल भावना यह रही है कि विधान परिषद हमारे कार्य में बाधा डाल सकती है। पिछले बीस वर्ष में राजनैतिक स्थिति बहुत बदल गयी है। आप कहेंगे कि धारा १९७ में अधिकार है कि कोई विधेयक तीन महीने में पास नहीं होता है तो वहां से लौट आएगा और विधान सभा पास कर देगी। लेकिन आज बंगाल और तामिलनाडु में क्या स्थिति है? तामिलनाडु में विधान परिषद् में ६३ सदस्य हैं जिसमें ९ नामिनेटेड हैं। ४२ कांग्रेस के हैं। विधान सभा में तो डी० एम० के० का बहुमत है लेकिन विधान परिषद् में कांग्रेस का है। तो एक रुकावट पैदा की जा सकती है। इन्हीं सम्भावनाओं के आधार पर अगर बंगाल और पंजाब के मुख्य मंत्रियों ने यह निर्णय लिया है तो कोई उसमें अनौचित्य नहीं है। आज हमारा प्रदेश जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें इस बात की आवश्यकता है कि फिजूलखर्ची रोकी जाय। इस प्रदेश का वातावरण तो आप जानते ही है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार और फिजूलखर्जी न हो। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस तरह का आदर्श उपस्थित करें कि फिजूलखर्ची रोकने के लिये पहले अपने ही ऊपर कुछ करें। यहीं से शुरू होना चाहिये तभी हम दूसरों को फिजूलखर्ची रोकने के लिये कह सकते हैं। मैं समझता हूं यह प्रस्ताव सामयिक है और सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न इस बात का है कि विधान परिषद् का उत्सादन कर दिया जाय। बहुत ही गंभीर प्रश्न है। जिस समय विधान परिषदों की स्थिति उत्पन्न की गई थी उस समय हमारे राजनीति के बड़े-बड़े पंडितों ने बहुत कुछ सोच-विचार करने के बाद इनको जन्म दिया था और तब से ये बराबर चली आ रही हैं। आज एक वातावरण पूरे देश में झोखे खा रहा है। जो दूसरे प्रदेशों में हुआ है, जैसे २, ३ उदाहरण दिये गये हैं बंगाल वगैरह के। उसका प्रभाव हमारे प्रदेश पर भी पड़ा है और आज हम इस बात पर विचार करने के लिये उपस्थित हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वि[illegible]रिषदों को कायम रखने के लिये जो मन्तव्य था वह बहुत उत्तम था। यह आशा की जाती थी कि इनमें राजनीति के काफी अनुभवी लोग पहुंचेंगे और वे अपनी अच्छी राय देंगे और इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होगा। किन्तु गत २० वर्षों की अवधि में जो अनुभव हुआ है, मैं समझता हूं वह एक चिन्ता का विषय है। जो धन प्रदेश की जनता का इन पर व्यय हो रहा है वह कुछ सदुपयोग में आता नहीं दिखाई दे रहा है।

मान्यवर, विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर देश में गन्दा वातावरण फैलता जा रहा है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि अध्यापक, जो मैनमेकर (मानव निर्माता) हैं, गुरु हैं, गुरुजन कहलाते हैं उनका स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। "मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, वेदोहि पुरुषः" इस प्रकार का उपदेश देने का आशय यही है कि उनका स्थान बहुत उंचा हमारे शास्त्रों में दिया गया है। गुरुओं का सबसे पहला कार्य यही है कि वह मनुष्यों का निर्माण करें। किन्तु आज हो क्या रहा है? आज उनमें संगठन और संघ कायम हो रहे हैं। ये किस वास्ते? यह केवल इस वास्ते कि विधान परिषद् का जो क्षेत्र है उनके चुनाव को लड़ा जाय और उनमें पहुंचा जाय। राजनीति में उनका यह बहुत बड़ा दबाव है। दूसरी तरफ स्नातकोत्तर

का भी यही हाल है। तीसरे नीचे के रूप में चलते-चलते जो प्रधान और ब्लाक प्रमुखों के मतों को भी इसमें महत्व दिया जाता है। जिन जिला परिषदों को तोड़ा गया है उनके अध्यक्ष और नगरपालिका के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों के मत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। विधान सभा के सदस्यों का तो एक क्षेत्र है ही। तो मैं समझता हूं कि राजनीति के वातावरण में विधान परिषद् को लेकर जो एक दोष आ गया है उसको देखते हुए इनको नहीं रहना चाहिये और इनको नहीं रखना ही प्रदेश के लिये हितकर है।

मैं चौधरी साहब का हमेशा हृदय से आदर करता रहा हूं और आज भी करता हूं। वह हमेशा अपने विचार पर अड़े रहते हैं किन्तु आज वह राजनैतिक दबाव से इधर-उधर काफी विचारों को विचलित करते दिखाई पड़ते हैं। मैं समझता हूं पिछली सरकार में भी ऐसा होता आया है कि जिस दल की सरकार रही उस दल के राजनैतिक नेता वह बहुत वर्ष तक रहे। यह हमारे लिये खुशी की बात थी। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अभी पिछले दिनों उन्होंने फैजाबाद से आजाद जी को विधान परिषद् का मेंबर बनवाया। वह इस वास्ते कि हारे हुए जयराम जी वर्मा को वह वहां से लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ श्रीपति जी मिश्र को लोक सभा से इस्तीफा दिलाकर विधान परिषद् का सदस्य बनाकर पिछले दरवाजे से उनको मंत्री बनाया। तो अधिक सुन्दर यह होता कि वह उदाहरण उपस्थित करते जैसा कि उनकी आदत रही है अपने विचारों की पुष्ट करना और उदाहरण उपस्थित करना और यह जो चीज चलती आ रही है, इसको मिटाने की कोशिश करते लेकिन नहीं कर सके। मानव स्वभाव है। उनमें भी लचीलापन है और होना भी चाहिये। यह विधान परिषदें निर्विष सांप हैं, पिछला दरवाजा है जिसे भाषा में चोर दरवाजा कहते हैं, यह बन्द होना चाहये। मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं है। यह यतीमखाने की तरह से है इससे कोई लाभ नहीं है।

मान्यवर, आप देखेंगे कि वहां परवरिश की जाती है उन लोगों की जो चुनाव में हार जाते हैं, जनता का विश्वास खो देते हैं, उनको यहां पर लाद दिया जाता है। उनकी शक्ति कितनी है? उनका सरकार के ऊपर प्रश्न उपस्थित करके तथा लोक महत्व आदि के प्रश्न रख कर अंकुश भी है। इसके अलावा अन्य सभी बातें हैं, प्रत्यक्ष रूप में इनकी क्या शक्ति है? वह यह है कि विधान परिषद् यदि बहुमत से सरकार को गिरा देती है तो भी सरकार टूट नहीं पाती है। इस तरह के इस निर्विष सांप से क्या फायदा है जिसके काटने का कोई असर ही नहीं। मैं समझता हूं कि इस पर अधिक कहने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि विधान परिषद् को अधिक दिनों तक रखना हितकर नहीं है। मैं समझता हूं कि इनका उत्सादन कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विवाद चल रहा है। इसमें कुछ गंभीरता आ जायेगी यदि माननीय नेता सदन के विचार मालूम हो जायं। इसलिये मैं आपके माध्यम से नेता सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि वे इस स्थिति में हों और उन्होंने अपना दिमाग स्थिर किया हो तो वे माननीय सदन को अपने विचारों से अवगत करा दें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय कृष्णानन्द राय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि वे कम से कम मेरी राय को इतनी मूल्यवान तो समझते हैं कि आपके मुंह से यह अल्फाज अदा हुए। जहां तक मेरी राय का सवाल है, जब मैं उनकी राय सुन लूंगा तो कल अपनी राय दूंगा।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधान परिषद् वाला प्रस्ताव माननीय स्वामी जी ने रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। श्रीमन्, विधान परिषद् किस मकसद से बनाए गए थे यदि आज हम उसको देखें तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के विधायक जो चुनकर यहां आए हैं, अभी आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है कि अभी हाल में चुनाव हुआ था उसमें हर पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए थे तो बहुत से विधायक बिक गये। उसमें एक कानपुर का उम्मीदवार खड़ा हुआ था। यह जो विधान परिषद् बनाया गया है यह विधायकों का ईमान डिगाने का एक साधन है। मैंने जिस दिन चौधरी साहब की तकरीर लखनऊ में सुनी थी और जाहिर है कि स्वच्छ प्रशासन उत्तर प्रदेश में आयगा तो मै चाहूंगा कि विधान परिषद् खत्म हो जाय तो इसका जीता-जागता सबूत होगा कि यहां स्वच्छ प्रशासन आया है।

दूसरे आप देखें कि जो नाबदान का रास्ता था, जितने भ्रष्ट लोग हैं वे चले आते हैं और यह नाबदान का रास्ता भी.....

श्री चरण सिंह---

नाबदान तो बहुत सख्त शब्द है।

श्री उपाध्यक्ष---

और बहुत से शब्द हैं, इसका प्रयोग न करें।

श्री राजित राम पांडेय---

आप देखें कि वहां के लोग कभी जनता का मत नहीं पाये हैं बल्कि नाबदान के रास्ते से यहां आकर गद्दीनशीन हुए हैं। इस संबंध में आपके सामने बहुत से भाइयों की मिसाल हैं, मैं आपके सामने उनका नाम नहीं लेना चाहता....

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया नाबदान शब्द का इस्तेमाल इस प्रसंग में न करें क्योंकि वह अन्ततोगत्वा जाकर आपको भी मुक्त नहीं करता, उस विषम परिस्थिति से बचने के लिये इसका प्रयोग अब आप न करें।

श्री राजित राम पांडेय---

नाबदान से मेरा मतलब है चोर दरवाजा और ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिये ऐसे शब्द का प्रयोग करना बेजा न होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

नाबदान वह जगह है जहां से वह चुने गये हैं और यह यहां के सदस्यों पर भी लांछन आता है।

श्री राजित राम पांडेय---

श्रीमन्, जिस तरह से हमारे भाइयों ने बंगाल और पंजाब की मिसाल दी है उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी कौंसिल के हटने से एक भ्रष्टाचार रुकेगा। यह प्रदेश राजनीति में हमेशा आगे रहा है, चाहे आप लड़ाई के मामले में देखें, चाहे राजनीति के मामले में देखें, चाहे आजादी के मामले में देखें यह प्रदेश सदा ही आगे रहा है और रहेगा और एक जमाना आयेगा कि वह चोर लोग इस जमाने में टिक नहीं सकते। हमारे डाक्टर साहब भी समाजवाद का नारा लगाते थे लेकिन आज हर दल की जबान पर समाजवाद का नारा इस तेजी से आ रहा है कि जाहिर है कि अब भ्रष्ट लोग खत्म होंगे और उनका जो नारा आजादी के बाद २० साल से चला आ रहा है वह खत्म होगा और अब उनकी चलने वाली नहीं है। मैं खासतौर पर चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आपके जमाने में ही अगर यह भ्रष्टाचार समाप्त होता है तो आपको यश

मिलेगा और आप को इस चोर दरवाजे को समाप्त करने के लिये जनता की दाद मिलेगी और आप इतिहास में अमर हो जायेंगे कि आपके शासन काल में परिषद् समाप्त हुई। ज्यादा न कहकर मैं चौधरी साहब जैसे स्वच्छ प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति से कहूंगा कि वह आज इस गद्दी पर नशीन हैं वह अपने काल में इन भ्रष्ट लोगों को या विधान परिषद् को समाप्त करें। इन शब्दों के साथ ही श्री नित्यानन्द स्वामी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो, प्रस्ताव स्वामी जी ने सदन के समक्ष रखा है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस समय समस्त देश के राज्यों में बाईकेमिरल सिस्टम चल रहा है, लोअर एवं अपर हाउस के रूप में यह कार्य कर रहे हैं Wide article 79 of Indian constitution. जब हमारे देश में सन् ४८ में संविधान सभा बैठी संविधान बनाने के लिये उस वक्त यह मामला बड़े मतभेद का था। उसके सभापति डा० अम्बेदकर थे जो संविधान बनने के लिये कमेटी बनी थी,। उन्होंने संविधान बनाते वक्त कांस्टीट्यूएन्ट असेंबली को यह आश्वासन दिया था, जब कि बड़ा मतभेद हुआ, और श्री के० टी० शाह ने उसका विरोध किया और कहा कि अपर हाउस बनाकर खर्च बढ़ाने से और देश की प्रगति को रोकने से लाभ न होगा। उनका भाषण आज भी लाइब्रेरी में रखा है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्य अपने यहां अपर हाउस बनाने या न बनाने के बारे में निर्णय लें उस वक्त ९ राज्यों ने अपने यहां निर्णय लिया कि हम अपने यहां अपर हाउस बनायेंगे। लेकिन उसके साथ ही विधान सभाओं को यह अधिकार भी दिया गया कि वे अपने बहुमत से जब चाहें अपर हाउस को समाप्त करने की सिफारिश कर सकती है। मैं यहां संविधान की १-२ धाराओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। हमारे संविधान की धारा १६९ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधान सभा को पूरा अधिकार है कि वह निश्चय लेकर बनाए और पार्लियामेंट इसको स्वीकार कर ले। संविधान की धारा १६९ में स्पष्ट दिया हुआ है कि विधान परिषद् को समाप्त करने के लिये विधान सभा प्रस्ताव पारित कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न विवाद का नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि--

अब प्रश्न यह उठता है कि हम इसको क्यों रखें। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें व्यय अधिक बढ़ता जा रहा है, लगान माफी का प्रश्न उठाया जा रहा है। सारे साधनों को समाप्त किया जा रहा है। नये टैक्सेज न लगाने की बात हो रही है तो इस संकल्प से जो आपके सामने आया हुआ है स्वीकार करने पर खर्चे की बड़ी कमी हो जायगी। और प्रदेश की प्रगतिशीलता की ओर हम एक और कदम बढ़ेंगे। हमारी कान्स्टीट्यूएन्ट असेंबली में श्री के० टी० शाह द्वारा कहा गया था कि 'इट इज अननैसेसरी एन्ड एन एक्सपेंसिव लग्जरी It is unnesesary and an expensive luxury साथ ही जब कि डैफिसिट रेवन्यू हो तो दूसरा सदन होने की आवश्यकता है ही नहीं।

अभी-अभी कुछ दिन हुए अपर हाउस के और पार्लियामेंट के अपर हाउस (राज्य सभा) के चुनाव हुए। उनमें वोटें खरीदी गयीं। उनके लिये वोटों के खरीदने का काम आसानी से हो सकता है। कहा जाता है कि अपर हाउस तो पार्टीज को एक मौका देता है कि वे अपने लोगों को वहां ले आएं। मैं समझता हूं कि यह जो बैकडोर एन्ट्री विधान परिषद् के द्वारा होती है, इसको समाप्त किया जाय। मानव प्रवृत्ति जो गलत काम करने की है, उसको समाप्त कीजिए। प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर। जो संवैधानिक तरीके से सरकार में न आ सके उसको इस बैकडोर सिस्टम से यहां पर लाने का प्रयास किया जाता है। अतः श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवदन करता हूं कि यह जो प्रस्ताव है जो बिल्कुल निर्दोष

[श्री दीपनारायण मणि]

है और जो प्रदेश के लिये बहुत हितकर है, प्रदेश में प्रगतिशीलता का सूचक है, उसे मान लिया जाय। पंजाब म परिषद् समाप्त हो गई है, पश्चिम बगाल में समाप्त हो गई है और सबसे पिछड़े प्रदेश बिहार ने भी प्रस्ताव पास कर दिया है लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इस प्रदेश में उस पर ठीक ढंग से विचार नहीं कर सके। अतः अब हम इसे स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिये। इसे किसी दल विशेष का प्रश्न न बनाकर इस उत्सादन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेना चाहिए।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, विधान परिषदों के खात्मे का श्री नित्यानन्द जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था उसी समय यह आवाज लग रही थी कि दोहरे सदन वाला विधान मंडल न बनाया जाय अर्थात् राज्य सभा भी न रहे और जिन प्रदेशों में विधान परिषदों की व्यवस्था की गई है वे भी न रहें। लेकिन वह आवाज उस वक्त इतनी कमजोर थी कि उसका कोई असर नहीं हुआ। आज खुशी की बात है कि दिन इस तरह के बदले कि कुछ प्रदेशों में विधान परिषदें खत्म हो गई हैं और आज उत्तर प्रदेश में उस संस्था को तोड़ने के लिये बाकायदा, बाजाब्ता प्रस्ताव लाये गये हैं। मान्यवर, हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में दोहरे सदनों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके जरिये से राजकोष पर एक अतिरिक्त भार पड़ता है। लेकिन जहां तक इन सदनों की उपयोगिता का प्रश्न है वह प्रायः नहीं के बराबर है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है--विधायी कार्य किसी सरकार के गठन को कायम करने का और उसको हटाने का जो प्रश्न है उस मामले में और जो वित्तीय प्रश्न है उन मामलों में भी उस सदन के कोई अधिकार है ही नहीं तब फिर क्यों उनको कायम रक्खा जाय। इसलिये इसको दलगत राजनीति का विषय न बनाकर सदन को चाहिये इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करें।

मान्यवर, शुरू में जो लोग हमारे हामी थे उन लोगों ने तर्क दिया था कि क्यों यह रक्खी जायं तो उनमें यह था कि कानून में जल्दबाजी न होने पाए। विधान सभा अगर कोई कानून पास करे तो विधान परिषद् या राज्य सभा जो लोक सभा के किसी कानून पर नजरसानी करके, दुरुस्त कर दे। उनका अख्तियार नजरसानी का ही रहा, जिसको आप रेव्यू कहते हैं। रेव्यू तक ही उनका अधिकार सीमित रहा। मान्यवर, उस तरह की जो मिसाल माननीय नित्यानन्द जी ने दी कि चार सौ के ऊपर जो कानून गये विधान परिषद् में उनमें केवल चार में तरमीमें आयीं। तो इस प्रकार भी वहां कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरा उद्देश्य यह बताया गया कि हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे चोटी के कलाकर, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक हैं या खिलाड़ी हैं उनको वहां पर प्रतिनिधित्व मिले। तो उस सिलसिले में आप विधान परिषद् के पूरे इतिहास को देखें। जो गण्यमान्य कलाकर, खिलाड़ी या वैज्ञानिक हैं उनको यह स्थान नहीं मिला बल्कि उसमें स्थान पाया उन लोगों ने जो यहां पर सत्ताधारी दल था, पिछले दो-एक सालों में रहा, उसके जो बड़े लोग थे उनके चाटुकार लोगों को मिल गया या उनके कृपा-पात्रों को मिल गया। लेकिन जिनके लिये इस सदन की व्यवस्था की गई थी वे प्रायः उसमें नहीं जा पाए।

साथ ही साथ एक दूसरी चीज की तरफ भी इस सदन का ध्यान खींचा गया कि जो जनता के चुनाव में हार गये ऐसे हारे हुए लोगों को भी स्थान दिया गया और फिर जनता के तिरस्कृत लोगों को बिठलाने के बाद मंत्रिमण्डल में भी उनको शामिल किया गया। इसके साथ ही साथ जो भयावह चीज है उसकी तरफ मैं पूरे जोर के साथ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के जो धन-कुबेर हैं, उद्योगपति या व्यापारी हैं, जब जब उन्होंने जनता के चुनाव के जरिये से इस सभा में या लोक सभा में जाने की कोशिश की तो उनको मुंह की खानी पड़ी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ का उदाहरण है कि कैप्टेन वी० आर० मोहन, लोक सभा का चुनाव लड़े लेकिन वे जनता के मैदान में हार गये। दूसरी तरफ आप देखें। कानपुर के उद्योगपति, सीताराम जयपुरिया और रामरतन गुप्ता हैं और सरकार इन्दर सिंह इसी साल वोट लेकर राज्य सभा पहुंच गये, सीधे प्रत्यक्ष चुनाव के जरिये से नहीं। चोर दरवाजा जिसे आप कहते हैं या चुने हुए जो हमारे नुमाइन्दे हैं उनके दरवाजे के जरिये से वे राज्य सभा म पहुंच गये। मैं कहना चाहता हूं कि हाल की जो घटना है उस पर गंभीरता के साथ सोचें।

यहां पर जितने भी राजनीतिक संगठित दल है उन सब का सर शर्म से डूब जाता है जब हम यह देखते हैं कि किसी पार्टी के उम्मेदवार को उतने मत नहीं मिले प्रथम गणना में जितने कि सरदार इन्दर सिंह को मिले। उनको प्रथम वरीयता में ३८ मत मिले जो किसी भी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिले। सरदार इन्दर सिंह जी को शायद बहुत से विधायक जानते भी न होंगे। उनकी सूरत भी न देखी होगी। वे बरलिंगटन होटल में अपना दफ्तर कायम करके बैठ गये। जो उनके कारिन्दे थे वे ही विधायकों से चाहे मिले हों या न मिले हों। उन्हीं के द्वारा भ्रष्ट तरीके से ३८ मत उनको मिल गये। एक बार और जब जयपुरिया जी ने पन्त जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था तो उस समय उनको भी पन्त जी के मुकाबले प्रथम वरीयता में अधिक मत मिले थे। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। इस तरह के प्रश्न को लेकर हम सभी शरमिन्दा हैं। आज हमें विचार करना है कि आखिर हम लोग जो जनता के चुने हुये नुमाइन्दे हैं, जिनका काम कानून बनाने का है, क्या वे गाय, बैल की तरह अपने मतों को सरकार इन्दरसिंह के नाम बेच दें? अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या तस्वीर आगे के लिये बनेगी? इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सर्वमान्य नेतागण हैं और जो सदन के नेता हैं वे सभी इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करें। जो लोग प्रत्यक्ष जनता का मत प्राप्त करके नहीं आ सकते हैं वे भ्रष्ट तरीकों को अपना कर राज्य सभा और विधान परिषद् में आ जाते हैं।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जो धन खर्च किया जा रहा है उसको देखते हुये उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। इस धन को बचा कर हम और कामों में जैसे लगान माफी, आदि के काम हैं उसमें लगा सकते हैं। उसी धन को बचा कर हम इस सदन की अधिक बैठकें करने में लगा सकते हैं जिसका नतीजा यह होगा कि नौकरशाही पर, जो सदन की बैठकें न होने से निरंकुश हो जाता है, अंकुश रख सकेंगे। इस से सरकार जवाबदेही से भी नहीं बच सकेगी। जितने ज्यादा इस सदन के उपवेशन होंगे उतना ही अधिक हम नौकरशाही पर अंकुश रख सकेंगे।

इसी के साथ-साथ आप देखें कि यह विधान परिषद् जो हैं वे अपने देश में एक विलासिता की चीज हैं। उनकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। लेकिन उन पर खर्च वैसा ही हो रहा है जैसा कि इस सदन पर। हमारे संविधान के बनाने वालों ने भी, जिन्होंने विधान परिषदों की व्यवस्था की थी, एक कमजोरी महसूस की थी और वे भी इसमें संदेह करते थे कि इनको रहना चाहिये अथवा नहीं। इसी खयाल से उन्होंने केवल १० राज्यों में ही इस दूसरे सदन की व्यवस्था की थी। फिर उसके अधिकार भी सीमित रखे थे। सीमित अधिकार रहने के कारण उनका कोई असर नहीं रह जाता है। मान लीजिये कि वहां पर बजट पेश किया जाता है अगर वह लोग, उस सदन के सम्मानित सदस्य उसको गिरा दें, किन्तु फिर भी उससे यह सरकार बची रह जायगी। इसी तरह से यदि वे कोई प्रस्ताव कर के अविश्वास प्रस्ताव पास कर के सरकार को हटा भी दें तब भी सरकार ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो जब कोई उसका असर नहीं है और संविधान बनाने वालों के मन में भी उसकी उपयोगिता के प्रति सन्देह था तो उसे बनाये रखने की क्या आवश्यकता है? चूंकि हम में मौलिक चिन्तन की कमी है इसलिये हमने दूसरे देश की नकल करके इसे अपना लिया है। जब हमने लोकतन्त्र की प्रणाली अपनाई और उसमें ब्रिटिश शासन की नकल की तो हमने यह सोचा कि चूंकि वहां पर हाउस आफ लार्ड्स हैं, इसलिये यहां भी विधान परिषदें रहनी चाहिये। किन्तु फिर भी उनके दिमाग में यह संशय जरूर रहा था कि अपने देश में इसकी उपयोगिता है

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

या नहीं है। उस समय देश में गांधीवादी वातावरण था, इसलिये इसे पूरे देश में लागू न करके केवल १० प्रदेशों में लागू किया गया।

इसके साथ-साथ हमारे संविधान निर्माताओं का ध्यान इस ओर नहीं गया, जिसको मैंने एक बार और कहा था। संविधान निर्माताओं ने जहां एक तरफ यह व्यवस्था की है कि ये चलें, दूसरी तरफ यह व्यवस्था भी कर दी है कि इस सम्बन्ध में यदि वहां की विधान सभाएं प्रस्ताव कर दें कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से इसे पास कर दें कि इस राज्य की विधान परिषद् समाप्त कर दी जाय तो लोक सभा उस पर अपनी मंजूरी दे कर विधान परिषद को समाप्त कर देगी। इसी तरीके से पंजाब और बंगाल में समाप्त हो गई हैं और महाराष्ट्र तथा बिहार का मामला इस समय खटाई में पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में यह मामला विचाराधीन है। संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से इसके बारे में अपना अधूरा मन दिखाया तो उससे पता चलता है कि इसके लिये वे पूरी तरह से कायल नहीं थे।

विधान परिषद् के स्थान जिनको जाने चाहिये थे उनको नहीं गये। बड़े भ्रष्ट उपाय चलते हैं, तो हम क्यों न इसका फायदा उठाकर, इस मौके पर इसको खत्म करने का एक प्रस्ताव पास कर दें।

इस सम्बन्ध में हमारा एक डर भी है। आज कल हमारे देश में बोली एक की होती है, किन्तु जब उस पर अमल करने की बात आती है तो बोली बोलने वाले गायब हो जाते हैं। उदाहरण के लिये ६ अप्रैल को संसोपा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज की घटना थी, यह विषय जब दिल्ली में सदन में उठाया गया, तो उस पर सभी दलों ने हिस्सा लिया और हमारी बात का समर्थन भी किया। सभी ने उस काण्ड की निन्दा की किन्तु जब उस पर वोट देने का समय आया तो जोरदार शब्दों में निन्दा करने वाले लोग लोक सभा से खिसक गये, गायब हो गये। तो हमें लगा है जो इस समय बहस चलाई जा रही है, उस पर मुझे डर है, जब वोट का इस पर समय आयेगा तो उस के पक्ष में बोलने वाले चुप हो जायंगे, या गायब हो जायंगे, जैसा कि लोक सभा में हुआ है। तो कहीं इस प्रकार की बात न हो, इसलिये मैं अपने प्रस्तावक, श्री नित्यानन्द स्वामी जी से कहना चाहता हूं कि वह अति उत्साह में न आवें। अपने विचारों पर जोर देते रहें। यह हो सकता है कि आपके प्रयास से कि यह विधान सभा इस पवित्र काम को कर डाले।

इन शब्दों के साथ मैं नित्यानन्द स्वामी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं स्वामी नित्यानन्द स्वामी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

पहली बात तो यह है कि जो इस विधान परिषद् को बनाया गया, तो बनाने वालों ने इसके अन्दर यह कमी देखी, इसमें यह गुंजायश छोड़ी कि अगर विधान सभा चाहे तो इसे समाप्त कर सकती है यानी बनाते समय उनको इस बात का पूरा-पूरा विश्वास था कि हो सकता है कि कभी भी आगे चल कर इसको तोड़ना पड़े। दूसरे मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि आखिर विधान परिषद् का फायदा क्या है ? जो हम पास करते हैं अगर विधान परिषद् उसे स्वीकार नहीं करती तो वह इस हाउस पर लागू नहीं होता। इसकी एक एग्जाम्पिल अभी-अभी आयी है। हमने यहां से राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करके भेजा। उसमें विधान परिषद् के अन्दर अपोजीशन ने जो जो अमेंडमेंट रखे वह ज्यों के त्यों वहां से स्वीकार हो कर आ गये। मैंने वह प्रश्न यहां व्यवस्था के रूप में रखा कि जो वहां पर अस्वीकार हो गया इसका क्या होगा ? उस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि उस हाउस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का फैसला इस हाउस में लागू नहीं होता। जब उस हाउस का फैसला इस हाउस पर लागू नहीं होता तो उस हाउस को रखने में फायदा ही क्या है ? विधान परिषद् पर १७ लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है। तीन-चार लाख रुपया मकान का किराया और रेलवे कूपन्स पर होता है। इस प्रकार २० लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है। २२ वर्षों से यह चला आ रहा है, जो साढ़े चार करोड़ रुपये के लगभग बैठता है। इस हाउस को खत्म करके छोटी-छोटी डिमान्ड्स को पूरी करें तो सही बात होगी। नाम देने वालों ने उसको जो अपर हाउस का नाम दिया है वह गलत है। अपर हाउस वह होता है जिसकी बात मानी जाय। वह अपर हाउस कैसे हो सकता है जिसकी लोअर हाउस पर बात लागू नहीं होती ? इसलिये लोअर हाउस का नाम बदल कर अपर हाउस और अपर हाउस का नाम बदल कर लोअर हाउस कर दिया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करना चाहूंगा कि शासन में उनका बहुमत है। हमने यह प्रस्ताव बहुत सोच-समझ कर रखा है। मानते सब लोग हैं कि विधान परिषद् का कुछ काम नहीं है लेकिन आज जैसा दिखायी दे रहा है, हो सकता है जैसा जायसवाल जी ने कहा है, कहने में कुछ कहें करने में पीछे हटें, यह भी हो सकता है। आखिर में मैं इस प्रस्ताव का जो नित्यानन्द जी ने रखा है, समर्थन करता हूं।

(इस समय ३ बज कर ५५ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं, वह धनी प्रदेश पंजाब में पूरा हो चुका है। अगर धन के हिसाब से देखें तो पंजाब ने वह काम कर दिया जो निर्धन उत्तर प्रदेश अब तक नहीं कर पाया। अगर दूसरी तरफ आगे बढ़ जायं, तो क्रान्तिकारी बंगाल ने वह काम कर दिया जो क्रान्तिकारियों का अगुआ उत्तर प्रदेश अब तक नहीं कर पाया। तो जिस परिस्थिति में आज हम यहां बैठे हुए हैं क्रान्तिकारिता को बढ़ावा वाली परिस्थिति में और साथ-साथ उन निर्धन लोगों को सामने रख कर कोई काम करें तो पार्टी जो इस अपर हाउस के कारण टूटती है, उनके लीडरान जो अपर हाउस के कारण गड़बड़ी करते हैं, वह अपने विचार को सही तौर से सामने रखें तो आज ही मामला साफ हो सकता है। चाहें राज्य सभा हो या विधान परिषद इनके चुनाव में एस० एस० पी० को नुकसान तो हुआ लेकिन इस दफा जो चुनाव हुए हैं उसमें बड़े-बड़े संगठन के लोग क्या कर गये वह खुद सोच लें।

मैं एक दूसरी घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा सीधे-सीधे कि राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो कुछ निर्णय अपर हाउस ने लिया वह हमारे ऊपर लागू नहीं होता, सरकार टूट नहीं सकती, जा नहीं सकती। साथ ही सरकार में बैठने वाले अपनी पोजीशन भी देख लें कि किस प्रकार से खुद उनके बहुमत का गला घोंटा जाता है। हम तो आपके बहुमत की बात न करके यही बात करते हैं कि जो उसके हटाने से आमदनी होगी वह जैसा कि नेता, अनन्तराम जी ने कहा कि वह इस सदन को ज्यादा चलाने में और इस सदन के जरिये जनता की बहबूदी की तरफ लगायें।

सवा छः एकड़ की लगान माफी पर जब बहस होती थी तो लोग कहते थे कि हम कहां से उस नुकसान को पूरा करेंगे, तो हम एक ही मिसाल देते थे कि अगर अपर हाउस खत्म कर दें तो काम चल जायगा। तो यह तो बड़ी बहस की बातें हैं, लेकिन मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा। एक बात सीधी-सीधी यह है कि इस सदन के लोगों को अब तक मकान नहीं मिले हैं। कम से कम अपर हाउस के खत्म करने से मकान मिल जायंगे। दूसरे, रेल में चलते हैं तो अपर चैम्बर वालों को रिजर्वेशन मिल जाता है, हम लोग रह जाते हैं। तो इस तरह से मकान खाली करा दिये जायं, रेलों में रिजर्वेशन उनके लिये खत्म करा दिया जाय और जो आमदनी बढ़ जाय उसमें ५—६ मिनट मुझ जैसे नालायक को भी बोलने का ज्यादा मौका मिल सकेगा। इस तरह से निर्धन लोगों के जो प्रतिनिधि आते हैं

[श्री अनीसुर्रहमान श्री]

सीधे दरवाजे से, कष्ट उठा कर, अपर हाउस के कारण यहां भी कष्ट उठाते हैं तो कम से कम वह कष्ट तो दूर होगा। तो अगर यह प्रस्ताव इस भाव से पास होता है तो उत्तर प्रदेश पर बड़ा अहसान होगा। आखिर को १० प्रदेशों के अन्दर ही जो अपर हाउस रखे गये वह इस लिये रखे गये कि वह इन्हें तजुर्बे के रूप में चलाना चाहते थे। तो जब वह फेल हो गया तो अगर उत्तर प्रदेश भी उसको फेल नहीं करता तो लोग कहेंगे कि इस जमाने में यहां कम बुद्धिमान लोग थे, लिहाजा अपनी बुद्धि को तेज करने के लिये मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो काम उस समय विधान के निर्माता तजुर्बे के रूप में करना चाहते थे जिसे दूसरी जगहों पर फेल कर दिया गया उसको यहां भी फेल कीजिये और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस अपर हाउस के खत्म करने का प्रस्ताव पारित कीजिये।

राजकीय सैनिक स्कूल के १२ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब दूसरा काम लिया जायगा। जो मेरे पास सूचनायें आयी है.....

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायू)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष---

साढ़े चार बजे फिर यह शुरू हो जायगा---जिस समय कि यह दूसरा काम खत्म हो जायगा।

(कुछ रुक कर)

तो उसमें मेरे पास नोटिसेज आये हैं। कुछ काम रोकों प्रस्ताव के हैं २-३, मैंने उनको स्वीकार नहीं किया। दूसरे, नियम ५१ में तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री नित्यानन्द स्वामी ने राजकीय सैनिक स्कूल के १२ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में जो दी है उसको मैंने नियम ५१ के अन्दर स्वीकार किया है।

शिक्षा मंत्री इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

कल दिला दीजिये, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---

१ मई को देंगे। आज नहीं देंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। प्रदेश में किसानों का गन्ना खेतों पर खड़ा है। लगभग ३५ प्रतिशत गन्ना खड़ा हुआ है और वह लकड़ी के भाव बिक रहा है। सरकार ने एग्रिमेंट किया था कि गन्ना लेकर वह मिलों को देगी लेकिन आज तक वह नहीं दे पाई। किसानों में असंतोष है। उनका पैसा बेकार फंसा हुआ है। सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करे। इसीलिये कार्य स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो आपने दिया है उसी पर रियासत हुसैन साहब ने भी दिया है। उसके ऊपर नियम ५२ में २ घंटे बहस हो तो अच्छा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया था कि प्रदेश के अन्दर डकैतियां, अपराध बढ़ गये हैं और इसको पुलिस आफिसर्स ने भी अपनी कांन्फरेंस में स्वीकार किया है। हत्यायें ७८ से १३९ हो गयीं और अन्य अपराध भी इसी हिसाब से बढ़े हैं। लोगों की सुरक्षा नहीं है। डकैतियां, लूटपाट बहुत बढ़ गये हैं। इसलिये आप इसे कार्य-स्थगन में स्वीकार कर लें अथवा नियम ५१ व ५२ में ले लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक ही सवाल नियम ५१ में ले सकता हूं जो सबसे महत्व का था उसे ले लिया और उस पर मंत्री १ मई को वक्तव्य देंगे। अब प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ गयी है तो यह कोई स्पेसिफिक मामला नहीं है जिस पर कामरोको प्रस्ताव लिया जा सके। इसके ऊपर नियम ५२ में चर्चा हो सकती है। गन्ने के बारे में जो बात कही गयी तो रियासत हुसैन साहब ने भी ऐसी ही बात कही है। एक चीज उन्होंने और शामिल की है कि गेहूं के भाव गिर गये हैं, ६५ रुपये फी क्विंटल के हिसाब से वह बिक रहा है। किसानों की हालत बिगड़ गयी है। नियम ५२ के अन्तर्गत मैं उसे संबंधित मंत्री के पास भेज रहा हूं। उसमें दोनों विषय आ जायेंगे क्योंकि किसानों का सवाल है और उस पर घंटे, दो घंटे बहस हो जायगी तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)--

मैंने भी एक प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था। एक हरिजन युवती है। १६ दिन से अनशन किये हुये है देहरादून में और मरणासन्न स्थिति में है। सरकार का ध्यान उधर नहीं गया। मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री को पत्र लिखे गये। जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा कि वह अनशन शुरू किये हुये है। नारी निकेतन में उसे रख दिया गया। मैं चाहता हूं कि उस पर वक्तव्य दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं वक्तव्य दिलवा दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं श्री डूंगर सिंह विष्ट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वह महिला दो-तीन महीने से चारपाई पर पड़ी है। अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी के रूप में उसे रखा है और फिर भी वह कहते हैं कि मेरी पत्नी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि मैं इस पर वक्तव्य दिला दूंगा।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

३०० अध्यापकों को स्कूल से मुक्त कर दिया है। वहां एक बड़ा भारी आन्दोलन हो रहा है। बड़ा असन्तोष वहां पर हो रहा है। इसे दफा ५२ के अन्तर्गत ले लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने ले लिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मैंने आपकी सेवा में एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव भिजवाया था। मान्यवर, वह प्रस्ताव बहुत ही अहम है। इस प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली में जाकर इस सदन के कतिपय सदस्यों को भी पीटा है और वे विलिंगटन अस्पताल में रहे तथा उन्होंने लखनऊ अस्पताल में इलाज करवाया। मान्यवर, जिस प्रकार हिन्सा का वातावरण बनाया जा रहा है और उसे शक्ति दी जा रही है तो वह दिन दूर नहीं है कि एक दिन जब यह विधान सभा भी नहीं रहेगी और वह कुर्सी भी नहीं रहेगी जिस पर आसीन हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा के लिये अवश्य समय दें। मैं यह प्रस्ताव पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि कामरोको का वह विषय नहीं हो सकता, चर्चा का विषय हो सकता है। समझौते से कोई दिन फिक्स कर दें और आप चर्चा इस विषय पर कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

घटना ६ अप्रैल को दिल्ली की है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर किसानों; मजदूरों, आदिवासियों और छोटे किसानों और इस तरह से बेरोजगार नवयुवक नई दिल्ली में एकत्रित हुये। वे शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पर ५-७ मील का फासला तय करके पटेल चौक पहुंचे.....

श्री अध्यक्ष---

यह तरीका नहीं है जो आप चाहते हैं। आप नियम ५२ के अन्तर्गत इसे भेज दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

बहुत छोटा सा मेरा प्रस्ताव है। ६ अप्रैल को प्रदर्शनकारियों पर लज्जाजनक प्रहार हुआ।

श्री अध्यक्ष---

इसके ऊपर विचार करना पड़ता है। मंत्री जी से विचार करना पड़ता है कि किस रोज वे देंगे।

श्री रामधारी शास्त्री---

उत्तर प्रदेश की पुलिस की केन्द्रीय सरकार से साजिश थी।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया कि इस पर पुनः चर्चा होगी।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे अवश्य सुन लें। इस पर आप अवश्य विचार करें। यह एक जरूरी चर्चा का विषय है। अतः आप इस पर प्रकाश डालें। इसलिये मैं अपनी फरियाद आपके दरबार में सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, जिसको चोट लगती है, वह चिल्लाता जरूर है। ऐसा नहीं है कि हम मारे भी जायं और चिल्ला भी न पायें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया इस पर बाद में चर्चा होगी ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि यह निर्णय ऐसा है कि जिसको आप स्वयं ले सकते हैं, इसको मंत्री जी पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं ।

श्री अध्यक्ष—

निर्णय तो मैं स्वयं ही लूंगा लेकिन माननीय मंत्री जी से यह तो पूछना ही है कि वे वक्तव्य कब देंगे ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जब आप स्वतः ही कुर्सी पर विराजमान हैं तो आपको मंत्री जी से पूछने की क्या आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे नियमों के अनुसार ही तो कार्य करना होगा ।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, हमारे ऊपर डंडे पड़े हैं और आप सुनना नहीं चाहते । यह मुख्य मंत्री जी की केन्द्रीय सरकार के साथ साजिश है । हमें आप बोलने का मौका दें ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मैंने एक प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजा था प्रदेश के अन्दर बहुत से लोग बेदखल हो रहे हैं, उनके बारे में भेजा था ।

श्री अध्यक्ष—

उसकी तो मैंने इजाजत नहीं दी ।

श्री गोविन्द सिंह—

गन्ने के सिलसिले में जो आपने एडमिट किया है उसके सिलसिले में ही बोलने की इजाजत दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में आकर आप बातें कर लें ।

उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन का संकल्प (क्रमागत)

*श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के समक्ष जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि जरूरत से ज्यादा अधिक समय बीत गया जब कि यह विधान परिषद् समाप्त हो जानी चाहिये थी । मुझ से पहले यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बोले, जिन्होंने अपने वक्तव्य दिये, उन्होंने इससे संबंधित जितने भी पहलू थे, उन सभी पर प्रकाश डाल दिया है, मैं उनको फिर से दोहरा कर सदन और माननीय सदस्यों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उदित नारायण]

समय लेना नहीं चाहता। इससे संबंधित जो विशेष पहलू, बातें और परिस्थितियां है उन्हीं पर प्रकाश डालूंगा। उन बातों की ओर ध्यान दिला कर मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आज वह समय आ गया है जबकि हमें इस संस्था को समाप्त करने में देर न करना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

एग्रीड, एग्रीड।

श्री उदित नारायण---

इस बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि विधान परिषद् की कोई यूटिलिटी नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य और किसी भी दल की इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। अगर पिछले इतिहास को देखा जाय तो एक भी संस्था या दल ऐसा न होगा जिसने इसका विरोध कभी न कभी न किया हो। समय-समय सभी संस्थाओं ने विधान परिषदों की मुखालिफत करते हुये यह कहा है कि इस संस्था से कोई लाभ न होकर हानि ही हो रही है। इसलिये सभी लोगों का इसका समर्थन ही किया है। यदि इसके पक्ष में कोई बात कही जा सकती है तो वह यही कि इसकी समाप्ति के बारे में कोई कानून जल्दी में न बनाया जाय इसके बारे में कुछ समय लेना चाहिये ताकि सारे पहलुओं पर विचार कर लिया जाय। लेकिन यह भी हमारे लिए कोई तारीफ की बात नहीं है। मैं समझता हूं हमारे जितने भी साथी यहां बैठे हुए हैं उनमें से कोई नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई कानून बना दिया जाय या जल्दबाजी में किसी कानून को बनाने की कोई सोचता हो। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे कानून बनते हैं जिनको जल्दी बनाना आवश्यक होता है और यदि विधान परिषद् बनी रहती है तो वह एक ऐसा जरिया है जिसके जरिये से जो कानून तुरन्त पास हो जाना चाहिये उसमें अड़ंगे लगते हैं। अगर आप वास्तव में देखें तो विधान परिषद् का कार्य किसी कार्य को देर तक लटकाने के अलावा और दूसरा है ही नहीं। जब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो फिर उसके ऊपर जो धन व्यय होता है, उसको मैं अपव्यय न कहूं तो क्या कहूं ? और धन से अधिक महत्व मैं समय को देता हूं जो उसमें नष्ट होता है। यही यह सदन भी चाहेगा और कांस्टीट्यूशन की भी यही मंशा है कि जनता के चुने हुये जो प्रतिनिधि होंगे जो कुछ वे चाहेंगे वही होगा और जो दूसरे लोग चाहेंगे वह नहीं होगा। तो जब अन्ततोगत्वा सब काम उन्हीं के जरिये से होना है तो इस बात की गुंजायश कहां रहती है कि कुछ दूसरे लोग यह कहें कि इसको हम एक मर्तबा वापस कर देते हैं, दो मर्तबा वापस कर देते हैं, तीसरी दफा तो पास ही हो जायगा। और यह एक और दो मर्तबा जाने में जो धन और समय लगेगा उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ? और फिर इसकी आवश्यकता क्या है ? आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें यह भी आवश्यक है कि विधान परिषदें न हों। आप जानते हैं हम यहां पर संविद की सरकार की हैसियत से जब बैठे तो उस वक्त जो हमारे दोस्त विधान परिषद् में बैठ कर हमारे कामों में अड़ंगे लगाया करते थे तो हमें कैसा लगता था ? इसी प्रकार से जब हम उस पक्ष में जाकर बैठें तब भी जो कुछ हम कहते गये अगर उसको देखा जाय तो हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि विधान परिषद् को भंग न किया जाय। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें यह सम्भव है कि आपको कभी-कभी ऐसे दबाव मानने पड़ें जो नहीं मानने चाहिये। हर एक के लिये ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन यह दबाव तो जनतंत्र में आते ही रहेंगे। इन दबावों की वजह से वह चीजें जिनके रहने के कारण कभी-कभी हमसे गलत काम होता है यदि वह समाप्त कर दी जायं तो सब के लिये बड़ा आसान होगा और वह दबाव आपके ऊपर पड़ेंगे ही नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

शर्मा जी ने जो कुछ कह रहे थे उसमें प्रश्न सिर्फ एक बात का है। जिन दबावों का उन्होंने हवाला दिया वह उस वक्त काम नहीं करते हैं जब सदन के नेता इस बात पर तैयार हो जायं कि

वह कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन जब उनकी यह मंशा रहेगी कि हमारी कुर्सी बनी रहे तब वह दबाव कामयाब होते हैं।

श्री महीलाल—

माननीय जायसवाल ने किस संदर्भ में यह बात फरमायी है ?

श्री उदित नारायण—

माननीय जायसवाल जी जो कह रहे थे उसके उत्तर में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि आज की परिस्थिति में कितने लोग ऐसे हैं जो कुर्सियों पर बैठते हैं और फिर दबावों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं ? वैसे कहना तो बड़ा आसान है। मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया कि यह सम्भव है कि परिस्थितियां इतनी पेचीदा हों कि इच्छा न रहते हुये भी कार्य करना पड़े और कभी-कभी वह क्षम्य भी होता है।

दूसरी बात यह है कि विधान परिषद् के जरिये से अगर आप पिछले दो-तीन सालों का इतिहास उठा कर देखें तो विधान सभा के कार्य में अड़चनें पड़ती हैं। आपके यहां गवर्नर महोदय का ऐड्रेस आता है और वह पढ़ा जाता है। हम धन्यवाद का प्रस्ताव पास करते हैं और अगर यह विधान परिषद् में गिर जाता है तो एक मखौल-सा हो जाता है। इसलिये मैं आप से नम्र निवेदन करना चाहता हूं और अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति ऐसी है और कानून की भी यही मंशा है, मेरा खयाल है अगर गलत न हो, शायद आर्टिकिल १६९ है जिसमें कहा गया है कि विधान परिषदें जब हम चाहेंगे भंग हो जायेंगी। श्रीमन, आप यह देखें कि कहीं पर भी विधान में यह गुंजायश नहीं है और न ऐसा सोचा जा सकता है कि विधान सभा भंग कर दी जायेगी, लेकिन उन्होंने सोच समझ कर कहा है कि ऐसा समय आयेगा जब आप महसूस करेंगे कि विधान परिषद् भंग कर दी जाये। तो, श्रीमन्, ज्यादा अच्छा तो यह है कि उसको भंग कर दिया जाय बजाय इसके कि वह विधान सभा के साथ-साथ चलती रहे। श्रीमन्, मैं विधाउट ऐनी डिस्रेस्पेक्ट टु देम कहना चाहता हूं कि कभी-कभी ऐसे काम हो जाते हैं जो अशोभनीय होते हैं। कभी-कभी हमारे मित्र लोग कहते हैं कि इस पर खर्च ज्यादा नहीं पड़ता है। श्रीमन्, अगर हिसाब लगाकर देखें तो पता चलेगा कि बहुत लम्बा खर्चा होता है। अगर लम्बा खर्च न हो, थोड़ा ही हो, तो क्या वजह है कि उसको अच्छे कामों में न लगाया जाय। इसलिये आप समय के हिसाब से देखें, खर्चे के हिसाब से देखें, मान-मर्यादा के हिसाब से देखें, चाहे जिस प्रकार से आप देखें, आप एक ही परिणाम पर पहुंचेंगे कि विधान परिषद् की केवल आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि उसको जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिये। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही पुनीत कार्य है। यह अनावश्यक सदन जो हमारे ऊपर कलंक बना हुआ है उसको शीघ्रातिशीघ्र समाप्त होना चाहिये। उत्तर प्रदेश को तो अगुवा होना चाहिये था। बंगाल और बिहार वगैरह में विधान परिषदें समाप्त कर दी गई हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पुनीत कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिये। हमारे यहां पर हमको राज्य सभा से अधिकार नहीं मिलता है, इसलिये विधान परिषद् और राज्य सभा जहां प्रजातांत्रिक प्रणाली है नहीं होनी चाहिये। यह आप देखें कि इनका गठन कैसे हुआ ? स्थानीय निकायों द्वारा होता है, ग्रेजुएट कांस्टीटुएंसी द्वारा होता है, टीचर्स कांस्टीटुएंसी द्वारा होता है, विधान सभा के सदस्यों द्वारा होता है और नामजदगी होती है। जो लोग इसमें वोट देते हैं उनको दो वोट देने का अधिकार मिलता है। गरीब, किसान, मजदूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

पांच साल में केवल एक बार वोट देने का अधिकार पाता है लेकिन जो ग्रेजुएट होते हैं स्थानीय निकाय में होते हैं, विधान सभा के सदस्य होते हैं उनको दो वोट देने का अधिकार होता है। मैं समझता हूं यह बिलकुल प्रजातन्त्र के खिलाफ है तो इस हिसाब से भी यह हाउस बिलकुल अनावश्यक है। दूसरी चीज जो हमारे साथी ने कही धन का तो अपव्यय बिलकुल है ही साथ ही जितने अच्छे क्वार्टर हैं आप देखेंगे चाहे रायल होटल में हों या दूसरी जगह, सभी विधान परिषद् के सदस्य कब्जा किये हैं। कोई उच्च स्तर का बिल बनाये हों तो ऐसी बात भी नहीं। उत्तर प्रदेश ही नहीं किसी भी राज्य में विधान परिषद् ने कोई बिल नहीं बनाया कि उनकी बुद्धि का भी हम उपयोग कर सकें हों। वहां अधिकांश घूमने वाले लोग जाते हैं। यही नहीं, हम कोई ऐक्ट बनाते हैं कि आम जनता को फायदा हो तो उसमें भी बाधा डालते हैं। अभी हाल में आपने देखा कि जिला परिषद् विधेयक यहां से पास हुआ उसमें अनायास विलम्ब हुआ। अगर यह दिक्कत न करते तो अनायास देरी न होती।

चौथी बात मैं कहूंगा राज्य सभा में चर्चा हुई कि एक आदमी कई लाख रुपया देकर चुना गया। इन्दर सिंह जो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं थे वह चुने गय। अगर विधान परिषदें आज रहती हैं तो घूंस का बोलबाला रहेगा। इसलिये यह जरूरी है कि यह विधान परिषद् खत्म कर दी जाय। मैं इस विषय में अधिक बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि शायद ही इस सदन में कोई आदमी बैठा होगा जो इस विधेयक का विरोध करेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस विधान सभा में पारित होगा।

श्री बांके लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया है कि विधान परिषद् समाप्त हो जायं यह बिलकुल सही है। समाप्त इसलिये कर दिया जाय कि अभी विधान परिषद् के सदस्यों की एक कमेटी बम्बई गई थी और बिना टिकट फर्स्ट क्लास में यात्रा की और पकड़े गये और १८० रु० जुर्माना उन्होंने दिया। श्रीपति मिश्र जी बैक डोर से चले आये और यहां शिक्षा मंत्री बन गये तो विधान परिषद् को एक खाने-पीने का साधन बना लिया गया है। उसकी कोई आवश्यकता हमारे विचार से नहीं है क्योंकि जो हम कानून पास कर के भेजते हैं उसको अगर वह फेल भी कर दें तो हम सक्षम हैं कि उसको पास कर दें और पास करने पर उनकी कोई इज्जत नहीं रहती है। इसके अलावा खर्चा भी उस पर बहुत ज्यादा है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने शुरू में कहा था कि हमारा खर्चा कम होगा और हमारी मिनिस्ट्री छोटी होगी लेकिन उन्होंने एक फौज तैयार कर दी डर के मारे।

तो हम इस हैसियत के नहीं हैं कि इतना अधिक व्यय जिसको हम अपव्यय ही कहेंगे खर्च करें। हमको अपने देश का निर्माण करना है, विकास करना है ऐसी सूरत में उन लोगों की क्या आवश्यकता है जिनसे हमको इस काम में कोई मदद नहीं मिलती। यदि आप चाहते हैं, मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो तो विधान परिषद् को स्वमेव समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मेरी फिर यही प्रार्थना है कि इस कार्य में आप सभी लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त हो।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं यह देख रहा हूं कि प्रायः सभी पार्टियों के सदस्यों का उसको पूरा समर्थन प्राप्त है। मैं स्वयं भी इसी मत का हूं। मैं १४ वर्ष तक विधान परिषद् का सदस्य रहा और बराबर यही सोचता रहा कि आखिर इस सदन की क्या उपयोगिता है। अभी जब यह संकल्प प्रस्तुत किया गया (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है और जो आंकड़े दिये हैं उसमें उन्होंने यही बताया है कि गत १९५७ से सन् १९७० तक लगभग २८८

विधेयक विधान परिषद् में भेजे गये जिसमें केवल ४ विधेयकों में काउन्सिल ने कुछ संशोधन किये। २० लाख रु० प्रति वर्ष विधान परिषद् पर व्यय हो रहा है और अभी तक लगभग ३ करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका है परन्तु उस सदन से हमको जो कुछ प्राप्त हुआ है उसकी हमारे लिये जो उपयोगिता रही है वह नगण्य है। मैं नहीं समझता कि जब इस प्रकार का प्राविधान लागू किया गया होगा जब कि विधान परिषद् या उच्च हाउस की स्थापना की गई, उस समय जब कि अमरीका एक फेडरल स्टेट था जिसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी तब उन्होंने वहां पर इसका प्राविधान किया था ताकि सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधि आ सकें। इंग्लैंड में लार्ड्स का एक विशेष वर्ग था। उस विशेष वर्ग को प्रोवाइड करने के लिये जब कि वे साधारण जनता द्वारा चुनकर नहीं आ सकते थे तो वहां पर लार्ड्स को स्थान देने के लिये हाउस आफ लार्ड्स की स्थापना की गई। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई उपयोगिता हमारे एसे गरीब देश के लिये है। निर्धन देश में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। पंजाब, पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार के हाउसेज को समाप्त कर दिया गया है, पार्लियामेंट ने उनको समाप्त कर दिया। वहां प्राय: सभी लोगों की राय थी कि उच्च सदन की कोई आवश्यकता नहीं है और प्राय: सभी पार्टियों के सभी सदस्यों, संगठन कांग्रस और विपक्ष सभी की यही राय थी कि यह हाउस बेकार है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर बहुत भारी बहुमत से यह निर्णय किया गया कि उनको समाप्त कर दिया जाय। बिहार में और महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के प्रस्ताव पास हुये हैं।

हमारा उत्तर प्रदेश सभी कामों में अग्रणी रहा है और समाजवाद की दिशा में वह निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अत: इस प्रदेश में भी यह बहुमत से पास होना चाहिये कि इस सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों ने इस हाउस की स्थापना की थी क्योंकि उनको इसकी आवश्यकता थी उसमें उन्होंने अपने स्वार्थ साधन के लिये राजा, रायबहादुर, खानबहादुर आदि को रखा था। इसमें बड़े-बड़े लोगों का ही प्रतिनिधित्व था। आज समाजवाद के युग में, प्रजातंत्र के युग में इस सदन की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। इसके साथ ही व्यय का भी प्रश्न जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी व्यय इस पर हुआ है या हो रहा है इसको मैं अपव्यय की ही संज्ञा दूंगा। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि भिक्षावृत्ति निरोध का बिल विधान परिषद् में किसी प्राइवेट मेम्बर या गवर्नमेंट की तरफ से पेश की गई है और इस पर एक कमेटी बैठी है। वह कमेटी बम्बई, पूना तथा नागपुर गई और उस पर हजारों रुपयों का खर्च हुआ जो अपव्यय है। इसलिए मैं समझता हूं इस प्रकार से धन का अपव्यय है और कुछ लोगों के लिए एक तरीका निकाल दिया है कि उनको एकमोडेट किया जाय।

जहां तक नामीनेशन का सवाल है, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि उन लोगों को गवर्नर महोदय नामीनेट करेंगे जो साहित्य, विज्ञान, कल्चरल, या खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हों। लेकिन पिछले बीस वर्षों से हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। निश्चय ही पोलिटीकल प्रेशर होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसके इशारे पर राज्यपाल महोदय करते हैं। पिछली बार जब मैं हाउस में था, मैंने देखा कि एक सज्जन मनोनीत होकर आये, वह ऐसे थे जिनको चलना-फिरना भी मुश्किल था, दिखाई भी कम देता था, पकड़ कर लाते थे। और उनको साहित्य तथा कला के नाम पर मनोनीत किया गया। जैसे अभी राज्य सभा के निर्वाचन में भ्रष्टाचार हुआ, उसी प्रकार से हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को नहीं मालूम होगा, मैं १४ वर्ष वहां पर सदस्य रहा हूं, मैंने वहां पर भी देखा, कानपुर के पूंजीपति अपने रुपये के बल पर आये और काफी बहुमत से आये। तो कौंसिल के जरिये से भ्रष्टाकार को बढ़ावा मिल रहा है। बड़े-बड़े पूंजीपति लोग आकर हम लोगों को प्रलोभन देते हैं। इस प्रकार से भ्रष्टाचार का मार्ग खुल गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज समय की मांग है, उत्तर प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा है, इन हाउसेज को जो एक प्रकार से जनता पर भार हैं, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं, इनको समाप्त करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। माननीय नेता सदन से मैं निवेदन करूंगा, उनकी पार्टी बी० के० डी० के बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, काफी संख्या में लोग इस राय के हैं कि विधान परिषद् को समाप्त किया जाय। लेकिन हो सकता है कि अनुशासन के नाम पर गला घोटा

[श्री प्रेमचन्द्र शर्मा]—

जाय, व्हिप जारी किया जाय । अगर वोट की स्वतंत्रता दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में काफी बहुमत होगा । इसी तरह से, हमारे माननीय नेता कमलापति जी भी बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि या तो सरकार की ओर से कोई ऐसा बिल लाने का आश्वासन दें क्योंकि नान-आफीशियल रिजोलूशन है इसलिये उसको मानने में हो सकता है कि संकोच हो या हमको अधिकार दें दें कि हम स्वयं अपनी प्रेरणा से इस पर वोट दें (तालियों की आवाज) । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वामी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यह जो दो सदन की प्रणाली है, जिस समय हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उस वक्त इसकी उपयोगिता थी । लेकिन आज ऐसी प्रगति हो गई है कि अब उसकी उपयोगिता नहीं है । विधान परिषद् की उपयोगिता को आप देखें तो आप पायेंगे कि जो हम विधेयक पारित करते हैं उसी को वह सेकिन्ड करते हैं या ब्रेक लगाते हैं । कुछ लोगों ने समर्थन दिया है कि दूसरी सभा होनी चाहिये लेकिन अगर उसकी उपयोगिता और खर्चे, आदि को देखा जाय तो यही मालूम होगा कि इस पर बहुत अपव्यय होता है और हम उसी काम को दोहराते हैं इस रूप में कि जो यहां से पास हो गया तो वहां पर उसको भेजते हैं लेकिन उसको कुछ पावर नहीं है। आप देखें कि विधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें विधान परिषद् को कोई भी पावर नहीं दी गई है। उसको कोई भी अधिकार नहीं है। जो संशोधन वह पास कर देती है वह इस विधान सभा की इच्छा पर है। इसलिये हम यह देखते हैं कि उसको कोई पावर नहीं है जो कि हमारी इस विधान सभा को है। कुछ लोगों ने बताया कि आज तक जो विधान निर्माण हुआ है पिछले २० वर्षों के अन्दर उसमें केवल ४ संशोधन ही विधान सभा द्वारा माने गये हैं । लोगों का यह कहना है कि उसमें विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होता है। जनता के अन्दर जो विशेषज्ञ हैं, जो कलाकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जो किसी एक विषय में विशेषज्ञ हैं उनका प्रतिनिधित्व वहां पर होता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वे लोग नहीं आ पाते हैं । वास्तव में देखा जाय तो दलबन्दी के आधार पर लोग वहां पर आते हैं । इसलिये मेरा भी यही निवेदन है कि इस विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाय ।

राज्यपाल महोदय जो नामिनेशन करते हैं उसमें भी उनका नामिनेशन नहीं हो पाता है जो सही रूप में इसके अधिकारी हैं । अगर वास्तव रूप में देखा जाय तो इस प्रकार से जो यह धन का दुरुपयोग हो रहा है इससे कोई लाभ देश का नहीं है। दूसरी तरफ हमारा देश गरीबी से गुजर रहा है। योजना यहां पर इतनी चल रही हैं जिनके लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है। इतने दिनों से यह फिजूलखर्ची चल रही है कि इसको तुरन्त ही रोकने की आवश्यकता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि विधान परिषद् की कोई भी उपयोगिता नहीं रह गई है। जो हम यहां पर काम करते हैं वही काम वहां पर होता है। उसी काम को दोहराया जाता है। इतने पैसे का यह दुरुपयोग हो रहा है जिसको समाप्त करना आवश्यक है । इसलिये इस विधान परिषद् के रहने से हमारा कोई लाभ नहीं है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाय ।

*श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय सदस्य स्वामी नित्यानन्द जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बात यह है कि जो लोग उस हाउस में नहीं रहे, जिस आदमी ने किसी चीज का मजा नहीं देखा हो वह उसका स्वाद बता नहीं सकता है। मैं उस हाउस में रह चुका हूं और मैं जानता हूं कि उस हाउस की कितनी उपयोगिता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और कितनी नहीं है । मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ एक चीज है जिसको हम यह कह सकते हैं कि जैसे कुछ बुजुर्ग अपने-अपने यतीमखाने खोल लेते हैं वैसे ही वह हमारा अपर हाउस भी एक यतीमखाना है। जब कोई आदमी यहां से हार जाय । जनता उसको न चुने, उसको नालायक साबित कर दे तो फिर हम उसको पीछे के दरवाजे से कौंसिल में पहुंचा दें । इस तरह का नाम सही रूप में यतीमखाना ही हो सकता है । हमारे इस हाउस के प्रस्ताव की वह आलोचना भी कर लें और प्रस्ताव भी पास न करें, उसको वहां से पास न करें मगर हमारे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं है (गुनाह बेलज्जत) गुनाह भी करें और लज्जत भी न आये ऐसी यह बात है । यहां से प्रस्ताव पास करें वह पास न करें और फिर हम यहां से पास करें वह न करें लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं । तो इस तरह से हम गरीबों का पैसा, किसानों का पैसा जो हम उनसे कर के रूप में लेते हैं उसका सदुपयोग नहीं है । तो खामख्वाह ऐसे हाउस को रखने का क्या लाभ है । जैसे कुछ बड़े-बड़े आदमी राजा, महाराजा अपने यहां रंगरेलियों का इन्तजाम रखते हैं, नाच-गाने का इन्तजाम रखते हैं, और वह तब तक नहीं समझते कि राजा महाराजाई ठीक ढंग से चल रही है । इसी तरह से यह विधान परिषद् एक डेरा है जिसमें कुछ लूले, लंगड़े पड़े रहें, कुछ यतीम पड़े रहें और उनको वहां पर खाना मिलता रहे । जिनकी कहीं पर कोई गुजर नहीं है उनको उस यतीमखाने में भेज दिया जाता है । आज मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि इन यतीमखानों के खोलने के क्या माने हैं? क्या हमारे पास और कोई उपयोगी काम नहीं है जिसमें हमारे पैसे को खर्च किया जा सके? हमारे हाउस में मैं देखता हूं कि कितने उपयोगी काम होते हैं । कितने जरूरी बिल आते हैं । हमें बोलने तक के लिए समय नहीं मिल पाता है । हम अपने सवाल सदन में रखते हैं लेकिन दस-पंद्रह सवालों के बाद समय समाप्त हो जाता है और हमारे सवाल रखे रह जाते हैं । हम चुपचाप बैठे रह जाते हैं ।

माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बड़ा उपयोगी है । लेकिन कुछ लोगों को इससे दुख होगा । यदि यह पहले ही मालूम हो जाता तो चुनाव में क्यों बेकार दिन-रात दौड़-धूप करते और पैसा खर्च करते । जब मुर्दे को मरना ही है तो दवा क्यों की जाय? हम को भी दो दिन और दो रात दौड़-धूप करते गुजारनी पड़ी थीं । यदि हमको पहले से मालूम हो जाता कि यह प्रस्ताव आने वाला है तो हम लोग भी कफन लेकर वहां पहुंच जाते । अगर हमें पहले इत्तिला होती तो हमारी मेहनत बचती । मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव है इसको मंजूर करके यतीमखाने हैं इनको बन्द कर दें, यहां बेकार के लोग पलते हैं ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में जनतंत्र है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधान सभा में कानून बनाते हैं । लेकिन यह विधान सभा के ऊपर विधान परिषद् नामक एक पहरेदार बैठा हुआ है । वह चौकसी कर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि जनता के प्रतिनिधि कोई गलत कानून बना दें । जनता के प्रतिनिधियों की यह विधान सभा है उसके ऊपर विधान परिषद बैठी हुयी है । यह विधान सभा के लिए बड़ी अपमानजनक चीज है । कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छी चीजों की नकल करते-करते बुरी चीज भी कर जाया करते हैं । हिन्दुस्तान का संविधान इंगलैन्ड के संविधान से नकल करके बनाया गया है । हमारे नेता नकल करते हैं, वहां के हाउस आफ लार्ड्स की तरह से यहां भी यह चीज रख दी है । हिन्दुस्तान की जनता में और इंगलैन्ड की जनता में बड़ा फर्क है । यहां की समस्या और वहां की समस्याओं में भी फर्क है । विधान सभा के प्रतिनिधि जो भी कानून पास करेंगे वह प्रदेश के हित में ही करेंगे । यहां कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिससे हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता छिन जाय या उसको आघात लगे ।

माननीय नित्यानन्द स्वामी ने जब विधान परिषद् की समाप्ति का प्रस्ताव रक्खा तो कालेज के छात्र मेरे पास आये और मुझसे छात्रों ने संकल्प के समर्थन करने पर जोर दिया और समर्थन

[श्री हुक्म सिंह परिहार]

के लिए बचन देने के लिए कहा । यहां यह एक कैसा समाजवाद चलाया जा रहा है कि जनता से हराये गये प्रतिनिधियों को लाकर हमारे ऊपर थोपा जाता है। इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में ही कांग्रेस ने एक ऐसी प्रथा डाली है हमारे स्वर्गीय नेहरू जी, जिन को हम महान कहते हैं इस दिशा में इतना बड़ा कुकर्म किया कि प्रजातंत्र को खंडित करके उन्होंने जनतंत्र को ही एक तरह से यहां से समाप्त कर दिया है। डा० सम्पूर्णानन्द को यहां से इस्तीफा दिलाने के बाद राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया और एक हारे हुये आदमी को मुख्य मंत्री बनाया गया । उनके जमाने से ही यहां बराबर इस तरह के अनैतिक कार्य होते रहे हैं । मैं तो कहूंगा कि विधान परिषदों में बैठकर जो लोग कार्य करते हैं वह बिल्कुल बेकार का कार्य है। वह चुने हुये प्रतिनिधियों के ऊपर बैठकर वहां मीनमेख निकालते हैं और कहते हैं कि हम भी चुनकर आये हैं । मेरे ही जिले के एक सदस्य हैं, श्री शिवप्रसाद गुप्त जो उद्योग मंत्री और राज्य मंत्री रह चुके हैं और हमेशा ही मंत्री बने रहते थे वह कभी वहां से चुनकर नहीं आये और न आ सकते हैं क्योंकि वहां की जनता कभी भी उनको चुनकर नहीं भेज सकती लेकिन वह हमेशा ही गुप्ता जी की कृपा से राज्य मंत्री या उपमंत्री बने रहे केवल विधान परिषद् का सदस्य होने के नाते । चाहे कोई महकमा हो वह सदा ही उसके सर्वेसर्वा बने रहे । वह पुलिस मंत्री रहे, उद्योग विभाग के इंचार्ज रहे, बिजली विभाग के भी इंचार्ज रहे और कई कई खास विभाग उनको सौंपे जाते रहे ।

मैं इस सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि यहां के कुछ खास राज्य पुरुष हैं जिनको चिन्ता रहती है कि जो उनके लेफ्टीनेंट हार जायं उनको किस तरह बैक डोर से या कौंसिल के दरवाजे से लाया जाय ? वह समझते हैं कि उनके हारने से उनका काम ही नहीं चलेगा और वह इस चोर दरवाजे से अपने लेफ्टीनेंट को ले आते हैं । हमारा दल जिसका कि मैं सदस्य हूं सदा से ही विधान परिषदों के विरुद्ध रहा है । हमारे नेता, डा० लोहिया, कहा करते थे कि वह हारे हुये लोगों को या रिटायर्ड आदमियों को इनाम देने की यह एक जगह है ? और इस को शीघ्र समाप्त होना चाहिये । लेकिन उस वक्त डा० लोहिया की बात को यहां लोगों ने नहीं माना लेकिन आज उनकी बात को सब मान रहे हैं । आज बंगाल ने जहां से हमें रोशनी मिली है इस दिशा में कदम उठाया है कि परिषद् को समाप्त किया जाय । आज जो कार्य एक सूबे में होता है उसका असर दूसरे सूबे पर पड़ता है । जो राज्य पुरुष आज राजनीति में जन प्रतिनिधियों के ऊपर बैठे हैं उनको ऐसे कदम का स्वागत करना चाहिये । मुझे खुशी है कि इस समय ३ राज्य पुरुष यहां बैठे हैं । माननीय गुप्त जी यहां विराजमान हैं कि जिनके लेफ्टीनेंट जनता से हारते रहे हैं और बैकडोर से जिन्हें वह लाते रहे हैं वह यहां बैठे हैं । माननीय त्रिपाठी जी और माननीय चौधरी साहब यहां मौजूद हैं और जो हमेशा अब तक कोशिश करते रहे हैं कि परिषद् रहे उनके दिल में आज घबराहट सी है कि आज सदन का एक-एक प्रतिनिधि जनतंत्र को सही दिशा देने के लिए चाहता है कि परिषदों को हटाकर सही कदम उठाया जाय । आज सबकी इच्छा है कि विधान परिषद् समाप्त हो लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि यह तीनों राज्य पुरुष लोगों को बुला बुला कर उन पर दबाव डाल रहे हैं कि अभी ऐसा न करो । जनता की भावनाओं को कोई रोक नहीं सकता है । आज कभी-कभी यहां पर आत्मा की पुकार सुनाई देने लगती है । आज वही आत्मा की पुकार यहां पर सुनाई दे रही है। क्या बी०के०डी०, क्या शासकीय कांग्रेस, क्या जनसंघ, क्या संसोपा सब लोग ही इसका समर्थन कर रहे हैं । यह संकल्प जो आज माननीय स्वामी जी की ओर से आया है, प्रदेश की जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता आज क्या चाहती है ? इस संकल्प का समर्थन इस बात का द्योतक है कि यह जनतंत्र की ओर बढ़ता हुआ कदम है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे बिना किसी हिचकिचाहट के पास कर दें ।

(श्री सुरेंद्र विक्रम के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यदि आप कल बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि केवल एक मिनट का समय है। लेकिन अगर आप बोलना चाहें तो एक मिनट बोल लें और कल फिर आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय स्वामी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मैं आज अधिकतर सदन में मौजूद रहा हूं और सभी पक्षों के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनता रहा हूं, चाहे वे बी० के० डी० के हों, चाहे वे जनसंघ के हों, चाहे संसोपा के, चाहे कांग्रेस शासक दल के हों, चाहे कांग्रेस (आ०) के हों, सभी ने इसके पक्ष में अपनी अपनी दलीलें दी हैं और इसके पक्ष में इच्छा व्यक्त की हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ अप्रैल, १९७० ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३८ पर)

तालिका

श्री बिशुन दयाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रेषित दिनांक १०-७-१९६९ के आरोप पत्र के विषय में वस्तुस्थिति ।

आरोप	वस्तुस्थिति
१—खाद गोदाम खाने कमाने का साधन बना लिया गया है और उस पर केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है, जो जिला कृषि अधिकारी को ५,००० रु० प्रतिमास दे सके ।	बफर गोदाम पर इंचार्ज की नियुक्ति उप कृषि निदेशक द्वारा की जाती है, जिला कृषि अधिकारी द्वारा नहीं । अतएव सामान्यतया ऐसी नियुक्ति के प्रसंग में जिला कृषि अधिकारी को कोई भी धनराशि देने का प्रश्न नहीं उठता है । फिर भी आरोप की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए शासन ने इस विषय में विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपने का निश्चय किया है ।
२—बफर गोदाम, बरेली पर शासकीय आदेश के विरुद्ध ग्रेजुएट इन्चार्ज के स्थान पर हाई स्कूल पास व्यक्ति को रखा जा रहा है, क्योंकि उसने कहा, कहा जाता है कि जिला कृषि अधिकारी को ५,००० रु० देने का आश्वासन दिया है ।	कार्य असन्तोषजनक होने के कारण श्री जगदीश सिंह चौहान (ग्रेजुएट) इंचार्ज, बफर गोदाम, बरेली के स्थानान्तरण के आदेश उप कृषि निदेशक, बरेली मंडल ने दिये थे । उन्होंने श्री रघुनाथ सिंह (हाई स्कूल) को उपयुक्त समझ कर उनकी इंचार्ज, बफर गोदाम के पद पर नियुक्ति के आदेश भी दिये थे । अन्ततः सर्व श्री जगदीश सिंह चौहान तथा रघुनाथ सिंह दोनों को ही कृषि निदेशक द्वारा दिनांक १७-९-१९६९ को बरेली जिले के बाहर स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये थे । श्री रघुनाथ सिंह की बफर गोदाम के इंचार्ज पद पर नियुक्ति के सिलसिले में जिला कृषि अधिकारी को ५,००० रु० देने का आश्वासन दिये जाने के विषय में अभी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।
३—पुराने इन्चार्ज ने न्याय के लिये उच्च अधिकारियों से निवेदन किया । उन्होंने अपने समय गोदाम पर खाद में कोई कमी नहीं दिखाई है ।	उपलब्ध सूचना के अनुसार पुराने इन्चार्ज श्री चौहान ने उच्चाधिकारियों से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की । श्री चौहान द्वारा बफर गोदाम का चार्ज देते समय निम्नलिखित कमियां पाई गयीं : रु० पै० १—लेजर में दिखायी गयी कमी ५०.२० २—चार्ज के समय स्टाक की कमी २१३.०० इसके अतिरिक्त स्टेन्डर्डाइजेशन और ट्रांजिट में हुयी २१,५९१.३५ रु० की कमी भी पायी गयी ।

आरोप	वस्तुस्थिति
४—श्री जगदीश सिंह चौहान का स्थानान्तरण एक वर्ष के बाद ही कर दिया और इस प्रकार शासन को ५०,००० रु० की हानि हुयी।	श्री जगदीश सिंह चौहान का स्थानान्तरण उनका कार्य असन्तोषजनक होने के कारण किया गया था। चार्ज हस्तान्तरण के समय शासन को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।
५—माल प्राप्ति के ७ दिन के अन्दर स्टेन्डर्डाइजेशन नहीं हुआ।	यह सत्य है कि माल प्राप्ति के ७ दिन के अन्दर स्टेन्डर्डाइजेशन नहीं किया गया। इसके लिये उत्तरदायित्व ठहराया जा रहा है।

श्री बिशुनलाल यादव, सदस्य, विधान सभा के १२-१-१९७० के आरोपापत्र के विषय में वस्तुस्थिति।

१—श्री चौहान ने बफर गोदाम पर स्टैंडर्डाइजेशन की कमी को छोड़ कर अन्य कमी नहीं दिखाई अतः उनकी नियुक्ति सीनियर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्सपेक्टर के पद पर करके मुरादाबाद, मेरठ, मजफ्फरनगर, बुलन्दशहर व सहारनपुर में से किसी एक स्थान पर कर दी जाय।	यह आरोप नहीं है। श्री चौहान अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय वर्ग के सदस्य हैं अतएव ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक के प्रथम वर्ग के पद पर उनकी नियुक्ति तभी संभव हो सकती है जब वे सेवा नियमावली के अनुसार प्रथम वर्ग में पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाए जायं।

श्री उमा दत्त शर्मा सदस्य विधान सभा के २० जुलाई, १९७० को आरोप-पत्र के विषय में वस्तुस्थिति

१—श्री चौहान का स्थानान्तरण रद्द कर दिया जाय और जिला कृषि अधिकारी, बरेली का तबादला कर दिया जाय और सर्तकता आयोग से जांच कराई जाय।	श्री चौहान के स्थानान्तरण का आदेश कार्यान्वित हो चुका है। अतएव उसको रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता है। श्री हरी सिंह, जिला कृषि अधिकारी, बरेली, का स्थानन्तरण किया जा रहा है। सर्तकता विभाग द्वारा जांच भी कराई जायेगी।

श्री उमादत्त शर्मा सदस्य विधान सभा के २० जुलाई, १९६९ के पत्र में श्री रघुवंश सिंह त्यागी के जिस पत्र का उल्लेख है उसमें निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं—

१—श्री हरी सिंह जिला कृषि अधिकारी, बरेली ने अमोनियम क्लोराइड को यूरिया कह कर किसानों को बिकवाया तथा खाद का ब्लैक कराया।	इन आरोपों की पुष्टि में कोई स्पष्ट उदाहरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी इनके बारे में विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपने का निश्चय किया गया है।
२—अपने रिश्तेदारों को बिना रोजगार कार्यालय के परामर्श से नौकरी में रक्खा।	जिला कृषि अधिकारी बरेली ने सरकारी फार्म बिलवा पर मजदूरी चिट्ठे में काम करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति रोजगार कार्यालय से नाम मांगे बिना की थी। श्री गनेश को छोड़कर

आरोप	वस्तुस्थिति
	शेष व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड थे । क्रम सं० — नाम — पद — निवास का जनपद १ श्री गनेश — हलवाहा — आजमगढ़ २ श्री जयराम — गोडाउन मैन — मेरठ ३ श्री राजपाल सिंह — तदेव — बरेली ४ श्री राम कुमार सिंह । — कामदार — बदायूं ५ श्री चमन सिंह — सुपरवाइजर — मेरठ
३—मण्डल स्तरीय बफर गोदाम से खाद का व्यापारियों के हाथ ब्लैक किया गया और उसका जिले के बफर गोदाम तथा वहां से अन्य गोदामों में फर्जी ट्रांसपोर्ट दिखा कर ट्रांस्पोर्ट चार्जेज का दुर्विनियोग किया गया ।	शासन ने इस विषय में विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपने का निश्चय किया है ।
४—सितम्बर १९६८ से २६ मई, १९६९ तक लगभग २ हजार टन खाद जिला बफर गोदाम बरेली में आ चुकी है परन्तु उसका स्टैन्डर्डाइजेशन जो शासकीय आदेशानुसार एक सप्ताह के अन्दर हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं कराया गया। जिला कृषि अधिकारी श्री हरी सिंह श्री चौहान इंचार्ज से चालीस हजार रुपये इस बात के मांगते थे कि वे स्टैन्डर्डाइजेशन में १० प्रतिशत कमी दिखा देंगें परन्तु चूंकि श्री चौहान इसके लिये सहमत नहीं हुए इसलिये उनका स्थानान्तरण कर जिला कृषि अधिकारी के कृपा पात्र श्री रघनाथ सिंह की नियुक्ति कर दी गई । श्री रघुनाथ सिंह अनस्टेन्डर्ड खाद को बिना तुलाई के बोरों की गिनती करके लेना चाहते	४—यह सही है कि स्टैन्डर्डाइजेशन में विलम्ब हुआ है । स्टैन्डर्डाइजेशन का काम दिसम्बर १९६९ में पूरा हुआ था । उसके बाद ही ९ जनवरी, १९७० को श्री चौहान इंचार्ज जिला बफर गोदाम, बरेली कार्यभार से मुक्त किये गये थे । शासन ने इन आरोपों की विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपने का निश्चय किया है ।

आरोप	वस्तुस्थिति
हैं ताकि स्टैन्डर्डाइजेशन करा कर बाद में धन कमाया जा सके।	
५—श्री रघुनाथ सिंह कृषि स्नातक नहीं है। अतः इनको जिला बफर गोदाम के पद पर नियुक्ति तथा श्री जगदीश सिंह चौहान इंचार्ज जिला बफर गोदाम बरेली के स्थानान्तरण के आदेश तुरन्त रद्द किये जाएं।	५—सर्वश्री जगदीश सिंह चौहान तथा रघुनाथ-सिंह दोनों को ही बरेली से बाहर स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जा चुके हैं। श्री चौहान ९ जनवरी, १९७० को कार्यभार से मुक्त हो चुके हैं। श्री रघुनाथ सिंह इंचार्ज जिला बफर गोदाम बरेली के पद का चार्ज दे चुके हैं। उन्हें फरीदपुर गोदाम का चार्ज ३० अप्रैल, १९७० तक देने के भी आदेश दिये जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४१ पर)

तालिका

क्र० सं०	भण्डार का नाम	१९६६–६७		१९६७–६८		१९६८–६९	
		लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, बस्ती	१,९६७	..	..	२५,८९७	..	१६,९८६
२	जनता थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, लि० देवरिया	२२,६५६	..	..	५४,६५७	..	३१,४१८
३	थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, गोरखपुर ..	८,३७६		..	६६,४९९	..	४३,३६२
४	थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, आजमगढ़ ..	७,५३०	..	..	८,१९२	५,८९२	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४२ पर)

प्रश्न संख्या २ में उल्लिखित विवरण—१

क्षेत्र का नाम			दूध का वितरण
१—अन्देश नगर	..	..	११,१७५.०० कि० ग्रा०
२—आटा ..	..	..	३,८४८.०० ,,
३—आराजी लाइन्स	..	..	५५,२६७.७५ ,,
४—बाबूगढ़ ..	..	..	१,२५,३२५.०० ,,
५—भदारी ..	..	..	१,९३,७२९.२५ ,,
६—चक गंजरिया	..	..	२,३८,७७२.२५ ,,
७—हस्तिनापुर..	..	..	६३,५०६.२५ ,,
८—कालपी ..	..	..	७४,११८.०० ,,
९—माधुरीकुन्ड	..	..	१,१०,४७०.७५ ,,
१०—मनझरा ..	..	..	७७,४३३.२५ ,,
११—मखदूम ..	..	..	..
१२—नीलगांव ..	..	..	५०,६८३.२५ ,,
१३—निबलेट ..	..	..	३९,९८२.०५ ,,
१४—पशुलोक ..	..	..	..
१५—कैदपुर ..	..		६९,९१०.५० ,,
		योग	११,१४,२२१.३० कि०ग्रा०

संसदीय पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ट ५४५ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नम्बर २७, १९४७ ई०

संयुक्त प्रान्त का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट सन् १९४७ ई० को आगे आये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने के (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नम्बर २७, १९४७ की धारा ३ के स्थान पर नई धारा का रक्खा जाना

२—संयुक्त प्रान्त का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट, सन् १९४७ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"३—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि भारत की रक्षा तथा नागरिक रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा, दक्षतापूर्ण सैन्य संचालन या जनजीवन के लिए आवश्यक सेवाएं और संभरण बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो तो वह लिखित आज्ञा द्वारा कोई मोटर गाड़ी हस्तगत कर सकती है तथा ऐसी अग्रेतर आज्ञा दे सकती है जो उसे हस्तगत करने के संबंध में आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(२) हस्तगत करने का कार्य लिखित आज्ञा द्वारा किया जायगा जो उस व्यक्ति को संबोधित की जाएगी जिसे राज्य सरकार मोटर गाड़ी का मालिक समझे अथवा जिसके कब्जे या नियन्त्रण में मोटर गाड़ी हो, और ऐसी आज्ञा उस व्यक्ति पर जिसे वह संबोधित हो, नियत रीति से तामील की जायेगी।

(३) यदि वह व्यक्ति जिस पर उपधारा (२) के अधीन आज्ञा तामील की जाय, आज्ञा में उल्लिखित प्राधिकारी को मोटर गाड़ी का कब्जा देने में असफल रहे या चूक करे तो ऐसा प्राधिकारी उस मोटर गाड़ी को किसी व्यक्ति से जिसके कब्जे में उस समय वह गाड़ी हो अभिगृहीत कर सकता है।

(४) यदि राज्य सरकार ने इस धारा के अधीन कोई गाड़ी हस्तगत की हो तो यह हस्तगत रहने की अवधि में राज्य सरकार के अधिकार में रहेगी और राज्य सरकार या तदर्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी उसका प्रयोग या संव्यवहार ऐसी रीति से कर सकता है जो उसे इष्टकर प्रतीत हो।"

३—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्—

धारा ४ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

"४—(१) जब कभी भी धारा ३ के अधीन कोई मोटर गाड़ी हस्तगत की जाय तो उसके मालिक को मुआवजा दिया जाएगा और मुआवजे की धनराशि, जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा धारा ४—क के उपबन्धों को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसी गाड़ी को भाड़े पर लेने के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित दरों के आधार पर निर्धारित की जायगी।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी गाड़ी का मालिक जो इस प्रकार निर्धारित मुआवजे की धनराशि से क्षुब्ध हो, मामला किसी मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर दिए जाने के लिए नियत समय के भीतर जिला मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दे तो दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि हस्तगत करने के ठीक पूर्व गाड़ी किसी हायर पर्चेज के मुआहिदे के अधीन हो तो हस्तगत करने के संबंध में कुल देय मुआवजे के रूप में इस उपधारा के अधीन निर्धारित धनराशि अवक्रेता (हायरर) और वित्त प्रबन्धक (फाइनेंशियर) के बीच ऐसी रीति से अविभाजित की जायेगी जिस प्रकार वे सहमत हों और सहमति न होने पर ऐसी रीति से अविभाजित की जायगी जैसा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त मध्यस्थ निश्चय करें।

(२) मध्यस्थ ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह हो।

(३) उपधारा (१) के अधीन मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

(४) इस धारा के अधीन मध्यस्थता से संबंधित सभी अन्य विषय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे और सिवाय ऐसे नियमों में की गई व्यवस्था के आर्बीटेशन ऐक्ट, १९४० की कोई बात इस पर लागू नहीं होगी।

४—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय।

अनुसूची का निकाला जाना

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उद्देश्य और कारण

डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट, १९६२ और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रभावी न रह जाने के कारण सरकार को भारत की रक्षा या नागरिक रक्षा के प्रयोजनों के लिए कोई आवश्यकता पड़ने पर मोटर गाड़ियां हस्तगत करने का कोई परिनियत अधिकार नहीं रह गया है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक सम्भावित घटना के लिए व्यवस्था की जाय, तदनुसार संयुक्त प्रान्त का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट सन् १९४७ ई० में तुरन्त संशोधन करना इष्टकर समझा जाता है। उन प्रयोजनों में, जिनके संबंध में हस्तगत करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, भारत की रक्षा तथा नागरिक रक्षा सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित अध्युपाय द्वारा उक्त ऐक्ट की धारा ३ का संशोधन किया जा रहा है। धारा में अन्य प्रस्तावित परिवर्तन छोटे-मोटे प्रकार के हैं।

२—यह भी अनुभव किया जाता है कि बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण उक्त ऐक्ट की अनुसूची जिसमें वे दरें दी गई थीं, जिन पर विभिन्न श्रेणी की गाड़ियां हस्तगत करने पर मुआवजा दिया जायगा, अद्यतन नहीं रह गई है। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कि सम्बद्ध व्यक्तियों को ठीक और उचित मुआवजा दिया जाय, मुआवजा से संबंधित उपबन्धों का संशोधन करने के लिये इस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है। संशोधन के अन्तर्गत ऐसी मोटर गाड़ियों के भी मामले आ जाते हैं जो हायर परचेज अनुबन्ध के अधीन हों।

३—विधेयक तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मन्त्री।

विधान परिषद उ०प्र०

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५४५ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०, में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची:—

(१) खंड २ की पंक्ति २ में कोष्ठक और अंक "(१)" के बाद शब्द, "में" रख दिया गया है ।

(२) खंड २ में भाग (१) की पंक्ति ३ में शब्द "करे" तथा "और" के बीच चिह्न" रख दिया गया है, तथा पंक्ति ४ में चिन्ह "तथा शब्द "और" के बीच अल्पविराम (कामा) का चिह्न रख दिया गया है।

(३) खंड ५ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ७–घ (१) की पंक्ति ७ में शब्द "अधिकारी" और "यह" के बीच शब्द "को" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया गया है।

(४) खंड ५ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ७–घ की उपधारा (५) की पंक्ति ३ में शब्द "रखेगा" और "जिसमें" के बीच का चिह्न हटा दिया गया है।

(५) खंड ७ की पंक्ति ४ में शब्द "बैध" के स्थान पर शब्द "वैध" रख दिया गया है।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५४५ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची :—

(१) खंड २ की पंक्ति ४ में शब्द "रहगा" के स्थान पर शब्द "रहेगा" कर दिया गया है।

(२) खंड ३ की पंक्ति ३ में शब्द "कृत्यों" और "निर्वहन" के बीच "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

(३) खंड ३ की पंक्ति ३ में शब्द, "निर्वहन" और "तात्पर्यित" के बीच शब्द "का" के स्थान पर शब्द "या" रख दिया गया है।

(४) खंड ३ की पंक्ति ६ में शब्द "विधि" और "अनुसार" के बीच "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

(५) खंड ४ की पंक्ति २ में "परिष्" के स्थान पर शब्द "परिषद्" कर दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय उ० प्र०

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५४५ पर)

उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची :—

(१) खंड २ में मूल अधिनियम की नयी प्रस्तावित उपधारा (४) की पंक्ति ५ में शब्द "सकेगा" और "भुगतान" के बीच अल्पविराम (कामा) का चिह्न बढ़ा दिया गया है तथा इस उपधारा की पंक्ति ६ में शब्द "जिसमें" और शब्द "उसकी" के बीच का शब्द "से" निकाल दिया गया है।

(२) खंड २ में मूल अधिनियम की नयी प्रस्तावित उपधारा (४) के प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में शब्द और चिह्न "में से," के स्थान पर शब्द "के" रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५४६ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची :—

(१) खण्ड २ में मूल अधिनियम की धारा २ के प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "बन" के स्थान पर शब्द "वन" कर दिया गया है।

(२) खण्ड १५ के उपखंड (२) के भाग (क) के अन्त में शब्द "जायगी" के बाद सेमी-कोलन का चिह्न रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—४८ एल० ए०—१९७०—८४५ ।